Tuesday 10 August 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA
DEBATES

[Second Session]

Conservation Unit 2-8-... Fumigated On ... Parliament Library

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT ... 65(8) 19.1.72

[खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया	*Price : One Rupee*

विषय सूची/CONTENTS

अंक 57 मंगलवार 10 अगस्त, 1971/19 श्रावण, 1893 (शक)

No. 57, Tuesday, **10 August,** 1971/Sravana 19, 1893 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	

ता. प्र. संख्या
S. Q. No.

विषय	Subject	Pages
1651. पश्चिम बंगाल में तारों की चोरी और रेल सेवा बिगड़ने के मामलों की जांच करने संबंधी समिति	Committee to look into Wire Thefts and Disruption of Rail Services in West Bengal	4
1653. मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली समस्तीपुर रक्सौल रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Samastipur Raxaul Railway Line via Muzaffarpur into Broad Gauge	5
1654. 24 परगना, पश्चिम बंगाल, में नदी बेसिनों की सिंचाई क्षमता का बढ़ाया जाना	Development of Irrigation Potential of River Basins in 24 Parganas, West Bengal	6
1655. भारतीय रेलवे में खानपान की नई प्रणाली	New Catering System on Indian Railways	8
1656. उत्तरी बंगाल में कागज-मिलें	Paper Mills in North Bengal	9
1659. पूर्वोत्तर रेलवे के शयन-यानों से पंखो का हटाया जाना	Removal of Fans from Sleeper Coaches on North Eastern Railway	11
1660. पूर्वी रेलवे में माल डिब्बे तोड़ने की घटनायें	Incidents of Wagon breaking on Eastern Railway	13
1661. कोट्टयम में आरा मिलों और लकड़ी उद्योग के लिए माल डिब्बों की कमी	Wagon Shortage for Saw Mills and Timber Industries in Kottayam	15
1663. उत्तर बंगाल में चर्मशोधन कारखानों की स्थापना	Setting up of Tanneries in North Bengal	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1665.	गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजनायें	Small Car Projects in Private Sector	17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	18
ता.प्र. संख्या U.S.Q.No.			
1652.	दामोदर घाटी निगम में कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की नियुक्तियां	Employment of Deputationists against certain Posts under Damodar Valley Corporation	18
1657.	रेलवे अस्पताल के भोजन में पाए गए कीड़े	Insects Found in Railway Hospital Food	19
1658.	सतलज और ब्यास नदियों को मिलाना	Linking up Sutlej and Beas Rivers	19
1662.	चलती हुई रेलगाड़ियों में टेलीफोन की सुविधा दिया जाना	Provision of Telephone Facility in Running Trains	19
1664.	बिहार में महेन्द्रु घाट तथा प्लेजा घाट के बीच चलने वाले पुराने स्टीमर	Old Stemers Running between Mahendru Ghat and Paleza Ghat in Bihar	20
1666.	दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की गई और पश्चिम बंगाल और बिहार को वितरित बिजली	Electricity Generated by Damodar Valley Corporation and Distributed to West Bengal and Bihar	20
1667.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति	Clearance from Central Water and Power Commission for Irrigation Projects of Orissa	21
1668.	हावड़ा-आमता और हावड़ा-शिआखला लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में खपाया जाना	Absorption of Howrah Amta and Howrah Sheakhala Light Railway Employees into Indian Railways	23
1669.	बड़ौदा से छोटा उदयपुर तक पश्चिमी रेलवे लाइनों का मध्य प्रदेश में इन्दौर तक बढ़ाया जाना	Extension of Western Railway lines from Baroda to Chhota Udepur upto Indore, Madhya Pradesh	23
1670.	भारत में औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण	Survey for Industrial Potential in India	24
1671.	डीजल इंजनों की मांग और उत्पादन	Demand and Production of Diesel Engines	24
1672.	पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान	Central Industrial Establishments Functioning in West Bengal	25
1673.	दिल्ली में यमुना नदी की धारा का मार्ग बदलने की योजना	Scheme to Change the course of Jamuna in Delhi	27

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1674.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विलय का प्रस्ताव	Proposal for merger of Central Electricity Authority and Central Water and Power Commission	27
1675.	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बकिंघम नहर में कृष्णा नदी का पानी डालने की योजना	Scheme to Divert Water from Krishna River to Buckingam Canal in Andhra Pradesh and Tamil Nadu	27
1676.	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए स्वीकृत योजनायें	Projects approved for Development of Industries in Rural Areas in Madhya Pradesh	28
1677.	उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस का दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया जाना	Extension of Operation of Chetak Express to Udaipur from Delhi Railway Station	29
1678.	पोंग बांध-हिमाचल प्रदेश के विस्तापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Oustees from Pong Dam, Himachal Pradesh	29
1679.	फरक्का बांध परियोजना क कार्य पूरा करना	Completion of Farakkha Barrage Project	29
1680.	जलढाका जल-विद्युत परियोजना	Jaldhaka Hydel Project	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7375.	आसाम में नमक की कमी	Salt Scarcity in Assam	31
7376.	आसाम और मेघालय को नमक की सप्लाई	Supply of Salt to Assam and Meghalaya	31
7377.	कानपुर यार्ड के खुदाई-कार्य में लगे व्यक्तियों पर व्यय तथा उसमें व्यर्थ हुए जन-घन्टे	Expenditure incurred and Man-Power and Man-Hour lost in Digging work at Kanpur Yard	32
7378.	चुनार में यार्ड	Yard at Chunar	32
7379.	जूही-यार्ड के निर्माण पर खर्च	Expenditure on Construction of Juhi Yard	32
7380.	मध्य प्रदेश में बिजली की आवश्यकता	Requirement of Power in Madhya Pradesh	33
7381.	पंसकुरा-हल्दिया रेलवे लाइन के भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Ex-Casual Labourers of Panskura Haldia Railway Line	33
7382.	पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर सवारी गाड़ियां	Passenger Trains on Panskura Haldia Line	34
7383.	पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल	Bridges over Level Crossings on Panskura Haldia Line	34

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7384.	पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर पूरी संख्या वाले कर्मचारियों के स्टेशन	Manned Stations on Panskura-Haldia Line	35
7385.	ड्रेजरों द्वारा ब्रह्मपुत्र के 'अपर' क्षेत्र का तलकर्षण	Digging of Upper Part of Brahmaputra by Dredgers	35
7386.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के डीफू स्टेशन के विकास के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Development of Diphu Station of North-east Frontier Railway	35
7387.	आसाम के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Rural Electrification of Assam	36
7388.	पंचवर्षीय योजनाओं में मध्य प्रदेश को सप्लाई की गई बिजली	Electricity supplied to Madhya Pradesh during Five Year Plans	36
7389.	मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएँ	Irrigation Projects in Madhya Pradesh	36
7390.	पानीपत/सोनीपत से दिल्ली तक दोहरी रेलवे लाइन	Double Railway Line from Panipat/Sonepat to Delhi	37
7391.	बरवाडोह-गोमोह लाइन के यात्रियों को पूर्वी रेलवे के मुगलसराय जंक्शन पर गाड़ी पकड़ने में कठिनाईयां	Passengers of Barwadih Gomoh Line facing Problems in getting Trains at Mughal Sarai Junction on Eastern Railway	38
7392.	पालामऊ जिला (बिहार) में मेरला और भावनाथपुर रेलवे स्टेशनों के बीच के स्टेशनों से सामान का लदान	Loading of Goods from Stations between Meral and Bhavanathpur Railway Stations in Palamau District (Bihar)	38
7393.	सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) को बकाया राशि का अन्तिम रूप से निपटान	Final Settlement of Dues of Retired Railway Employees (Northern Railway)	38
7394.	रेलवे द्वारा शिक्षा संस्थानों के लिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति	Appointment of Principals for Educational Institutions run by Railways	39
7395.	बिहार में हरिहरपुर और कालीगांव के बीच खिरोही नदी पर 'एलूइस' पुल का निर्माण	Construction of a Sluice Bridge across Khirohi River between Hariharpur and Kaligaon in Bihar	39
7396.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के इंजीनियरों द्वारा विरोध दिवस का मनाया जाना	Observation of Protest Day by Engineers of C.W. & P.C.	40
7397.	केरल में मुरुक्कुमपूझा और कनियापुरम के बीच करोचिराय पर रेलवे फाटक पर कर्मचारी की नियुक्ति	Manned Level Crossing at Karichirai between Murukkumpuzha and Kaniyapuram (Southern Railway) in Kerala	40
7398.	त्रिचुर की रेलवे पोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Railway Porters Association, Trichur	40

ता. प्र संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7399.	दक्षिण रेलवे के वरकाला स्टेशन पर सुविधायें	Facilities at Varkala Station on Southern Railway	41
7400.	विकास के लिये कड़पा जिले का पिछड़े क्षेत्रों में शामिल किया जाना	Inclusion of Cuddapah District in backward areas for development	41
7 02.	दक्षिण पूर्व रेलवे पर चलने वाली रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनायें	Incidents of Robberies in Trains on South-Eastern Railway	42
7403.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड तथा पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगों को कलकता से बाहर ले जाने की योजना	Plan for Dispersal outside Calcutta by Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. and west Bengal Industrial Development Corporation	43
7404.	कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रगति	Progress of Agro-based Industries	43
7405.	इंजीनियरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Rural Areas by Engineers	43
7406.	झांसी डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर यात्री तथा माल गाड़ियों में लूटपाट की घटनायें	Incidents of Looting in Passenger and Goods Trains and at Railway Station in Jhansi Division	44
7407.	उत्तर बंगाल की जलढाका-पन बिजली परियोजना के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिये जांच आयोग	Enquiry Commission to inquire into Complaints about Jaldhaka Hydel Project North Bengal	45
7408.	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Coal Price	46
7409.	पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन को सहकारी समिति के लिए फल बेचने का ठेका	Contract for Fruit Vending by Cooperative Society of Samastipur Railway Station on North Eastern Railway	46
7410.	तारापुर तथा राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केन्द्रों में सक्रियात्मक कार्य कुशलता	Operational Efficiencies in Tarapore and Rana Pratap Sagar Atomic Power Stations	46
7411.	जिंक ग्राक्साईड उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised Capacity in Zinc Oxide Industry	47
7412.	कच्चे माल की कमी के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कारखानों का बन्द होना	Closure of Engineering Factories in West Bengal, Bihar and Tamil Nadu due to shortage of raw materials	47
7413.	हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त स्थान	Vacancies of Class IV employees in Howrah Division (Eastern Railway)	48
7414.	धनबाद नगरीय समिति के मंत्री द्वारा रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Railway Officials by Secretary, Dhanabad Citizens Committee	48

अता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7415.	तेतलमारी प्राइवेट साइडिंग से वैगनों का बुक किया जाना	Booking of wagons from Tetulmari Private Siding	49
7416.	पश्चिम बंगाल में पन-बिजली परियोजना की मंजूरी	Sanction of Hydro Electric Project in West Bengal	50
7417.	झांसी डिवीजन में यात्री और माल गाड़ियों में लूट-पाट की घटनायें	Incidents of looting of passenger and goods trains in Jhansi Division	50
7418.	झांसी डिविजन में "कैश आफिसों" और रेलवे डाक-सेवा में कम पाई गई रोकड़	Cash found short in Cash Officers and in R.M.S. in Jhansi Division	50
7419.	आम चुनाव—1972	General Elections—1972	51
7420.	चुनाव लड़ने के लिये अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत सजायाफ्ता व्यक्तियों का अयोग्य होना	Disqualifications of persons from contesting Elections convicted under the untouchability (offences) Act	51
7421.	तारों की जाली के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for wire netting	52
7422.	बुल्गेरियाई सहयोग से सब्जी सुखाने के कारखाने	Vegetable dihydration factories with Bulgarian Collaboration	52
7423.	मनीपुर स्थित लोकतक बहुउद्देशीय परियोजना में भारी इंजीनियरिंग औजारों और मशीनों की कमी	Shortage of heavy engineering tools and machinery in Loktak Multipurpose Project Manipur	53
7424.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ों पर आधारित उद्योग	Wood based industry in north eastern region	53
7425.	वर्दी संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Uniforms Committee	54
7426.	केरल में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Kerala	54
7427.	एस्कोर्टस द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों की किस्म में ह्रास	Deterioration in the Quality of Tractors Manufactured by Escorts	55
7428.	उत्तर प्रदेश में जाली फर्मों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Bogus Firms in U.P.	55
7429.	रेल कर्मचारियों द्वारा अन्तरिम सहायता में वृद्धि की मांग	Demand by Railway Employees for Increase in Interim Relief	56
7430.	गोहाटी अलीपुर द्वार सेक्शन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बिपनी और चपरामारी स्टेशनों के बीच टैंक स्पेशल के गार्ड की मृत्यु	Death of Guard of a Tank Special between Bipni and Chpramari Stations of Gauhati-Alipurduar Section (North-east Frontier Railway)	56
7431.	कलकता के चीतापुर यार्ड से चुराया गया सामान	Goods Stolen from Chitapur Yard Calcutta	57

ता.प्र. संख्या S,Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7432.	कलकत्ता के फ्रेजरगंज क्षेत्र को समुद्री कटाव से खतरा	Frazerganj Area Calcutta Threatened with Sea Erosion	57
7433.	रेल अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against Railway Officials	57
7434.	बिहार में हाजीपुर से संगौली तक शाखा लाइन का खोला जाना	Opening of Branch Line from Haji-pur to Sangauli in Bihar	58
7435.	पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में लक्ष्मीकांतपुर और मथुरापुर सड़क के बीच रघुनाथपुर में नये स्टेशन का निर्माण	Construction of a new Station at Raghunathpur between Lakshmi-kantapur and Mathurapur Road on Eastern Railway in Sealdah Division	58
7436.	नदी के बेसिन की सिंचाई क्षमता का विकास	Development of Irrigation Potential of River Basins	58
7437.	पश्चिम बंगाल स्थित काकद्वीप के निकट भागीरथी नदी से गाद हटाने का कार्य	De-silting Operations at Bhageerathi near kakdwip, West Bengal	58
7438.	पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में बाढ़ों पर नियन्त्रण करने की योजना	Plan to Control Floods in Sundarban Area, West Bengal	59
7439.	पुनलूर रेलवे स्टेशन की रेलवे की जमीन से निकाले गये किसानों को मुआवजा	Compensation to Cultivators Evicted from Railway Land Belonging to Punelur Railway Station	59
7440.	एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के रुकने के लिए दक्षिण रेलवे पर पट्टम्बी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार करना	Expansion of Pattambi Station on Southern Railway for Stopage of Express Trains	60
7441.	नौपरिवहन के लिए उड़ीसा समुद्र-तटीय नहर	Orissa Coast Canal for Purposes of Navigation	60
7442.	बलासोर-उड़ीसा में बुड़ा-बालांग नदी पर बान्ध	Dam over Buda Balang River in Balasore, Orissa	60
7443.	उड़ीसा के बलासौर और मयूरगंज जिलों के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification of Balasore and Mayurbhanj Districts of Orissa	61
7444.	बोंदामुँडा स्टेशन पर गाड़ियों का रोका जाना	Stopping of Trains at Bondamunda Station	61
7445.	बोंदामुंडा रेलवे स्कूल (दक्षिण पूर्व रेलवे) में उड़िया का पढ़ाया जाना	Teaching or Oriya in Bondamuda Railway School (South Eastern Railway)	61
7446.	मध्य प्रदेश में धाल्ली-राजहरा-नारायणपुर कोंडागाँव-जगदलपुर रेलवे लाइनें	Dhalli-Rajhora-Narainpur-Kondagaon-Jagdalpur Railway Lines in Madhya Pradesh	62

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7447.	मन्दसौर में शिवना नदी पर छोसाला बांध के बारे में सर्वेक्षण	Survey Reg. Chhosala Dam at Shivana River in Mandsaur	62
7448.	नर्मदा नदी में बाढ़	Floods in Narmada River	63
7449.	जलपाईगुड़ी के निकट तीस्ता नदी पर रेलवे पुलों का चौड़ा किया जाना	Widening of Railway bridges on Teesta river near Jalpaiguri	63
7450.	सरकारी क्षेत्र में पेट्रो रसायनों पर आधारित उद्योग	Industries based on petro-chemical in Public sector	64
7451.	पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में बाढ़ से हुई क्षति	Extent of Damage caused in Malda district, West Bengal by Floods	64
7452.	केरल में रेलवे लाइनों की लम्बाई	Length of Railway Lines laid in Kerala	67
7453.	केरल में रेलवे से राजस्व की प्राप्ति	Revenue from Railways in Kerala	67
7454.	क्विलोन, एर्नाकुलम और शोरनपुर जंक्शनों के रेलवे स्टेशनों का पुर्ननिर्माण	Reconstruction of Station at Quilon, Earnakulam and Shoranpur Junctions	67
7455.	नई दिल्ली के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें	Cases pending in New Delhi Courts	67
7456.	छितौनी बान्ध में दरार पड़ने के कारण हुई हानि का अनुमान	Assessment of damages caused due to breach in Chitauni Dam	68
7457.	उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति	People affected by floods in Badayun District in U.P.	69
7458.	उत्तर रेलवे के हाथरस जंक्शन के प्रतीक्षालय में खटमलों से भरा हुआ फर्नीचर	Bug-infested furniture in waiting Room at Hathras Junction on Northern Railway	69
7459.	कम वेतन पाने वाले तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की परिलब्धियों में विषमता	Disparities in emoluments of lowpaid and high paid officials of Railways	69
7460.	बम्बई के लिए वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway for Bombay	70
7461.	खुले माल डिब्बों में सड़ा अनाज	"Wheat rots in open wagons"	70
7462.	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें	Credit facilities to entrepreneurs for setting up of small scale industries U.P.	71
7463.	टायरों का उत्पादन और निर्यात	Production and Export of Tyres	71
7464.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सिंचाई और बिजली की सुविधाओं की कमी	Shortage of irrigation and Power facilities in Eastern Districts of Uttar Pradesh	74

अता०प्र० संख्या U.S,Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7466.	रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सहारनपुर में एक मिल के गोदाम से कपड़े की गांठें बरामद किया जाना	Bales of Cotton seized by Railway Protection Force from Godowns of a mill in Saharanpur	74
7467.	दामोदर घाटी निगम के अधीन विश्राम गृह सुविधायें	Rest House facilities under Damodar Valley Corporation	75
7468.	चितरंजन लेकोमोटिव वर्क्स के कार्मिक संघ को अधिमान्यता प्रदान करना	Recognition to Chittaranjan Locomotive Works Labour Union	76
7469.	विदेशी सहयोग करार	Foreign Collaboration Agreements	76
7470.	हावड़ा औद्योगिक बस्ती में खाली पड़े शेडों का उपयोग	Utilization of Empty Sheds in Howrah Industrial Estate	76
7471.	भारतीय रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Caste and Scheduled Tribes on Indian Railways	76
7472.	भुमेल से दाबहन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 (नदियाद) पर मोड़ देकर निकाली गई सड़क पर रेलवे फाटक	Railway crossing on diversion road from Bhumel to Dabhan connecting National Highway No. 8 (Nadiad)	77
7473.	बड़ौदा छोटा उदयपुर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Baroda Chhota Udepur Narrow Gauge into Broad Gauge	77
7474.	नर्मदा और ताप्ती की बाढ़ से दक्षिण गुजरात को हुई क्षति	Damage caused to South Gujarat by floods of Narmada and Tapti	78
7475.	तिरूर रेलवे स्टेशन केरल पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षा शेड का निर्माण	Construction of Waiting Shed for Ladies at Tirur Station, Kerala	79
7476.	रेलवे पर लागत सम्बन्धी अध्ययन	Cost Studies on Railways	79
7477.	कालीनदी पन-बिजली परियोजना की प्रगति	Progress of Kalinadi Hydro-Electrical Projects	80
7478.	डीजल इंजनों में प्रयुक्त पुर्जे	Components used in Diesel Engines	80
7479.	इंस्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों की व्यवस्था	Residential Accommodation to Employees of Instrumentation Ltd., Kota	80
7480.	इंस्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं देना	Transport facilities to Employees of Instrumentation Limited, Kota	81

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7481.	हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल को बरास्ता दिल्ली चलाने की योजना	Scheme to divert Howarh Amritsar Punjab Mail via Delhi	81
7482.	रायपुर स्थित रेलवे कालोनी के लिये औषधालय का विस्तार	Expansion of Dispensary for Railway Colony, Raipur	82
7483.	रेलवे वैगन वर्कशाप रायपुर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस देना	Incentive Bonus to Staff working in Railway Wagon Workshop, Raipur	82
7484.	अगरतला में उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना	Issue of Succession Certificates at Agartala	82
7486.	सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया पूंजी निवेश	Investment made by Public Sector	82
7487.	कावेरी जल-विवाद	Cauvery water Dispute	83
74 8.	वकीलों/अधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली फीस की दर में समानता	Unifrom Rate of Fee Charged by Lawyers/Advocates	83
7489.	नागार्जुन सागर बांध के नीचे कृष्णा नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam at Krishna River below Nagarjunasagar Dam	84
7490.	मद्रास सिटी को कृष्णा नदी से पानी सप्लाई करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Supply of Water to Madras City from Krishna Rriver	84
7491.	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए राज्य सरकार का अनुरोध	State Government request for new Lines in Madhya Pradesh	85
7492.	नैमित्तिक श्रमिकों के लिए भविष्य विधि योजना जैसे लाभ की व्यवस्था	Benefit similar to Provident Fund Scheme to Casual Labour	85
7493.	केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण	Survey for New Railway Lines in Kerala	86
7494.	मतदान की आयु को घटाया जाना	Reduction in Age of Franchise	86
7495.	मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों द्वारा लाइसेंस के बिना ही उद्योग स्थापित करना	Setting up of new Industries in Madhya Pradesh by Entrepreneurs without Licence	86
7496.	अमृतसर एक्प्रेस के साथ डिब्बों का जोड़ा जाना	Attaching of Compartments to Amritsar Express	86
7497.	राजस्थान में लघु उद्योग	Small-Scale Industries in Rajasthan	87
7498.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में रूसी क्रांति की वर्षगांठ	Anniversary of Soviet Revolution in Bharat Heavy Electricals Limited Hardwar	87
7499.	मैसर्स एगरिंड फैबरिकेटर्स लिमिटेड कलकत्ता की सम्पत्ति का औद्योगिक वित्त निगम के पास गिरवी रखाजाना	Mortgage of Property of M/s Agrind Fabricators Ltd. Calcutta with Industrial Finance Corporation	88

अत०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7500.	फरक्का बांध परियोजना के पूरा हो जाने पर कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देना	Alternative Employment of Employees on completion of Farakka barrage Project	89
7501.	रेलवे सेवा आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Member for Railway Service Commissions	89
7502.	पश्चिम बंगाल में पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन सम्बन्धी राज सहायता	Transport subsidy for setting up Industries in backward districts of West Bengal	89
7503.	कारों का वितरण	Distribution of Cars	90
7504.	राज्यों में सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर खर्च की गई राशि	Amount spent on Irrigation and Power Schemes in States	91
7505.	पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में माथाभंगा कस्बे में नदी द्वारा भूमि का कटाव	River erosion in Mathabhanga town in Cooch-behar, West Bengal	91
7506.	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) तथा अन्य रेलवे के सिगनल और दूर संचार शाखा के 'रेस्ट गिवर' और 'लीव रिजर्व' कर्मचारी	Rest Giver and Leave Reserve Staff for S & T Branch, Jaipur Division (Western Railway) and other places of Indian Railways	92
7507.	विधि और न्याय मंत्रालय में उप-सम्पादकों के रिक्त पद	Rosts of Sub-editors lying vacant in Ministry of Law and Justice	92
7508.	पूर्वी रेलवे के धनबाद स्टेशन (बिहार) पर राजधानी एक्सप्रैस का रोका जाना	Stoppage of Rajdhani Express at Dhanbad Railway Station	93
7509.	बिहार में उद्योग	Industries in Bihar	93
7510.	लघु उद्योगों का विकास करने हेतु भारत तथा डेनमार्क के बीच समझौता	Agreement between India and Denmark for Development of Small Industries	94
7511.	उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना स्थापित किया जाना	Establishment of H.M.T. Unit in U.P.	94
7512.	आसाम में रेल लाइन पर बम विस्फोट	Mine Explosion on Railway Track in Assam	95
75 3.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स हरिद्वार में परियोजना भत्ते का कम किया जाना	Reduction of Project Allowance in Bharat Heavy Electricals, Hardwar	95
7514.	औद्योगिक एककों के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into the working of Industrial Units	95

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7515.	पश्चिम बंगाल में माल गाड़ियों का अपहरण	Hijacking of Goods Trains in West Bengal	96
7516.	रेलवे में अपराधों को रोकने के लिए राज्यों से सहायता	Assistance from States to prevent Commission of crime in Railway	97
7517.	गया में रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक में पूर्वी रेलवे, धनबाद के रेल अधिकारियों के विरुद्ध पारित संकल्प	Resolution passed at mass meeting by Railwaymen at Gaya against Railway Officers at Dhanbad Eastern Rlys.	97
7518.	पश्चिमी बंगाल में सिंचित क्षेत्र	Irrigated area in West Bengal	98
7519.	दिल्ली में 15 जुलाई को हुए प्रदर्शन में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों को दी गई सुविधायें	Facilites provided to Railway Employees who participated in 15th July demonstration held in Delhi	98
7520.	बंगलौर में आयोजित आल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का सम्मेलन	Conference of All India Station Masters Association held at Bangalore	99
7521.	बरौनी गढ़हरा क्षेत्र के नैमित्तिक कर्मचारियों का बहाल किया जाना	Re-instatement of casual workers of Barauni-Garhara area	99
7522.	पूर्वी रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा सामूहिक याचिकायें	Mass petitions by Railwaymen of Eastern Railway	100
7523.	कच्चे माल की कमी के कारण चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस के उत्पादन में कमी	Decrease in production in Chittaranjan Locomotive works due to scarcity of raw materials	100
7524.	धनबाद डिवीजन में कोयला वैगनों को भेजने में भ्रष्टाचार	Corruption in the despatch of coal Wagons in Dhanbad Division	101
7525.	पश्चिम बंगाल की बुरहानपुर स्थित पुलिस बैरक से चुराई गई रेल पटरियों, लकड़ी के शहतीरों का बरामद किया जाना	Recovery of Stolen Rauls, Wooden Sleepers etc. from Police Barrack at Berhampur, West Bengal	101
7526.	रेलवे में मितव्ययिता तथा कार्य-कुशलता	Economy and Efficiency in Railway	101
7527.	मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रयुक्त नदियों का पानी	River Water used in Madhya Pradesh for Irrigation Purposes	104
7528.	मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचित भूमि का अनुपात	Ratio of Irrigated area to total cultivable area in Madhya Pradesh	105
7529.	दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थानीय यातायात	Local Traffic in Delhi, Calcutta, Bombay, and Madras	106

अत०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7530.	वस्तर जिले में नारायणपुर-ढल्ली राजहार रेलवे लाईन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन	Railway Line fesibility study of Narayanpur-Dhalli Rajhara in Bastar District	106
7531.	शाहदरा-सहारनपुर रेलवे को पुनः आरम्भ करना	Revival of S. S. Railway	106
7532.	सारना सीमा तक गंडक नदी के तट का मार्ग-रेखन	Alignment of Banks Gandak River up to Saran Border	106
7533.	काबेरी जल विवाद	Cauvery Water Dispute	107
7534.	छोटे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, शौचालयों तथा मुत्रालयों में गन्दगी रहना	Waiting Rooms, Latrines and Urinal remaining dirty in Small Stations	107
7535.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में कमी	Fall in Industrial Production in West Bengal	108
7536.	सहकारी क्षेत्र में शराब बनाने के कारखाने स्थापित करना	Setting up of Wine Plants in Cooperation Sector	108
7537.	पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में हुई रेलों को क्षति	Damage suffered by Trains in West Bengal, Bihar and Assam	109
7538.	सीमेंट उद्योग का प्राथमिकता सूची से निकाला जाना	Exclusion of Cement Industry from Priority List	110
7239.	मनीपुर में खादी के कपड़ों का उत्पादन	Production of Khadi Clothes in Manipur	110
7540.	कानून सम्बन्धी पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Law Books in Regional Languages	111
7541.	बीबीनगर के रास्ते नाडीकुडे से सिकन्दराबाद तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Nadikude to Secunderabad via Bibinagar	111
7542.	केन्द्र सरकार की ओर से आन्ध्र प्रदेश खादी ग्राम उद्योगों तथा खादी बोर्ड को दिया गया ऋण और अनुदान	Loans and grants given to Andhra Khadi Village Industries andKhadi Board from Central Government	112
7543.	उत्तरी रेलवे मुख्यालय स्थित रेलगाड़ी स्थान आरक्षण (परिचालन शाखा) के कर्मचारियों और शाखा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Staff and Branch Officer, Trains Reserved Accommodations (Operating Branch) Northen Railway	112
7544.	दक्षिण पूर्वी रेलवे पर उड़ीसा में सोरो स्टेशन पर हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रेस गाड़ी के निर्धारित स्टापेज का रद्द किया जाना	Cancellation of Scheduled Stoppage of Howrah. Hyderabad Express at Soro Station, Orissa on South Eastern Railway	113

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7545.	दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन के रेलवे स्टेशनों में ऊपरी पुल	Overbridges at Railway Stations in Khurda Division (South Eastern Railway)	113
7546.	विस्फोटकों से होने वाली रेल दुर्घटनायें रोकने के लिए किए गए उपाय	Steps devised to avoid Trains Accidents due to explosive	113
7547.	कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी रेल लाईन	Broad gauge line from Cochin to Trivanderum	114
7548.	गोआ की सिलाउलिम सिंचाई परियोजना के लिए मंजूरी	Sanction to Goa's Selaulim Irrigation Project	114
7549.	एकाधिकार को रोकने तथा उसे समाप्त करने के लिए संविधान का संशोधन	Amendment of Constitution to Curb and eliminate Monopoly	115
7550.	आंध्र प्रदेश के वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries based on forest resources in Andhra Pradesh	115
7551.	भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही	Action taken on demands of Signal and Telecommunication Staff on Indian Railways	115
7552.	उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के चितौड़ा ब्लाक में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estate in Chittaura bloc of Bahraich District (Uttar Pradesh)	116
7553.	विदेशी सहयोग से टेनिस बालों का बनाया जाना	Manufacture of Tennis Balls with Foreign Collaboration	116
7554.	मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स को पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ट्रैक्टर का निर्माण करने के लिए लाइसेंस देना	Issue of licence to M/S Kirloskar Bros with West German Collaboration for manufacture of Tractors	116
7555.	पेराम्बूर स्थित कैरिज वर्कस के लिए मशीनरी तथा संयंत्र	Machinery and Plant for Carriage Works at Perambur	117
7556.	दक्षिण रेलवे में रेलवे लाइन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर सड़क वाले ऊपरी पुलों का निर्माण	Road Overbridges on National Highway No. 45 across Railway Lines (Southern Railway)	119
7557.	रेलवे लाइन एम्पाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का परिसमापन	Liquidation of Northern Railway Employees Cooperative Credit Society Lsmited	120
7558.	पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग	Paper Industry in Eastern U.P.	121
7559.	भारतीय रेलवे की विकास योजना	Development Plan on Indian Railways	121
7560.	भारतीय रेलवे में तेज चलने वाली गाड़ियां आरम्भ करने के लिये विदेशी तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना	Import of Technique for Introduction of high speed Trains for Indian Railways	121

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7561.	भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार कर्मचारी संघ द्वारा मांगपत्र	Charter of Demands by Indian Railway Signal and Tele Communication staff Association	122
7562.	उड़ीसा के कोरापुट जिले में आदिम जाति के परिवारों की अधिग्रहीत की गई की भूमि का मुआवजा देना	Compensation to tribal Families whose Lands were acquired in Koraput District of Orissa	123
7563.	दक्षिण पूर्व रेलवे पर बागड़ी तथा धनमण्डलों के बीच बागड़ी थेंगडा पर एक नया रेलवे स्टेशन खोलना	Opening of New Sation at Bagri Thengada between Bagri and Dhanmandal Stations on South Eastern Railway	123
7564.	पिंजौर स्थिति हिन्दुस्तान मशीन टूलस में ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors in H. M. T. Pinjore	123
7565.	ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्विति विभाग का स्थानान्तरण	Transfer of implementation cell of Eleven Point Programme	124
7566.	स्टोर नियन्त्रक के कार्यालय (पूर्वी रेलवे) में मुख्य लिपिक के पद के लिए अनुसूचित जन जाति का उम्मीदवार	Scheduled Tribes Candidate for the Post of Cheif Clerk, Controller of Stores Office (Eastern Railway)	124
7567.	हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में उत्पादन में कमी	Fall in productin in Hindustan Cables Limited Rupnarainpur (West Bengal)	125
7568.	विद्युत मितव्ययिता समिति की उप समिति के प्रतिवेदनों का छापा जाना	Printing of reports of Sub-Committee of Power Economy Committee	125
7569.	कागज की लुगदी बनाने वाली मशीन का निर्माण करने के लिए लाइसेन्स जारी करना	Issue of licenses for manufacture of Paper Pulp making machinery	126
7570.	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु	Retirement of Judges of Supreme Court and High Courts	126
7571.	स्वतन्त्रता समारोह का बहिष्कार करने को तमिलनाडु सरकार की कथित धमकी	Alleged threat of Tamil Nadu Government to Boycott Independence Day function	127
7572.	ट्रैक्टरों के मूल्यों के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग	Tariff Commission on Tractor prices	127
7573.	आयातित माल के प्रतिस्थान हेतु ट्रैक्टर उद्योग पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on Tractor Industry for Import Substitution	128
7574.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors	129

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attantion to Matter of Urgent Public Importance	129
आसनसोल जेल में कैदियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का कथित समाचार	Reported Police firing on prisoners in Asansol Jail	129
श्री कृष्ण हाल्दर	Shri Krishna Halder	129
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	131
विशेषाधिकार का प्रश्न	Re-question of Privilege	134
माल्दा जिले में बाढ़ की स्थिति के बारे में	Re, Flood Situation in Malda district	134
भारत सोवियत संधि के बारे में चर्चा	Re. Discussion on Indo-Soviet Treaty	135
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	140
तीसरा तथा छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Third and sixth Reports and Minutes	140
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	141
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	141
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	Committee on Subordinate Legislation	141
प्रथम प्रतिवेदन	First Report	141
फ्लाइंग क्लबों में बढ़े हुए शुल्क के विरुद्ध अभ्यावेदन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य डा० सरोजिनी महिषी	Statement correcting answer to S. Q. No. 439 re. representation against increased fees in Flying Clubs Dr. Sarojini Mahishi	142
पंजाब में बड़े पैमाने की नई परियोजनायें स्थापित करने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1534 पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting answer to supplementry to S.Q. No. 1534 re.setting up of New large scale projects in Punjab	142
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghan Sham Oza	142
भारतीय गणतन्त्र तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि के बारे में विदेश मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motion re Statement of Minister of External Affarirs on Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation	143
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh	143
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	143
श्री शंकर दयाल शर्मा	Shri S. D. Sharma	144

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee	143
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	147
श्री कृष्णन् मनोहरन	Shri K. Manoharan	148
श्री आ० के० सिंह	Shri R. K. Sinha	149
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	149
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	151
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	163
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	155
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	156
श्री फ्रेंक एंथनी	Shri Frank Anthony	157
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V.K.R.V. Rao	158
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	169
श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर	Shri Nimbalkar	160
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austian	160
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. Melkote	161
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	162
श्री एम० मोहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	162
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	162
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Shri S. L. Saksena	164

लोक-सभा
LOK SABHA

लवार, 10 अगस्त, 1971/19 श्रावण, 1893 (शक)

Tuesday, August 10, 1971/Sravana 19, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को अपने दो मित्रों श्री धीरेन्द्र कांत लाहिरी चौधरी और श्री एम० पी० सिन्हा की दुखद मृत्यु की सूचना देता हूँ।

श्री चौधरी 1926 से 1947 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। उनका देहान्त 3 अगस्त 1971 को कलकत्ता में हुआ।

श्री एम० पी० सिन्हा 1946 से 50 तक संविधान सभा के सदस्य थे। उनका देहान्त 9 अगस्त 1971 को नई दिल्ली में हुआ।

हम इन दो मित्रों की मृत्यु पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक-संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजने में मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा व्यक्त शोक भावनाओं में सम्मिलित होती हूं। श्री लाहिरी का जीवन-वृत अनेक नई-पुरानी घटनाओं से भरा हुआ था। वह मेरे पितामह पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोगी थे। विभाजन के बाद उनका जन्म-स्थान पाकिस्तान में आ गया। वे बंगला देश की जनता के लिए ही जीवित रहे और उन्हीं के लिए कार्य करते रहे। वे उन लोगों में से थे जिन्हें अपना घर बार छोड़कर स्वतन्त्रता की खोज में भारत में शरण लेनी पड़ी।

श्री एम० पी० सिन्हा को हम सभी व्यक्तिगत रूप से जानते थे वे बिहार में हमारे दल के एक पुराने और वयोवृद्ध नेता थे जिनसे पूरा राष्ट्र परिचित था। उन्होंने 1930-39 से स्वतन्त्रता

आंदोलन में भाग लेना आरम्भ कर दिया था। राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त उनकी रुचि खादी और ऐसे ही अन्य कार्यों में थी।

हम उनकी मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि आप इन दो देश भक्तों के परिवारों तक हमारी गहरी सहानुभूति और संवेदना पहुंचा दें।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से इन स्वतन्त्रता-सेनानियों की, जिनकी सेवाओं का उल्लेख माननीय प्रधान मंत्री ने किया है, दुखद मृत्यु पर गहरा शोक तथा संवेदना प्रकट करता हूँ। मेरा आप से अनुरोध है कि आप शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक हमारा संवेदना सदेश पहुँचा दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, जब मुझे स्वर्गीय धीरेन्द्र कांत लाहिरी चौधरी के एकमात्र पुत्र श्री धृति कांत लाहिरी चौधरी का उनके पिता की मृत्यु के बारे में पत्र मिला तो मुझे वास्तव में आघात लगा। मुझे काफी समय से उन्हें जानने का अवसर मिला है और उनके पाकिस्तान से आने के बाद जब भी कभी मैं कलकत्ता जाता तो उनसे मिला करता। उन भेंट वार्ताओं के दौरान वे मुझे बतलाते थे कि श्री मोतीलाल नेहरू और देश के अन्य नेता किस प्रकार पार्लियामेंट में कार्य करते थे। वस्तुतः उन बातों से मुझे प्रेरणा मिलती थी। श्री सत्यनारायण सिंह को दो वर्ष का कारावास मिलने पर इन्हें ही केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। वह भारत में ही रहना चाहते थे किन्तु महात्मा गांधी के आदेश पर वे पाकिस्तान में रह गये और बंगला देश की जनता की सेवा करते रहे। वे स्वर्गीय महाराज त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती के अनन्य मित्र और साथी थे। उनकी मृत्यु से राष्ट्र तथा संसदीय प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियों को महान हानि उठानी पड़ी है।

मैं सदन के नेता द्वारा महेश बाबू के प्रति व्यक्त की गई भावनाओं में भी सम्मिलित होता हूं। अपने दल तथा अपनी ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ और आप से अनुरोध करता हूं कि आप शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दें।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : [Yesterday also we expressed our sorrow on the sad demise of one of the great men of Bihar. At that time, we had not the slightest idea that we will be missing among us another great man of Bihar so soon. To-day, we are expressing our deep sorrow on the death of two great men.

The Prime Minister and our friend Shri Banerjee have already talked of Mr. Chaudhury's great contribution in our freedom movement and parliamentary affairs. We will always remember him. But I would like to say something about the man with whom I had closest contacts, and I think hardly there is any member from Bihar who was not as much associated with him.

You are aware that the generation which grew along with Rajendra Babu, which promoted the cause of Congress and of which, so to say, we are the off-springs, is passing away and hardly there are one or two persons who remind us of that period. Mahesh Babu entered public life some 50 yeari ago. As Prime Minister has already stated, he had been actively participating in Freedom movement since 1930. I still remember the stories narrated to us that when in 1930 Gandhiji went there Mahesh Babu cut his hair with his own hands. Gandhiji also used to stay with him. I feel he was a man of special characteristics and men of his type are very rare. He had never injured anybody's feelings and even his rivals and opponents never had any chance to say that they were not well treated by him. He was always with a smiling face and he never lost his temper. I had never seen a man of his tolerance. He was a well-known leader of Bihar and

in almost every village people knew him. He too was well familiar with the people of almost all the villages. Many a time to save others he took the things upon himself. He used to take risks to save others· I have rarely seen a man of his regularity. We had never thought that a man of such a regulated life would pass away so early, although he died at the age of 70. He was very popular in Bihar for a long time and I think in future to he will be remembered with respact. People come and go but they are remembered by their deeds. I was like a member of his family and as such I am not here to observe the formalities of paying condolences to his family. May his soul rest in peace and the State of Bihar may be able to stand this great loss.

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur): Mr. Speaker, although death is a must but the untimly death of the great men of the country is painful and heart rending. Thus the sad demise of Shri Chaudhury and Shri Sinha is very painful and shocking. Their services in the progress of the country and achievement of freedom for our nation is well known. I, on behalf of my party and myself, request you to convey our condolences to the bereaved families.

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : अध्यक्ष महोदय, हमें पुराने गांधीवादी और बिहार के नेता श्री धीरेन्द्र कान्त लाहिरी चौधरी की मृत्यु के समाचार से दु:ख पहुंचा है। मेरा दल भी शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में सम्मिलित होता है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : महोदय, मैं तथा मेरा दल सभा में प्रकट की गई भावनाओं में सम्मिलित होते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप शोक-संतप्त परिवारों को हमारे दो साथियों की मृत्यु पर हमारी ओर से शोक-संदेश पहुंचायेंगे।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : स्वतन्त्रता सेनानियों की वह पीढ़ी जिसने गांधीवादी अहिंसा को अपना कर स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ा था, प्राय: समाप्त होती जा रही है। महेश बाबू और श्री धीरेन्द्र कान्त लाहिरी चौधरी, ये दो महान स्वतन्त्र सेनानी स्वतन्त्रता के युद्ध में हमारे साथी थे। मैं उन्हे भूला नहीं सकता। मुझे समाचार पत्रों में उनकी मृत्यु का समाचार पढ़कर गहरा आघात लगा। महेश बाबू बिहार के एक महान नेता थे और वह उन लोगों में से थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आगमन पर चम्पारन सत्याग्रह में बढ़चढ़ कर भाग लिया था। मैं उन्हें बहुत लम्बे अरसे से जानता था। वह खूब स्वस्थ थे। मैं उनकी इतनी शीघ्र मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं सका। कृपया शोक-सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दें।

श्रीमती एम० गाडफ्रे (नामनिर्दिष्ट—आंग्ल-भारतीय) : महोदय, हालांकि मेरा स्वर्गवासी सदस्यों से परिचय नहीं था, मैं अपनी तथा अपने ग्रुप की ओर से प्रधानमंत्री तथा सभा के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं में सम्मिलित होती हूँ और चाहती हूँ कि शोकसन्तप्त परिवार तक हमारी सहानुभूति सम्प्रेषित की जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सदस्य शोक प्रकट करने के लिए थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हो जायें।

तत्पश्चात सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

पश्चिम बंगाल में तारों की चोरी और रेल सेवा बिगड़ने के मामलों की जांच करने सम्बन्धी समिति

+
***1651. श्री के० मालन्ना :**
श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में तारों की चोरी रोकने और रेल सेवाओं में गड़बड़ी को भी समाप्त करने के उद्देश्य से एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करेगी; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० मालन्ना : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रेलों पर गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में आवश्यक सामान लाने ले जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री हनुमन्तैया : इन चोरियों को रोकने के लिये कई उपाय किये गये हैं। इसके लिये रेलवे सुरक्षा दल को सचेत कर दिया गया है तथा राज्य सरकार की पुलिस का सहयोग भी प्राप्त किया गया है। यदि सभा की इच्छा हो तो मैं उसके आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। पुलिस इसके लिये बहुत महत्वपूर्ण उपाय कर रही है। मई, 1971 में पूर्व रेलवे में 23 मुठभेड़ें हुई थीं, जिसमें 11 अपराधी मारे गये तथा उतने ही घायल हुये थे। उससे अगले महीने 20 सशस्त्र मुठभेड़ें हुई जिनमें 11 अपराधी मारे गये तथा 5 घायल हुये। 14 जुलाई, 1971 तक 9 ऐसी मुठभेड़ें हुई थी जिनमें 3 अपराधी मारे गये थे तथा इतने ही घायल हुये थे। ये लोग, जो चोरी करने आते हैं, हथियारों से लैस होते हैं और वे पुलिस पर हमला कर देते हैं। इस प्रकार उनके साथ लगभग नियमित रूप से मुठभेड़ें होती रही हैं तथा पिछले तीन महीनों में 30 लोगों को गोली से मारे गये हैं तथा 17 रेलवे सुरक्षा दल के आदमी घायल हुये हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपराधियों तथा चुराई गई सम्पत्ति को लेने वालों को गिरफ्तार करने के उपाय किये हैं। अभी तक 412 अपराधी तथा चोरी की गई सम्पत्ति को लेने वाले 12 लोगों को पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियां निवारण) अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया है। इन उपायों के किये जाने से अपराधों में कमी हुई हैं। इसको पूर्ण रूप से रोकने में हमें कुछ महीने और लगेंगे।

श्री के० मालन्ना : चोरी की सम्पति लेने वाले ही मुख्यतः इस प्रकार की चोरियों तथा माल डिब्बों को लूटने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चोरी की सम्पत्ति को लेने वालों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हनुमन्तैया : मैंने उनके आंकड़े बताये हैं। हमने न केवल माल डिब्बे लूटने वालों के विरुद्ध वरन् चोरी की सम्पति लेने वाले लोगों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्यवाही की है।

Conversion of Samastipur-Raxaul Railway Line via Muzaffarpur into Broad Gauge

***1653. Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state the reasons for which Government do not propose to convert the Samastipur-Raxaul line via Muzaffarpur into a broad gauge line particularly when much more expenditure is involved in the proposed conversion of Samastipur Raxaul line via Darbhanga into broad gauge line ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : समस्तीपुर-रक्सौल मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा होकर जाने वाले दोनों वैकल्पिक मार्गों की सर्वेक्षण रिपोर्टों की अभी जांच हो रही है।

Shri K.M. Madhukar : Mr. Speaker, Sir, It has become a political issue because Divisional Head Quarters of Muzaffarpur was shifted to Samastipur on account of political pressure of Chief Minister. This question has been raised at a time when it is a known fact that Muzaffarpur city is headquarter of Tirhut commissionery and is a very big business centre in the whole of north Bihar. In the survey report brought out by you it has been stated that Railway line from Samastipur via Muzaffarpur will be more economical and useful. I would like to ask Hon. Minister whether he would agree with the suggestion made in the survey report that broad gauge line from Samastipur via Muzaffarpur will be more economical or whether a decision would be taken on political considerations. I will also like to know whether it has been suggested in the survey report that the Railway line from Muzaffarpur to Samastipur would be more economical ?

श्री हनुमन्तैया : मैं यह निस्संकोच मानता हूँ कि समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली लाइन, दरभंगा होकर जाने वाली लाइन की तुलना में, अधिक लाभकारी है। किन्तु सभी दृष्टियों से यह लाभकारी प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि न तो मेरे ऊपर कोई राजनैतिक दबाव है और न ही ऐसा कोई दबाव मुझे प्रभावित कर सकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वास्तविक कठिनाई धन की है। ऐसे स्थान जहाँ पर रेलवे लाइन की जरूरत है, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, उसके लिये भी धन की आवश्यकता होती है। योजना के अन्तर्गत नई लाइनें बिछाने तथा लाइनों को बदलने के लिये धन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिये मैंने 250 करोड़ रुपये की मांग की है। जब भी हमें धन राशि मिल जायेगी तभी इस पर विचार किया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड चाहे किसी परियोजना को आरम्भ करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में निर्णय ले ले तब भी जब तक उसके लिये बजट में तथा योजना में व्यवस्था नहीं की जाती, उसे आरम्भ नहीं किया जा सकता।

Shri K.M. Madhukar : The Minister has not answered my question. You have admitted that the Broad Gauge Railway line via Muzaffarpur will be more economical as compared to the Railway line via Dharbhanga. Now you are talking about money to finance the project. But such project like the railway line via Muzaffarpur should be given priority. You have also assured that you will not yield to political pressure. And I want to ask as to when the necessary action is expected to be taken in this case and whether the Broad Gauge Railway Line from Samastipur via Muzaffarpur would be laid during the Fourth Plan period or not ?

श्री हनुमन्तैया : मेरे माननीय मित्र यदि इसका निश्चित उत्तर चाहते हैं तो उन्हें निराशा ही होगी। मैं इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ नहीं कर सकूंगा।

Shri Yamuna Prasad Mandal : It is not correct that Divisional Headquarter has been shifted to Samastipur due to political pressure, as has been stated by an hon. Member.

Mr. Speaker : You may please ask the question.

Shri Yamuna Prasad Mandal : The question of political pressure does not arise. With a population of 54 lakh it is the most densely populated and strategic area of the region and taking into consideration the commercial undertakings in that area if we have to spend a little more it would be worth while to lay a Broad Gauge line in this area. Will the Hon. Minister give due consideration to it ?

Mr. Speaker : You are answering his question and not asking one.

Shri N.N. Pandey : The Hon. Minlster had set up a committee togo into the question of the conversion of meter gauge line into Broad Gauge line, the report of which has received by 31st. July, wherein a suggestion was made to link Uttar Pradesh and Bihar and the conversion of Narrow Gauge Line into Broad Gauge Line which had been accepted by him. I would like to know whether you propose to formulate a scheme on the basis of this report ?

Mr. Speaker : He has already replied in negative in this case.

श्री एन०एन० पाण्डे : मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में एक समिति बनाई गई थी तथा उसका प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को प्राप्त हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री का इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है। इस सम्बन्ध में उन्होंने इसका उत्तर मुझे एक पत्र द्वारा भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : जब वे उसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं तो क्या आपका विचार है कि वे अब कुछ भिन्न उत्तर देंगे ?

श्री हनुमन्तैया : मैं आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय सर्वेक्षण तकनीकी प्रतिवेदनों से है। किन्तु इन प्रतिवेदनों से लाइन बिछाने का कार्य पूरा नहीं हो जायेगा। उसके लिये धन भी चाहिये।

24 परगना, पश्चिम बंगाल में नदी बेसिनों की सिंचाई क्षमता का बढ़ाया जाना

***1654. श्री माधुर्य हालदार :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 परगना पश्चिम बंगाल में समूचे रूप से नदी बेसिनों की सिंचाई क्षमता बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : 24 परगना जिले में किसी वृहत् अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री माधुर्य हालदार : अब चूंकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन है अतः सिंचाई के मामलों की देखभाल केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। 5 अगस्त, 1971 को कृषि मंत्री ने मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 1607 के उत्तर में

कहा था कि 24 परगना में केनिंग अनुसन्धान केन्द्र, जो नमकीन जल में धान पैदा करने के बारे में अनुसन्धान का आयोजन करता है, को पता चला है कि नमकीन जल में जिप्सम और ढींचा मिलाकर 24 परगना के नमकीन जल का उपयोग धान की फसल पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसी लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 24 परगना की नदियों के जल का उपयोग धान की फसल पैदा करने के लिए किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने क्या व्यवस्था की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया है 24 परगना किसी बृहत् अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है क्यों कि वहां की नदियों का जल नमकीन है। उस क्षेत्र में सिंचाई का केवल एक तरीका है कि छोटे तालाबों, उथले नलकूपों और गहरे नलकूपों से सिंचाई की जाए और यही तरीका अपनाया जा रहा है क्या नमकीन जल का उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। इस प्रश्न का उत्तर कृषि मन्त्री दे सकेंगे।

श्री माधुर्य हालदार : 24 परगना के लिए छोटी सिंचाई की कितनी योजनाएं हैं ?

डा० के० एल० राव : 24 परगना में आवश्यक समस्या जल-निकासी बाढ़ नियंत्रण और आप्लावन को रोकने की है। इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण कार्य उपर्युक्त है न कि छोटी परियोजनाओं द्वारा सिंचाई करना।

माननीय सदस्य ने छोटी सिंचाई योजनाओं की संख्या के बारे में जानना चाहा था। वहां लगभग 192 गहरे नलकूपों और 240 उथले नलकूपों का निर्माण किया गया है। छोटे तालाब अथवा छोटे जलाशय बनाने के बारे में कुछ प्रस्ताव मेरे मन्त्रालय को नहीं बल्कि कृषि मन्त्रालय को प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया है मुख्य समस्या जल-निकासी, जल निकालने की स्लूसों और नालियों के निर्माण करने की है। पूरे क्षेत्र को 33 बेसिनों में बांटा गया है और लगभग आधे में कार्य पूरा कर लिया गया है अथवा वहां निर्माण कार्य चल रहा है तथा शेष आधे क्षेत्र में अभी जांच कार्य किया जाना है।

श्री माधुर्य हालदार : मन्त्री जी ने जो समस्या बताई है ऐसी कठिनाई वहां वर्षा ऋतु में होती है। उस ऋतु के बाद सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिवर्ष वहां नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाता है, यदि हां तो क्या कोई स्थायी नीति तैयार की जाएगी जिससे बांध नष्ट होने से बचाये जा सकें ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नदियां हैं और छोटे नाले हैं जिन पर बांध निर्माण करके उन्हें आप्लावन से बचाया जाना है। सच तो यह है कि वहां बड़ी संख्या में बांध हैं जो कि मीलों में फैले हुए हैं। उन बांधों में प्रति वर्ष दरारें आ जाती हैं क्योंकि उनका रख-रखाव बड़ा कठिन होता है। कुछ समय पूर्व बहुत बड़े क्षेत्र को मिलाकर एक व्यापक योजना तैयार की गई थी तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं तथा इस योजना पर तकनीकी व्यक्तियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

New Catering System on Indian Railways

*1655. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any new catering system has been introduced on the Railways;

(b) if so, the reasons for replacing the system existing hitherto; and

(c) the number of employees affected adversely as a result thereof ?

Dr. Laxminarain Pandey : Sir, while replying to the original question the Honourable Minister has stated "Question does not arise." But for his information I would like to state that in Ratlam and Kota Divisions catering system has been considerably changed. Would he find out since when it has happened ?

श्री हनुमन्तैया : प्रश्न यह है कि क्या कोई नई खान-पान प्रणाली चालू की गई है । कई समितियों ने बहुत से सुधार लागू करने के प्रश्न पर विचार किया है । मेरे रेल मन्त्री बनने के बाद खान-पान की नई प्रणाली लागू करने के बारे में मैंने कोई कार्यवाही नहीं की है । इसीलिए मैंने 'नहीं' में उत्तर दिया है ।

Dr. Laxminarain Pandey : Just now the Minister has stated that after his taking over charge as Railway Minister he has not taken any step to introduce any new system of catering. But as I have stated earlier the Railway catering system has been changed considerably and in view of that whether the Railway Minister would like to throw light on it or whether Government propose to change the present catering system.

श्री हनुमन्तैया : खान-पान प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं। उसमें कुछ कमियां थीं और पिछले दिनों श्री परिमल घोष की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने कुछ उपायों का सुझाव दिया था और कुछ सिफारिशें की थीं। हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है । उन पर अमल किया जा रहा है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या माननीय मन्त्री यह जानते हैं कि खान-पान की वर्तमान प्रणाली कुछ भी हो यहां पर रेलवे द्वारा रियायती दर पर दिये जाने वाले खाने की तुलना में रेलों में दिया जाने वाला खाना बहुत ही गन्दा होता है । यह बड़ी ही लज्जाजनक स्थिति है । क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वह इन दो बातों में से एक बात कर सकेंगे या तो वे इस खाने की किस्म में कमी करके हमें वही खाना उपलब्ध कराएं जो कि सर्वसाधारण व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है अथवा हमें यहाँ जो खाना उपलब्ध कराया जाता है वही खाना सर्वसाधारण को उपलब्ध कराया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रश्न की गंभीरता की ओर ध्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अलग सूचना भेजने का अनुरोध करूंगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : माननीय मन्त्री ने कहा है कि खान-पान की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इसलिये मैंने उक्त प्रश्न किया था । कम मूल्य में हमें अच्छा भोजन दिया जाता है । सर्वसाधारण व्यक्ति को ऊंची कीमत देने पर भी अच्छा भोजन नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता । माननीय सदस्य वकील हैं, मैं उन्हें प्रश्न करने से रोक नहीं सकता ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह एक प्रणाली है जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है । माननीय मन्त्री जी ने यही उत्तर दिया है । मैं मन्त्री जी से उस अन्तर के बारे में जानना चाहता हूं जो आया है । यहां हमें कम मूल्य में अच्छा खाना दिया जाता है । सर्वसाधारण को जो ये खाना देते हैं वह अच्छा नहीं होता । उसका दाम भी अधिक लगाया जाता है । रेलवे द्वारा सर्वसाधारण को दिये जाने वाले खाने में सुधार करने के लिए क्या वे उचित कदम उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ये सब सामान्य प्रश्न हैं और इन्हें रेलवे मंत्रालय की माँगों पर चर्चा के समय उठाया जा सकता है। मेरी राय में अब अगले प्रश्न पर चर्चा की जानी चाहिये ।

श्री जोरदार ।

Shri Hukam Chand Kachhawai : Sir, I may be allowed to put up a supplementary question. It is an important matter and through you I want to invite Govt's attention towards it and to explain the malpractice previling there... *(Intrruption)*

Mr. Speaker : Order, Order. What is this going on. All of you are speaking at a time.

Shri Hukam Chand Kachhawai : Sir, I may be given chance to put up questions as I am waiting for it for a long time.

Shri Onkar Lal Barua : After him I also want to put up a question . . . . *]Interruption)*.

अध्यक्ष महोदय : इसका अभिलेख नहीं रखा जाएगा । अलग प्रश्न ।

Shri Hnkam Chand Kachhawai : **

उत्तरी बंगाल में कागज-मिलें

+
***1656. श्री दिनेश जोरदार :**
श्री आर० पी० दास :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बंगाल में स्थायी प्रकार के कुछ उद्योग स्थापित करने कि किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल में उपलब्ध कच्चे माल जैसे बांस और "सबेरी घास" आदि से वहाँ कागज मिलें स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

**Not recorded

विवरण

(क) से (ग) इस मंत्रालय का उत्तर बंगाल में इस वक्त कोई विशिष्ट उद्योग स्थापित करने का विचार नहीं है, ऐसा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का कार्यक्रम उत्तर बंगाल में एक कागज का कारखाना 'तथा एक प्रेसिजन वाच फैक्टरी' स्थापित करने का है। अभी हाल ही में वहां के कुछ जिलों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर धन मिल सके। पश्चिम बंगाल से चुने गये जिले ये हैं, कूच बिहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दीनाजपुर, माल्टा, मिदनापुर, पुरुलिया, वाकुन्ड़ा तथा मुर्शिदाबाद, प्रथम चार उत्तर बंगाल में हैं। आशा है कि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये उद्यमी तथा राज्य अभिकरण वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठायेंगे।

श्री दिनेश जोरदार : मैंने माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य देख लिया है। केन्द्रीय सरकार को अपने उत्तरदायित्व से बचाने के लिये यह उत्तर बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण है। इस वक्तव्य से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर बंगाल में कोई भी उद्योग स्थापित करने का कोई दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहती तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं की सहायता से एक कागज उद्योग तथा एक 'प्रेसिजन वाच फैक्टरी' स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उत्तर बंगाल के ज्यादातर जिलों को पिछड़े जिले घोषित कर दिया गया है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि इस क्षेत्र में जूट, चाय, आम, रेशम, बांस की लकड़ी आदि कच्चे माल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा उत्तर बंगाल के पिछड़े पन को दूर करने के लिये वहाँ स्वयं ही उद्योगों की स्थापना करने का दायित्व अपने ऊपर लेगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : राज्य उद्योग स्थापित करके सभी क्षेत्रों की असमानताओं को दूर नहीं कर सकता। हाल ही में राज्य ने क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये कार्यवाही की है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर बंगाल सहित सम्पूर्ण भारत में रियायती वित्त पोषण के लिये कुछ स्थानों का चयन किया गया था। इसमें उत्तरी बंगाल के चार जिले आते हैं। उत्तर बंगाल के एक जिले पुरुलिया का भी चयन किया गया है।·········

श्री दिनेश जोरदार : पुरुलिया तो उत्तार बंगाल में नहीं है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : ठीक है यदि पुरुलिया उत्तर बंगाल में नहीं है तो कम से कम वहाँ चार जिले तो हैं ही जिनका रियायती दरों पर वितपोषण किया जायेगा।

श्री दिनेश जोरदार : केन्द्रीय सरकार को उत्तार बंगाल में सरकारी क्षेत्र में कागज उद्योग तथा 'प्रेसिजन वाच फैक्टरी' लगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने में क्या कठिनाई हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहाँ तक कागज उद्योग का प्रश्न हैं, जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम स्वयं एक कागज का कारखाना स्थापित करने का विचार कर रहा है। जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है हमारे निगम के पास काफी कार्य है और हमारे पास कागज का नया कारखाना लगाने के लिये पर्याप्त धन नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री महोदय के इस कथन को कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का उत्तर बंगाल में कागज का एक कारखाना और एक 'प्रेसिजन वाच

फैक्टरी' स्थापित करने का कार्यक्रम है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योजना आयोग ने देश में कागज के कुल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तुलना में कागज का उत्पादन इस लक्ष्य से बहुत कम है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार अपने निश्चय पर पुनर्विचार करेगी और उत्तर बंगाल में सरकारी क्षेत्र में कागज का एक कारखाना लगायेगी ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह सच है कि कागज की कमी है । इसीलिए हम सरकारी क्षेत्र में कुछ परियोजनायें स्थापित कर रहे हैं । हमने गैर-सरकारी कारखानों को विस्तार की अनुमति दे दी है और कागज के कारखाने लगाने के लिए हमने बहुत से आशय-पत्र भी दिये हैं ।

जहां तक बंगाल में कागज उद्योग का प्रश्न है, यह देखना है कि क्या वहां पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल सकता है अथवा नहीं । अधिकांश कागज कारखाने इस समय कच्चे माल के लिए आसाम पर निर्भर हैं । आसाम स्वयं कागज के बहुत से कारखाने लगाने जा रहा है और यह आशंका है कि क्या बंगाल के वर्तमान कारखानों का बंगाल में उपलब्ध कच्चे माल से काम चल सकेगा अथवा नहीं । अतः इस बारे में एक सर्वेक्षण करना पड़ेगा । यह सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : उत्तर बंगाल में बहुत अधिक कच्चा माल है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को देखते हुए कि हम बहुत समय से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की बात सुनते आ रहे हैं फिर भी उत्तरी बंगाल को, जो कि पिछड़ा क्षेत्र है, सरकार से काफी सहायता नहीं मिली है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि यदि उत्तर बंगाल में उद्योगों के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास किया जाना है जिससे बिहार के समीपस्थ क्षेत्रों को भी जो कि अत्यन्त पिछड़े हुए हैं उसी सीमा तक लाभ होगा, क्या मंत्री महोदय योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों विशेशतः सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से सम्पर्क बनाए हुए हैं—क्योंकि डा० के० एल० राव उत्तर बंगाल के मामलों से बहुत हद तक सम्बन्धित रहे हैं—ताकि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये समायोजित योजना बनाकर समुचित प्रयास किया जा सके ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जैसा कि मैंने कहा है कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये हमने कतिपय जिलों को पिछड़े जिले घोषित कर दिया है ताकि उन क्षेत्रों के गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को कुछ रियायतें देकर उन क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में सहायता की जा सके । इसके अतिरिक्त हमने एक सचिवों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित की है जो बंगाल के औद्योगिक तथा इस क्षेत्र में उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करेगी । इस समिति में मंत्री मंडलीय सचिव, उद्योग सचिव, वित्त सचिव तथा प्रधान मंत्री के सलाहकार शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि यह समिति उत्तर बंगाल की समस्याओं सहित इन सभी समस्याओं की जांच करेगी । मैं स्वयं भी 20 अगस्त को कलकत्ता जा रहा हूं और वहां उच्चस्तरीय चर्चा करना चाहता हूँ और शायद उसके पश्चात् ही हम इस सम्बन्ध में विचार कर सकेंगे कि इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री बी० के० दास चौधरी : कृपया उत्तर बंगाल का भी दौरा कीजिएगा ।

Removal of Fans from Sleeper Coaches on North Eastern Railway

***1659. Shri Maha Deepak Singh Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether half of the passengers are deprived of the facility of fans due to removal of a fan each from the sleeper coaches on the North-Eastern Railway; and

(b) if so, the reasons therefore ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी नहीं। शयनों में पंखों की कुछ कमी है। यह मुख्यरूप से चोरी और उठाइगीरी के कारण है। ऐसी आनुषंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उत्पादन की देशी क्षमता भी अपर्याप्त है।

Shri. Maha Deepak Singh : Just now the Hon. Minister has stated that the main reason of the shortage of fans is theft. I want to know the reasons for which fans are stolen from the sleeper coaches only and not from the first class and second class compartments and are the thieves so strong that they kidnap even the conducter as often the conductor is not found there. How is it that thefts are committed in third class compartments only while they should be committed in the second class and first class compartments as only a few people travel by first class or second class ?

श्री हनुमन्तैया : माननीय मंत्री चोरी का तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। अपनी बात कहने का यह बहुत अधिक उचित ढंग नहीं है। मैं मानता हूँ कि कमियाँ हैं। रेलवे की सम्पत्ति की बड़े पैमाने पर चोरी होती है। हम इन चोरियों को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान भी मैंने देखा है कि अधिकतर डिब्बों से सामान चोरी चला जाता है, चाहे ये डिब्बे तृतीय श्रेणी के हों अथवा प्रथम श्रेणी के। केवल वातानुकूलित डिब्बों में ही सामान की कम चोरी होती है क्योंकि वहाँ सामान की देखभाल के लिए एक व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है अत: हम सबको इस स्थिति को रोकने के लिए सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी इसके लिए प्रयत्न करूंगा कि जहाँ तक सम्भव हो, चोरी चले गये पंखों तथा अन्य सुविधा की वस्तुओं को प्रति स्थापित किया जाये।

Shri Maha Deepak Singh : May I know as to whether the Minister has taken any administrative step to make good the shortage of Production Capacity ?

श्री हनुमन्तैया : रेलवे बोर्ड चाहता था कि इन वस्तुओं को किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास रखा जाये, परन्तु मैंने कहा था कि "इस खरीद का विकेन्द्रीकरण किया जाय।" दरअसल हरियाणा तथा पंजाब के इलाकों में बहुत से लघु उद्योग इन पंखों तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और मैंने खरीद को भी विकेन्द्रित कर दिया है ताकि इन वस्तुओं को उपलब्धता के आधार पर बाजार से खरीदा जा सके।

Shri Hukam Chand Kachhawai : There is not only one trouble in three tier coaches besides the shortage of fans, there is also a difficulty regarding the non-posting of conducters. Is it a fact that conducters of three tier coaches have been substituted by the attendents ? This gives way to another difficulty that these attendents are neither authorised to issue tickets nor to provide seats to passengers. This way the persons who want to get a seat by paying Rupees four and a half for the sleeper have to face a great difficulty. They have to go to the Guard. Do you want to put an end to this system which you have introduced in some zones ? Is it a fact that even proper water supply arrangements have not been made in these compartments ? What steps are being taken in this regard ?

श्री हनुमन्तैया : इसका वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है।

Shri Ram Deo Singh : Hon. Minister has stated that thefts are taking place in the

Railways on a large-scale and it appears from his statement that he is very serious to stop these thefts. May I know as to whether investigations into the cases of thefts in Railway have revealed that in 90 percent of the cases employees of the Railway Deptt. are involved ?

श्री हनुमन्तैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक हद तक सहमत हूँ। हो सकता है कि कुछ रेलवे कर्मचारी इन चोरियों में शामिल होते हों मैंने चोरी न होने देने के लिए कठोर अनुदेश जारी कर दिये हैं। आज प्रातः ही मैंने सतर्कता निदेश तथा पुलिस महानिरीक्षक तथा और कई सम्बन्धित लोगों को बुलाया था। मैंने उनसे एक परिपत्र जारी करने के लिए कहा है ताकि प्रत्येक जोन में चोरी के सम्बन्ध हैं जिम्मेदारी निश्चित की जा सके।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that in North-Eastern Railway the fans are stolen not from the moving trains but from the trains standing in yards ? If so, whether any special arrangements have been made to check them and if not. the action proposed to be taken in this regard ?

श्री हतुमन्तैया : यार्डों में हम रेलवे सुरक्षा दल के व्यक्ति रखते हैं, वहाँ गश्त भी लगाई जाती है। इस तरह के अन्य कई कार्य किये गये हैं ?

पूर्वी रेलवे में माल डिब्बे तोड़ने की घटनाएं

*1660. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में "वर्ष-वार" पूर्वी रेलवे में माल डिब्बे को तोड़ने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) गत दो वर्षों में "वर्ष-वार" पूर्वी रेलवे में माल डिब्बे तोड़े जाने के फलस्वरूप कितने मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई, नष्ट हुई या चोरी हुई;

(ग) माल डिब्बे तोड़े जाने की घटनाओं में कमी अथवा वृद्धि के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या रेलवे सुरक्षा दल के कुछ अधिकारियों के बारे में यह सन्देह है कि वे ऐसी समाज-विरोधी गतिविधियों में सहायता करते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) :

(क) 1969 =431
1970 =638
1971 (30 जून तक) =315

(ख) 1969 =5,24,556 रुपये।
1970 =12,75,646 रुपये।
1971 (30 जून तक) =6,00,162 रुपये।

(ग) यह वृद्धि कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण है।

(घ) ऐसे कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माल के डिब्बे तोड़ने वाले कुख्यात अपराधी होते हैं इसलिए उनके लिए चोरी का माल आसानी से बेचने की सम्भावना नहीं

होती, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन निन्दनीय कार्यों के पीछे कुछ बड़े आदमियों का हाथ है ? यदि हां, तो उन पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ?

श्री हनुमन्तैय्या : रेलवे प्रशासन के सम्पूर्ण इतिहास में इस तरह का कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है जो कि मैंने किया है। इस सम्बन्ध में आँकड़े मैं पहले ही बता चुका हूं। पिछले तीन महीने में बहुत से व्यक्ति गोली से मारे गये हैं, 424 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें से कुछ चोरी का माल लेने वाले थे। यदि इसके अतिरिक्त अन्य कोई बुरा व्यक्ति अथवा चोरी का माल लेने वाला हो तो मेरा आप से निवेदन है कि उसका नाम आप मुझे बतायें।

श्री समर मुकर्जी : इन चोरियों के पीछे कार्य करने वाले कितने बड़े व्यक्ति. कितने अधिकारी पकड़े गये तथा कितनों को सजा दी गयी ?

श्री हनुमन्तैय्या : मैं इस समय उनके नाम नहीं बता सकूंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरा आप से यह निवेदन है कि उन अत्यन्त बड़े व्यक्तियों के नाम आप मुझे बतायें तब आप देखेंगे कि मैं क्या कार्यवाही करता हूँ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : रेलवे में अपरी तांबे के तारों, पीतल की बियरिंगों तथा नरम फौलाद की ब्रेक की छड़ों की चोरी सामान्य बात हो गयी है। इससे केवल माल के डिब्बों के आवागमन पर ही असर नहीं पड़ता अपितु इससे रेलवे की सम्पत्ति की बहुत हानि होती है। क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि कुछ बड़े शहरों में, विशेषतः बम्बई में, इन चोरी की चीजों को बेचने का एक बहुत बड़ा बाजार है, यदि हां तो क्या सरकार इस बात की जांच किसी उच्च-स्तरीय संस्था अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करायेगी ?

श्री हनुमन्तैय्या : यह सब कुछ हो रहा है इसी से हम इन आदमियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर सके हैं।

डा० सरदीश राय : परसों ही 'युगान्तर' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि रेलवे का कुछ चोरी का माल एक पुलिस अधीक्षक के बंगले में पाया गया परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण तक भी नहीं किया गया। क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री हनुमन्तैय्या : यह बात मेरी जानकारी में नहीं आई है। मैं इस मामले को देखूंगा। इस बीच में मेरे माननीय मित्र मुझे वे कागजात और सूचना दे दें जो उनके पास हैं। मैं इस मामले पर कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : पूर्व रेलवे में माल के डिब्बे तोड़ने की घटनाओं के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विशेषत: सियालदह डिविजन रेलवे साईडिंग तथा सियालदह दक्षिण रेलवे साईडिंग के बारे में किसी उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा तुरन्त जांच का आदेश देने के लिये तैयार है ताकि माल के डिब्बे तोड़ने वालों तथा इन चोरियों के पीछे काम करने वाले राजनैतिक दलों का पता चल सके ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि उन्होंने समाचार पत्रों का उल्लेख किया है, इससे उन्हें प्रोत्साहन मिला है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं असलीयत बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी सैकड़ों बातें हो सकती हैं जो इस प्रश्न के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती । अक्सर मेरे चुप रहने के कारण आप बात के दायरे से बाहर चले जाते हैं । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए । क्या आप अनुवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं या आप उत्तर नहीं देना चाहते ?

श्री हनुमन्तैय्या : आप भी उतनी ही अच्छी तरह उत्तर दे रहे थे जितनी अच्छी तरह मैं दे सकता था, उच्चाधिकार समिति की स्थापना से इन मामलों में सुधार नहीं हो सकता । मुझे यकीन है कि सदन इस बात से परिचित है कि जो कार्यवाही हम कर रहे हैं वह इतनी अधिक गम्भीर है कि इस तरह की कार्यवाही रेलवे में इससे पहले कभी नहीं की गयी ।

कोट्टयम में आरा मिलों और लकड़ी उद्योग के लिये माल डिब्बों की कमी

***1661. श्री वरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टयम में माल डिब्बों की कमी है जिसके कारण आरा मिलों और लकड़ी उद्योगों को भारी घाटा हो रहा है तथा वहां उद्योगों के बन्द होने की आशंका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

कोट्टयम स्टेशन से बाहर भेजने के लिए विभिन्न आकार की इमारती लकड़ी, पीपा बनाने की पट्टियां और तख्ते लादे जाते हैं । इस यातायात की निकासी के लिए व्यापारी सामान्यतः बन्द माल डिब्बों की सप्लाई के लिए आग्रह करते हैं । एरणाकुलम-कोट्टयम-कोल्लम खण्ड के अन्य स्टेशनों से भी तख्ते और पट्टियां भेजने के लिए आती हैं । कोट्टयम और अन्य स्टेशनों पर पंजीकृत मांगों में से अधिकांश मांगें कल्याण और मायखला के दक्षिण की ओर के गन्तव्य स्टेशनों के लिए होती हैं । इन स्थानों के लिए भेजे जाने वाले, यातायात को पूर्ण-बम्बई घाट खण्ड पर निकासी क्षमता और मायखला पर माल डिब्बे खाली करने की क्षमता सीमित होने के कारण, नियमित करना पड़ता है ।

2. उपर्युक्त वास्तविक परिसीमाओं के भीतर कोट्टयम स्टेशन से विभिन्न आकार की इमारती लकड़ी, पीपा बनाने की पट्टियां और तख्तों के अधिकतम परेषण भेजने के लिए प्रयत्न किये गये हैं । पहली जनवरी से 29 जुलाई, 1971 तक की अवधि में, कोट्टयम से इमारती लकड़ी के 8 माल डिब्बे और पीपा बनाने की पट्टियों तथा तख्तों के 569 माल डिब्बे लादे गये थे । 29-7-1971 को कोट्टयम में विभिन्न आकार की इमारती लकड़ी के लिए माल डिब्बों की कोई मांग बाकी नहीं थी, पट्टियों और तख्तों के लिए लगभग केवल 45 मांगें कोट्टयम से निकासी की प्रतीक्षा में थी जिनमें से अधिकांश मांगें कल्याण और मायखला के दक्षिण की ओर के गन्तव्य स्टेशनों के लिए हैं ।

श्री वरके जार्ज : क्या मन्त्री महोदय को केरल की आरा मिल तथा लकड़ी उद्योग एसोसिऐशन से कोई इस तरह का ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया हो कि माल डिब्बों की कमी के कारण केरल में बहुत सी आरा मिलों तथा लकड़ी उद्योगों के बन्द होने की सम्भावना है, और यदि हां तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हनुमन्तैया : मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि इन वस्तुओं के लिये माल डिब्बों का आवंटन कोटे के आधार पर किया जाता है। घाट सैक्शन होने के कारण बम्बई के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है। हम इन निम्न प्राथमिकता वाली वस्तुओं के लिये इतने माल डिब्बे नहीं दे सकते। वर्तमान परिस्थितियों में, मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि मैं और अधिक डिब्बे दिलाने का यथासम्भव प्रयत्न करूंगा। परन्तु यह शिकायत करना कि कारखाने ही बन्द होने वाले हैं, मांग प्रस्तुत करने का एक अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग है।

श्री वरके जार्ज : भारत में माल डिब्बों की कमी को ध्यान में रख कर, देश में माल डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री हनुमन्तैय्या : यह प्रश्न अलग है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि माल डिब्बों की कमी नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उत्तर पूर्व तथा उत्तरी क्षेत्र में अपराधों की गतिविधियों के कारण ही माल डिब्बों के चलाने में बाधा पड़ती रही है।

उत्तर बंगाल में चर्मशोधन कारखानों की स्थापना

***1663. श्री गदाधर साहा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर बंगाल के व्यापारी उत्तर बंगाल से देश *के अन्य* भागों में अशोधित चमड़ा सप्लाई करके भारी धन राशि अर्जित कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार उत्तर बंगाल में कुछ चर्मशोधन कारखाने स्थापित करने तथा उसके द्वारा स्थानीय युवकों को रोजगार देने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन चर्मशोधन कारखानों की स्थापना कब तक की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारत सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गदाधर साहा : उत्तरी बंगाल में अशोधित चमड़े के बड़े भंडार को तथा वहां की उपयुक्त जलवायु को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार बंगाल में चमड़ा साफ करने के कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देगी तथा इस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार देगी जो कि वहां एक गम्भीर समस्या है ?

श्री घनश्याम ओझा : जहां तक उत्तरी बंगाल में चमड़ा साफ करने के कारखानों की स्थापना का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग की स्थापना करने का हमारा कोई

विचार नहीं है। लेकिन जहां तक लघु और कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है, हम इन उद्योगों की सहायता करने तथा लोगों को कुछ रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री दिनेश जोरदार : मैं एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री दिनेश जोरदार : मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तरी बंगाल में चमड़े सम्बन्धी लघु तथा कुटीर उद्योग को सरकारी संरक्षण में चलाने का प्रस्ताव है। परन्तु उत्तरी बंगाल से बाटा शू कम्पनी और ऐसी अन्य बड़ी कम्पनियां वहां से सप्लाई होने वाले कच्चे चमड़े से बहुत पैसा कमा रही है। उस कच्चे माल की सहायता से वहां चमड़े की वस्तु बनाने वाला एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजनाएं

***1665. श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में दो छोटी कार परियोजनाओं में, जिनके लिये गत वर्ष लाइसेंस जारी किये गये थे, अधिकांशतः केवल संयोजन मात्र होगा, और

(ख) क्या इन कारों के लिये पुर्जों को बनाने वाले सहायक एककों को मशीनों आदि के आयात की आवश्यकता होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उन पार्टियों की योजना में जिन्हें गत वर्ष यात्री कारें बनाने के लिए आशय पत्र जारी किए गये थे केवल कार जोड़ कर तैयार करने को ही नहीं बल्कि संयंत्र के भीतर ही अनेक हिस्से पुर्जे बनाने का भी व्यवरण है।

(ख) देश में अनेक उपक्रमों में आटोमौबाइल के सहायक पुर्जों का पहले से ही निर्माण किया जा रहा है। अनेक पार्टियों को कारों, व्यापारिक गाड़ियों, जीपों आदि के उत्पादकों के लिए आवश्यक मूल उपकरणों का आवश्यकता पूरी करने तथा बदलने के लिए आटोमोबाइल उपकरणों का उत्पादन करने के लिए नये एकक लगाने हेतु आशय पत्र जारी किये गए हैं। सामान्यतौर पर इन एककों को कुछ आयतित पूंजीगत माल की आवश्यकता पड़ेगी किन्तु इनमें से कुछ एककों को केवल देशी मशीनों की ही आवश्यकता होगी।

श्री सी० चित्ति बाबू : क्या मंत्री महोदय उन पार्टियों के नाम बतायेंगे जिन्हें आशय-पत्र जारी किये गये हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या मद्रास की किसी फर्म ने जांच के लिए नमूने की कोई कार भेजी है, यदि हां, तो सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : ये दो पार्टियां हैं, नई दिल्ली के श्री संजय गांधी तथा मद्रास के श्री मदन मोहन राव। श्री संजय गांधी नमूने की कार पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। जहां तक श्री मदन मोहन का सम्बन्ध हैं, उन्होंने अभी तक नमूने की कार नहीं दी है।

श्री चित्ति बाबू : तमिल नाडु में छोटी कार की एक परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध मे प्रधान मंत्री को मद्रास के मुख्यमंत्री ने जो अनुरोध किया है, उस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : शायद नागा लैण्ड को छोड़ कर अन्य सभी मुख्य मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में लघुकार परियोजना स्थापित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। प्रतिवेदन पर विचार करने तथा निर्णय करने के समय इन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उतर
Wr'tten Answers to Questions

दामोदर घाटी नियम में कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की नियुक्तियां

***1652. डा० रानेन सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के सर्वोच्च अधिकारियों ने औपचारिक रूप में कोई ऐसी नीति निर्धारित की है कि कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रशासन-सुधार आयोग की सिफारिशें दामोदर घाटी निगम पर लागू नहीं होती हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के०एल० राव) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में दामोदर घाटी क्षेत्र के स्वीकृत विकास के लिए दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत की गई है। सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और विद्युत् विकास से सम्बन्धित अपने मुख्य कार्यों के क्रियान्वियन में निगम को बिहार और पश्चिम बंगाल की दो राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क रख कर कार्य करना होता है। दामोदर घाटी निगम के अपने इसी विशेष स्वरूप के कारण,जो इसे भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों से अलग करता है, इसमें प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को स्थायी रूप से खपाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें इस पर लागू नहीं होती। अध्यक्ष, महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त जिनकी नियुक्ति दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार कराती है, प्रतिनियुक्ति पर सिर्फ 15

अधिकारी हैं, जो ग्रामतौर पर उन कार्यों को करते हैं जिनमें पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार के उपयुक्त विभागों का निकट सहयोग रहता है और जिनसे उन अपेक्षित विशेषज्ञों की व्यवस्था हो जाती है, जो कि अन्यथा निगम के अपने कैडर से उपलब्ध नहीं हो पाता।

रेलवे अस्पताल के भोजन में पाए गए कीड़े

***1657. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जुलाई, 1971 के "पैट्रीअट" में प्रकाशित इस समाचार "भोजन में पाये गये कीड़े" की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के उत्तर रेलवे के डिवीजनल अस्पताल की दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया : (क) जी हाँ।

(ख) मरीजों को परोसे गए पके हुए चनों में कुछ कीड़ों (घुन) का होना एक अकेला मामला था। ज्यों ही इसका पता लगा, पका हुआ भोजन वापस ले लिया गया। इस तरह की घटनाएं दुबारा न हों इसके लिए मण्डल अस्पताल, दिल्ली को इस आशय की हिदयातें जारी कर दी गई हैं कि वे खाद्य पदार्थ सुपर बाजार से खरीदें ताकि ऊंचे स्तर के खाद्य पदार्थ की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

रिपोर्ट में लगाए गए अन्य आरोप सही नहीं हैं। अच्छा भोजन, सब्जियां और दूध, सफाई व्यवस्था, चीर-फाड़ के औजारों की उपलब्धता, एक्सरे और रोग विज्ञान की प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में अस्पताल की स्थिति काफी सन्तोषप्रद पाई गई है। चूंकि यह ग्रस्पताल एक पुरानी इमारत में है जहाँ सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि इस अस्पताल के सभी विस्तारों को वहां से हटा कर केन्द्रीय अस्पताल, नई दिल्ली के साथ बन रहे नये उप भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाय।

सतलुज और व्यास नदियों को मिलाना

***1658. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज और व्यास नदियों को मिलाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) इस योजना से सप्लाई होने वाले जल और विद्युत् से किन-किन राज्यों को लाभ होगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1973 तक व्यास के जल के सतलुज में परिवर्तित किए जाने की सम्भावना है।

(ख) इस स्कीम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागी राज्यों को लाभ होगा।

चलती हुई रेलगाड़ियों में टेलीफ़ोन की सुविधा दिया जाना

***1662. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी के डिब्बों, भोजन यानों, ब्रेक वैनों और इन्जिनों में टेलीफोन की सुविधाएं देना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को सभी प्रमुख रेलगाड़ियों में देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) इस तरह की सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में महेन्द्रु घाट तथा प्लेजा घाट के बीच चलने वाले पुराने स्टीमर।

***1664. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में महेन्द्रु घाट तथा प्लेजा घाट के बीच चलने वाले स्टीमरों ने अपनी उन शर्तों को पूरा कर लिया है जो स्टीमरों की खरीद के समय उनके द्वारा शुरू की जाने वाली सेवा के लिए निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, क्या ये स्टीमर पुराने हैं और इनकी सेवा विशेषकर वर्षा ऋतु में निरन्तर गड़बड़ी के कारण संतोषजनक नहीं होती है; और

(ग) क्या यमुना नामक स्टीमर में नदी में चलते समय गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और कभी-कभी यात्रियों को सारी रात नदी में रुके रहना पडता है और कभी-कभी गड़बड़ी के कारण चार अथवा पांच घंटे तक स्टीमर में रहना पड़ता है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) शुरू में गंगा पार करने की सामान्य घाट उतराई सेवाओं के लिए स्टीमर खरीदे गये थे न कि किसी एक विशिष्ट स्थल के लिए। खरीद के समय से लेकर आज तक वे संतोषजनक सेवा कर रहे हैं।

(ख) इन स्टीमरों की सामान्य अनुमानित आयु 35 वर्ष है। चूंकि ये तीन स्टीमर 1950 में खरीदे गये थे, इसलिए इनकी आयु का केवल 3/5 भाग ही व्यतीत हुआ है। कभी-कभी वर्षा ऋतु की भयंकरता के समय नदी पार करने में अधिक समय लग जाता है। कभी-कभी इन स्टीमरों को चलते हुए कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है।

(ग) यमुना नामक स्टीमर का काम कुल मिला कर संतोषजनक रहा है। इस वर्ष मानसून के दौरान यह स्टीमर 3 या 4 बार कठिनाई में पड़ गया था और नदी पार करने में इसे अधिक समय लगा। ऐसा भारी बाढ़ों, तेज बहाव और तूफानी मौसम आदि के कारण हुआ था न कि स्टीमर की आयु या हालत के कारण।

दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की गई और पश्चिम बंगाल और बिहार को वितरित बिजली

***1666. श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दामोदर घाटी निगम द्वारा कितनी बिजली पैदा की जाती है तथा उन एककों के नाम क्या हैं जहां बिजली पैदा की जाती है और उनमें कितनी-कितनी बिजली पैदा की जाती है।

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल में किस अनुपात में बिजली सप्लाई की जाती है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की ओर से कोई ज्ञापन मिला है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) : दामोदर घाटी निगम ने 1970-71 के दौरान बोकारो, दुर्गापुर, चन्द्रपुरा, तिलैया, मेथौन और पंचेत में स्थित अपनी यूनिटों में 4003 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की। केन्द्र-वार विद्युत् उत्पादन निम्न-लिखित है :—

	मिलियन यूनिट
बोकारो	1160
दुर्गापुर	1157
चन्द्रपुरा	1414
तिलैया	13
मेथौन	126
पंचेत	133

54.4% बिहार को 42.4% पश्चिम बंगाल को तथा बाक़ी 3.2% उत्तर प्रदेश को बेची गयी थी। दामोदर घाटी निगम से इन राज्यों को बिजली सप्लाई के संबंध में बिहार सरकार से इस मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के लिये स्वीकृति

***1667. श्री डी० के० पंडा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने 1970 और 1971 में उड़ीसा सरकार से प्राप्त सभी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) ऐसी किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (घ) : 1970 और 1971 में उड़ीसा सरकार से प्राप्त 6 स्कीमों के नाम, प्रत्येक स्कीम को, प्राप्ति की तरीख, उनकी अनुमानित लागत, उनसे होने वाला लाभ और उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

परियोजना		केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत	प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
			लाखों रुपयों में	एकड़	
1.	सैपला परियोजना कालाहांडी जिले में ओंग (महानदी की सहायक) पर मिट्टी का बांध।	19-12-1970	111.66	10,200	टिप्पणियां राज्य को 5-7-1971 को भेजी जा चुकी हैं। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।
2.	काला परियोजना मयूर भंज जिले में (काला नदी सुनाई की सहायक नदी) पर मिट्टी का बांध।	25-3-1971	196.76	18,000	टिप्पणियां राज्य को 9-6-1971 को भेजी जा चुकी हैं। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।
3.	सुन्दर परियोजना-कालाहांडी जिले में सुन्दर नदी (तेल नदी की सहायक) पर मिट्टी का बांध।	27-3-1971	160.48	14,000	टिप्पणियां राज्य को 30-6-1971 को भेजी जा चुकी हैं। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।
4.	दादराघाटी परियोजना ढेंकानल जिले में गंभारिया जोरी नाला (ब्राह्मणी की सहायक नदी) पर राकफिल बांध।	27-3-1971	139.05	12,135	टिप्पणियाँ राज्य को 5-7-1971 को भेजी जा चुकी हैं। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।
5.	ओंग परियोजना-संबलपुर जिले में ओंग नदी (महानदी की सहायक) के ऊपर वीयर।	2-4-1971	289.82	61,000	टिप्पणियां राज्य को 9-6-1971 को भेजी जा चुकी हैं। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।
6.	दुमेरवाहल परियोजना-संबलपुर जिले में ओंग (महानदी की सहायक) के ऊपर बांध।	13-7-1971	139.30	10,500	स्कीम की जांच हो रही है

परियोजनाओं पर कार्रवाई तथा उनके अनुमोदन के कार्य को राज्य के उत्तरों की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

हावड़ा-आमता और हावड़ा-शिआखला लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में खपाया जाना

***1668 श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मार्टिन बर्न लाइट रेलवेज की हावड़ा-आमता और हावड़ा-शिआखला लाइनों के एक भी कर्मचारी को रेल मन्त्री द्वारा बार-बार आश्वासन दिलाये जाने के बावजूद भी भारतीय रेलवे में नहीं खपाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों को कब तक खपा लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) से (ग) : पूर्व और दक्षिणपूर्व रेलों पर ऐसे कर्मचारियों को समाहृत करने के बारे में कुछ कठिनाइयाँ रही हैं क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों और नियमत पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा करने वाले नैमितिक मजदूरों ने इसका विरोध किया था। अब यह निश्चय किया गया है कि पूर्व रेलवे द्वारा ऐसे सभी रेल कर्मचारियों की छान-बीन की जानी चाहिये और जिन्हें उपयुक्त समझा जाये उन्हें दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तरसीमा रेलों के अलावा विभिन्न रेलों पर भेज दिया जाये। इसके बाद सम्बद्ध रेलें उन्हें उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए प्रयास करेंगी।

पूर्व रेलवे ने सम्बद्ध कर्मचारियों की छान-बीन के लिए व्यवस्था की है और यह काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा। इस स्थिति में यह बतलाना सम्भव नहीं है कि सम्बद्ध कर्मचारियों का कब तक समाहृत किया जायेगा लेकिन जहाँ तक संभव है इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जायेगा।

बड़ौदा से छोटा-उदयपुर तक पश्चिम रेलवे लाइनों का मध्य प्रदेश में इन्दौर तक बढ़ाया जाना

***1669. श्री प्रभु दयाल पटेल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा से छोटा उदयपुर तक पश्चिमी रेलवे लाइनों को मध्य प्रदेश में इन्दौर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि छोटा उदयपुर तथा मध्य प्रदेश के विशाल अविकसित क्षेत्रों को औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में विकसित किया जा सके।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस लाईन को वहाँ तक न बढ़ाने के क्या कारण हैं तथा ऐसा कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) न तो यातायात की दृष्टि से औचित्य है और न ही इस प्रयोजन के लिये धन उपलब्ध है।

भारत में औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण

***1670. श्री बालकृष्ण वेन्कना नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में औद्योगिक क्षमता वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त (क) भाग में वर्णित सर्वेक्षण कराया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) (क) से (ग) : देश की औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह सर्वेक्षण विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर समय समय पर देश के विभिन्न भागों में किया गया है और बड़ी गहराई और गहनता से किया जाता रहेगा। फिर भी, सम्पूर्ण देश की औद्योगिक क्षमता का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का काम किसी एक अभिकरण को नहीं सौंपा गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और उनके अधीन विभिन्न अभिकरणों ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों में तकनीकी आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण कराया है। उदाहरण स्वरूप राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद आदि ने विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सहयोग से हाल ही में देश को विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विभव का सर्वेक्षण किया है। प्राप्त स्थापना सुविधाएं, कच्चे माल का सम्भरण और बाजार का सर्वेक्षण करना इस अध्ययन के अन्तर्गत आते हैं। आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर और त्रिपुरा का संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्टें पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं, यह प्रक्रिया जारी है।

Demand and Production of Deisel Engines

***1671. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the annual demand and production of diesel engines in the country at present ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : The total demand for Diesel Locomotive for the Indian Railways during the 4th Plan (1969-70 to 1973-74) is as under :

(a) B.G. Main Line	370
(b) B.G. Shunters	133
(c) M.G. Main Line	180
(d) N.G. Main Line	30

2. The production programme for the Diesel Locomotive Works, Varanasi and Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan, is given below :

Annual Production Programme for D.L.W.

Year	Broad Gauge	Metre Gauge	Total
1969-70	58	24	82
1970-71	57	11	68
1971-72	65	40	105
1972-73	90	45	135
1973-74	100	60	160
Total	370	180	550

Annual Productioon Programme for C.L.W.

Year	B.G. Shunters	N.G. Main Line	Total
1969-70	31	—	31
1970-71	35	5	40
1971-72	48	5	53
1972-73	55	—	55
1973-74	60	—	60
Total	229	10	239

Central Industrial Establishments Functioning in West Bengal

***1672. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Ministers of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the names of Central Industrial Establishments functioning in West Bengal at present;

(b) the names of the Central industrial establishments proposed to be set up during the financial year 1971-72 indicating their locations;

(c) the cost involved and the expenditure to be incurred by Government thereon; and

(d) the time by which the work of setting up of the establishments is likely to be undertaken and completed ?

The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury) : (a) to (d) A statement showing the names of Central industrial establishments presently functioning in West Bengal, together with investments made on each of them during I, II and III Plan Periods, is enclosed. The statement, inter-alia, also gives the outlay proposed for each of them during the Fourth Plan.

(Rs. crores)

Name of the scheme	Location	Investment in the 1st Plan	Investment in the 2nd Plan	Investment in the 3rd Plan	Total Investment during the Three Plan Periods	Investment during 1966-1969	Investment during 1951-1969	Outlay during the IV Plan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Durgapur Steel Plant (including Ist state expansion)	Durgapur	—	178.7	68.0	246.7	70.00 (for Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant together)	316.70	15.00
Alloy Steel Plant	Durgapur	—	—	33.3	33,3		33.30	6.00
National Instruments (including Opthalmic glass project)	Calcutta/ Durgapur	1.00	0.4	1.8	3.2	3.38	6.58	2.02
Chittaranjan Locomotives	Chittaranjan	3.6	1.8	**	5.4	—	5.40	—
Hindustan Cables (including expansion)	Rupnarainpur	1.3	0.8	3.3	5.4	2.20	7.60	6.45
Mining & Allied Machinery Project	Durgapur	—	1.2	28.0	29.2	51.52	80.72	2.49
Durgapur Fertilisers	Durgapur	—	—	0.6	0.6	15.09	15.09	24.18
Haldia Refinery	Haldia	—	—	—	—	—	—	55.00
Total :		5.9	182.9	135.0	323.8	142.19	465.99	111.14

**Transfered to Transport Sector.

Note : The outlay during IV Plan does not include provision for Haldia Fertilizers. In the Fourth Plan, a total provision of Rs. 262 crores has been made for Additional Fertilizer Capacity (including Haldia).

दिल्ली में यमुना नदी की धारा का मार्ग बदलने की योजना

***1673. श्री सी० जनार्दनन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी की धारा का मार्ग बदलने की कोई योजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव सरकार के सामने है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस कार्य पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) : दिल्ली क्षेत्र में यमुना नदी की धारा का मार्ग बहुत सी नियत्रण संरचनाओं, जिनमें बराज और पुल शामिल हैं, द्वारा नियत है और इसलिए इसको बदलना सभव नहीं है। बहरहाल, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत ड्रेजिंग करा कर नदी नियंत्रण के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव किया है ताकि यह नदी, विशेष रूप से गैर-मानसून अवधि के दौरान, वांछित धारा रूप में बहने लगे। उद्देश्य यह है : (1) बाढ़ तटों के कटाव को रोकने के लिए वजीराबाद बराज की प्रतिवाह दिशा में नदी की धारा को एक उपयुक्त सीध (अलाइनमेंट) में रखा जाए; (2) नदी की धारा को वजीराबाद बराज और पुराने रेल पुल के बीच घाटों के सामने रखा जाये; और (3) यमुना बराज के सामने धारा की स्थिति में सुधार लाया जाए। स्कीम में तीन वर्ष की अवधि के लिए दो तलकर्षकों की प्राप्ति और उनके प्रचालन की व्यवस्था है। इस पर 34 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में स्कीम की जांच कर ली गई है और योजना आयोग की स्वीकृति के लिए इसकी सिफारिश की जा रही है।

Proposal For Merger of Central Electicity Authority and Central Water and Power Commission

***1674. Shri R. R. Sharma :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to merge the central Electricity Authority and the Central Water and Power Commission into an integrated organisation for effective and better management in respect of electricity in the country; and

(b) if so, the main features of the proposal and the amount likely to be spent thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) (a) & (b) : Yes, Sir. With a view to improve the management of power resources in the country and make it effective, a number of possibilities of re-organisation of Central Electricity Authority and Central Water and Power Commission(Power Wing) and or setting up of a Generation Board etc. are under consideration. A High Power Committee is being set up for the purpose of examining all aspects of this.

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बंकियम नहर में कृष्णा नदी का पानी डालने की योजना

***1675. श्री जी० भुवाराहन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र प्रदेश और तमिल नाडु में कृषि प्रयोजनों के लिए कृष्णा नदी का फालतू पानी बकिंघम नहर में डालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव): (क) आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : कृष्णा जल के विकास के लिए बहुत-सी परियोजनाओं का कार्यान्वियन हो रहा है और बेसिन-स्थित राज्यों (महाराष्ट्र, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश) द्वारा बहुत सी परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। कृष्णा में दूसरे क्षेत्रों के वास्ते व्यपवर्तन के लिए किसी फालतू जल के उपलब्ध होने की सम्भावना बहुत कम है।

Projects approved for Development of Industries in Rural Areas in Madhya Pradesh

***1676. Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have approved some projects for development of industries in rural areas and forwarded them to the States; and

(b) if so, the amount sanctioned to Madhya Pradesh for the setting up of industries, District-wise and Industry-wise ?

The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury) (a) : 49 Rural Industries Projects are under execution all over the country since 1962. Recently, 5 additional projects have been approved for location in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Mysore and Haryana.

(b) The Government of India sanctions grants and loans to the state Governments for implementation of schemes in the Project areas. No earmarking of the funds, area-wise or industry-wise, is made by the Government of India.

In Madhya Pradesh, there are four Rural Industries Projects in Bhilai (During District); Bhind (Bhind District) Sarguja (Ambikapur District); and Khandwa (East Nimar District). The amounts sanctioned to Madhya Pradesh for these projects are as follows:—

Year	Central assistance released (Rs. in lakhs)
1962-63	0,19
1963-64	2.87
1964-65	18,96
1965-66	21,29
1966-67	16.81
1967-68	14.91
1968-69	8.23
1969-70	6.90
1970-71	5.82
	95.98

उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस का दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया जाना

***1677. श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उदयपुर तक जाने वाली चेतक एक्सप्रेस को सराय रोहेल्ला स्टेशन की बजाय दिल्ली स्टेशन से चलाने का है; और

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी नहीं। दिल्ली जं० स्टेशन पर अपेक्षित टर्मिनल सुविधाएं न होने के कारण इस स्टेशन से चेतक एक्सप्रेस को चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

***1678. श्री विक्रम महाजन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च, 1970 में लोक सभा में आश्वासन दिया था कि पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) के विस्थापित व्यक्तियों को बांध में पानी जमा किए जाने से पूर्व ही बसाया जाएगा; और

(ख) क्या यह आश्वासन पूरा कर दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी हां।

(ख) अंशतः पूर्ण बांध के पीछे जल एकत्र करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नदी का जल पांच सुरंगों में से होता हुआ अवैध रूप से बह रहा है। बहरहाल, बाढ़ों के दौरान यदि जल-निस्सार सुरंगों की क्षमता से अधिक होता है तो जल-स्तर प्रतिप्रवाह दिशा में केवल कुछ थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से बढ़ जाता है।

अधिकांश टिक्कों में जिनके यदि अस्थायी रूप से भी जलप्लावित होने की सम्भावना है, भूमि और समाप्ति का पहले से ही अर्जन कर लिया गया है और मुआवज़ा दे दिया गया है। राजस्थान में विस्थापितों के पुनर्वास का कार्यक्रम भी जारी है।

फरक्का बांध परियोजना का कार्य पूरा करना

***1679 श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की हाल की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए उनके मंत्रालय का विचार फरक्का बाँध परियोजना का कार्य इस वर्ष पूरा करने हेतु आपात कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह विलंब कब तक चलेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही परियोजना को इस वर्ष पूरा करना व्यवहार्य है। इसका जून, 1973 तक पूर्ण होना प्रत्याशित है।

जलढाका जल-विद्युत परियोजना

***1680. श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलढाका जल-विद्युत परियोजना के कार्यकरण की दशा और उसकी वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार किया है;

(ख) क्या जलढाका जल-विद्युत परियोजना पूर्ण रूप से चालू हो गई है; और यदि नहीं, तो इसकी पूरी क्षमता के कब तक उपयोग किये जाने की सम्भावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजना के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है तथा अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है और क्या योजना को पूरा करने के लिए और धन की आवश्यकता होगी; और

(घ) योजना पर अनुमानित व्यय से अधिक व्यय होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) विद्युत केन्द्र के कार्यों में सुधार लाने और प्रतिष्ठापित विद्युत-जननक्षमता में वृद्धि लाने के लिए सिविल इंजीनियरी-निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

(ख) 9-9 मैगावाट के दो जनन-यूनिटों को मार्च और जून 1967 में चालू किया गया। 9 मैगावाट का तीसरा यूनिट लगाया जा रहा है और आशा है कि यह काम आगामी तीन महीनों में पूरा हो जायेगा। वराज-उमड़-मार्ग का निर्माण-कार्य शीर्ष-ऊंचाई तक पूरा किया जा चुका है। फाटक लगाये जा रहे हैं। बिना उमड़ वाले खण्ड पर कार्य जारी है। वराज पर उमड़-मार्ग की चौथी और पांचवीं खाड़ियों के लिए फाटक लगाने और बायें पार्श्व भाग पर मिट्टी के तटबंध बनाने जैसे शेष निर्माण-कार्यों के चालू वर्ष के दौरान पूर्ण हो जाने की आशा हैं। जिस प्रकार जुलाई, 1964 और अक्तूबर 1968 में बाढ़ें आ गई, इस तरह बार-बार आने वाले बाढ़ जैसे प्राकृतिक संकटों के कारण बराज तक तीन मील लम्बी पहुँच सड़क का निर्माण, बराज पर दो अतिरिक्त उमड़-मार्गों का निर्माण, और विद्युत केन्द्र आदि के बचाव सम्बन्धी कार्य आवश्यक हो गये और इस प्रकार परियोजना के पूर्ण होने में विलंब हो गया।

(ग) जलढाका जल-विद्युत परियोजना पर 1969-70 तक 13·17 करोड़ रुपये खर्च किये गये। निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकता 1·67 करोड़ रुपये की है।

(घ) 1958 में परियोजना की मंजूरी दे दी गई और इसकी लागत में वृद्धि के कारण ये हैं :—(1) सामान, मजूदर और उपस्कर के मूल्यों में वृद्धि (2) परियोजना के कार्य क्षेत्र में 9 मैगावाट के दो यूनिटों से बढ़कर 9 मैगावाट के 3 यूनिटें हो जाना और चौथे यूनिट के लिए

सिविल निर्माण कार्य की वृद्धि (3) श्रमिक-विवाद (4) 1964 में और 1968 में बाढ़ों के कारण पहुंच सड़क और कुछ संरचनाओं को नुकसान ।

आसाम में नमक की कमी

7375. श्री रोबिन ककोटी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नमक की कमी का एक कारण कुछ व्यापारियों द्वारा जिनको आसाम के लिए नमक अलाट किया गया था अपना कोटा उचित समय पर न उठाया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : बंगला देश में शरणार्थियों के आने से हाल के महीनों में आसाम में नमक की कमी अनुभव की गई है और असम सरकार के कहने पर रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी तट से 449 मी० टन० (433 वैगन लोड के बराबर) नमक के यातायात की विशिष्ट मामले के रूप में प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की है। किन्तु जुलाई, 1971 के अन्त में व्यापारी बन्द वैगनों की कमी के कारण केवल 3165 मी० टन (211 वैगन लोड का नमक) भेज सके। असम सरकार को अपने प्रतिनिधियों को उनकी आवश्यकता का नमक कलकत्ता से उठाने की हिदायत देने को कहा गया है। इन व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

आसाम और मेघालय को नमक की सप्लाई

7376 श्री रोबिन ककोटी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और मेघालय को मुख्य रूप से कलकत्ता डिपो से नमक सप्लाई किया जाता है और वह बहुत घटिया किस्म का है परन्तु उसका मूल्य पश्चिम तट और जयपुर डिपो के नमक से अधिक है;

(ख) क्या आसाम सरकार एक लम्बी अवधि से पश्चिम तट और जयपुर से पर्याप्त मात्रा में नमक की सप्लाई तथा नमक के पश्चिम तट से आसाम तक परिवहन के लिए माल ड़िब्बों के अलाट किये जोन पर जोर दे रही है; और

(ग) कलकत्ता जोन और पश्चिमी जोन के नमक के मूल्य में कितना अन्तर है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) नमक वितरण की क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जिसमें आसाम तथा मेघालय शामिल हैं अपनी आवश्यकता का नमक कलकत्ता से लेते हैं पश्चिमी घाट तथा तूतीकोरीन से इस प्रयोजन के लिए जो नमक समुद्री जहाज द्वारा कलकत्ता भेजा जाता है वह घटिया किस्म का नहीं होता है, बल्कि उसका मूल्य पश्चिम घाट तथा राजस्थान से रेल मार्ग द्वारा प्राप्त नमक का मूल्य परिवहन भाड़ा अधिक होने की वजह से थोड़ा सा अधिक ही होता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लगभग 25 रु० प्रति टन का अन्तर होता है ।

कानपुर यार्ड के खुदाई-कार्य में लगे व्यक्तियों पर व्यय तथा इसमें व्यर्थ हुए जन-घन्टे

7377 **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर यार्ड के पश्चिमी किनारे की ओर मल-मूत्र के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा एक गढ़ा खोदा गया है;

(ख) इसकी खुदाई पर कितना व्यय हुआ, कितने व्यक्ति लगाये गये तथा कितने जन घन्टे कार्य हुआ।

(ग) क्या दो सप्ताह अथवा इसके लगभग दिन गुजर जाने के बाद गढ़े को बन्द कर दिया गया है;

(घ) इसको भरने पर कितना व्यय हुआ, कितने व्यक्ति लगे तथा कितने जन-घन्टे व्यग हुए, और

(ड.) ऐसे निर्माण तथा भराई पर अपव्यय करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) 1020 रुपये;

340 जन-घन्टे।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ड.) : प्रश्न नहीं उठता।

चुनार में यार्ड

7378. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनार में कोई यार्ड बनाया गया है;

(ख) क्या इस समय यह यार्ड बेकार हो गया है तथा उस अधिकारी को, जिसने इस यार्ड के रख-रखाव व्यय में बचत की है, कोई इनाम दिया गया है;

(ग) क्या इस चुनार यार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा कोई आपत्ति की गई है, यदि हां, तो क्या; और

(घ) क्या जिन अधिकारियों ने इस यार्ड को बनाया था तथा निर्माण कराया था उनको दोषपूर्ण योजना और अलाभप्रद खर्च के लिए दोषी पाया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जूही-यार्ड के निर्माण पर खर्च

7379. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 28 लाख रुपयों की लागत से हाल में जूही में एक यार्ड का निर्माण

किया गया है जिस पर आगे रख-रखाव का खर्च भी होगा;

(ख) क्या इस यार्ड के लिए पहले 23 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी और पांच लाख रुपयों की मंजूरी अतिरिक्त मांग पर दी गई थी;

(ग) क्या हाल में इस यार्ड के निर्माण के बारे में सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति की गई है; यदि हां, तो क्या;

(घ) यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे अलाभप्रद खर्च को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Requirment of Power in Madhya Pradesh

7380. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any estimate has recently been made of the requirement of power in Madhya Pradesh at present;

(b) if so, the outlines thereof;

(c) the quantum of power likely to be required during the Fourth Five year Plan and the quantum of power likely to be supplied; and

(d) whether there is any difference between demand and supply, if so, the action proposed to be taken to meet the shortage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Yes, Sir. A recent review of the power requirements in Madhya Pradesh has been made in consultation with the State authorities.

(b) & (c) The estimated peak load and power available for the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 are as under :—

	1971-72	1972-73	1973-74
Peak load—MW	520	600	680
Installed Generating capacity—MW	766	800	800

(d) Surplus to the extent of 90 MW in 1971-72 and 20 MW in 1972-73 and deficit of about 85 MW in 1973-74 is anticipated.

A scheme for augmenting the 300 MW Korba Thermal Power Station by a 120 MW unit has been approved. Integrated opration with adjacent Rajasthan Power System will enable the State to mitigate shortage to some extent.

पंसकुरा-हल्दिया रेलवे लाइन के भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन

7381. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंसकुरा-हल्दिया रेलवे लाइन में इसके आरम्भ से कितने नैमित्तक मजदूरों को कार्य करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) इस लाइन पर इस समय कितने मजदूर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या काफी संख्या में भूतपूर्व नैमित्तिक मजदूर पंसकुरा रेलवे स्टेशन पर प्रायः प्रदर्शन करते रहते हैं;

(घ) क्या वहां पर मजदूरों का कोई कार्मिक संघ है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उनको भूतपूर्व नैमित्तिक मजदूरों की बहाली के बारे में प्रशासन के साथ मामले को तय करने को कहा गया था ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) परियोजना पर तैनात नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या प्रतिदिन भिन्न-भिन्न रहती है। फिर भी, हाल के वर्षों में इस परियोजना पर तैनात नैमित्तिक श्रमिकों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन लगभग 2,500 रही।

(ख) 2488

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन किये जाते हैं। भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों को अन्य व्यक्तियों से अलग पहचानना कठिन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर सवारी गाड़ियां

7382. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर सवारी गाड़ी चलने की कब तक सम्भावना है; और

(ख) इस लाइन पर कितनी माल गाड़ियाँ चलती हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अभी तक विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) हल्दिया डाक परियोजना और भारतीय तेल निगम शोधक परियोजना के लिए निर्माण सामग्री से भरी दो गाड़ियां और पांशकुड़ा और दुर्गापुर के बीच एक विभागीय गाड़ी चलती है दुर्गापुर से हल्दिया तक का भाग अभी निर्माणाधीन है।

पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर रेलवे फाटकों पर ऊपरि पुल

7383. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पसंकुरा-हल्दिया लाइन के सभी रेलवे फाटक पूरी तरह सुरक्षित हैं;

(ख) क्या उन रेलवे फाटकों पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जी हां, तीन रेल समपारों पर कूकरहाटी और गेवखाली रोड के

बीच के समपार पर पुल का निर्माण हो चुका है। तमलुरु— पाशंकुरा रोड और तमलुक—नोरघाट रोड के बीच समपारों पर दो और पुलों का निर्माण किया जाना है।

पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर पूरी संख्या वाले कर्मचारियों के स्टेशन

7384. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पसंकुरा-हल्दिया लाइन पर कितने स्टेशनों पर कर्मचारियों की संख्या पूरी हैं; और

(ख) इन बीच के (इन्टरमीडियेट) स्टेशनों से माल कब बुक किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) किसी पर नहीं।

(ख) हल्दिया डाक परियोजना और भारतीय तेल निगम परियोजना के लिए निर्माण सम्बन्धी समान की ढुलाई के लिए पांशकुड़ा से दुर्गाचक तक का खण्ड पहले ही खोला जा चुका है। आशा है, समूची लाइन माल यातायात के लिए जून, 1972 तक खोल दी जायेगी।

ड्रेजरों द्वारा ब्रह्मपुत्र के 'अपर' क्षेत्र का तलकर्षण

7385. श्री रोबिन ककोटी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजरों द्वारा ब्रह्मपुत्र के 'अपर' क्षेत्र के तलकर्षण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : कटाव रोधी उपाय के रूप में तलकर्षण की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए, प्रयोगात्मक आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ-साथ कुछ चुनी हुई जगहों पर तलकर्षण करने का एक प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में दो सक्शन कटर ड्रेजरों के लिए आदेश जारी कर दिए गये हैं और ड्रेजरों के गौहाटी में 1972 के मध्य में डिलीवर हो जाने की सम्भावना है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के डीफू स्टेशन के विकास के लिए मंजूर की गई राशि

7386. श्री रोबिन ककोटी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीफू रेलवे स्टेशन के विकास के लिए वर्ष 1968 से 1971 तक वर्षवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) उक्त अवधि में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) कुछ नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आसाम के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मंजूर की गई राशि

7387. श्री रोबिन ककोटी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए आसाम को चौथी पंच वर्षीय अवधि में कितनी धनराशि दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : असम में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 10.88 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किया गया ग्राम विद्युतीकरण निगम, असम समेत राज्य बिजली बोर्डों की स्कीमों के लिए योगात्मक धन भी देगा। अब तक निगम ने असम को 4 स्कीमों के लिए 226.82 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं जिनमें 331 ग्रामों के विद्युतीकरण और 329 पम्पों के अर्जन की परिकल्पना की गई है।

Electricity Supplied to Madhya Pradesh During Five year Plans

7388. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state.

(a) the quantum of electricity supplied to Madhya Pradesh during the last three Five year Plans, Plan-wise:

(b) the names of the Disitricts or areas of Madhya Pradesh proposed to be electrified during the Fourth Five Year Plan; and

(c) whether Government propose to supply more electricity for agricultural purposes and reduce the rates thereof during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri. Baij Nath Kureel) : (a) The quantum of electric generating capacity added in Madhya Pradesh, Plan-wise is d8000 KW during the First Plan, 124000 KW during the Second Plan and 82000 KW 1uring the Third Plan.

(b) All the forty-three dlstricts of Madhya Pradesh are being covered under Rural Electrification and lift irrigation schemes during the Fourth Plan.

(c) The programme for electrification in the Fourth Plan includes the energisation of as many as a lakh agricultural pump-sets and the electrification of 6500 localities distributed over all the 43 districts of the State. Thus, more electricity would be supplied for agricultural purposes.

There is at present no proposal to reduce the rate for electricity supply to the agricultural consumers in the State.

Irrigation Projects in Madhya Pradesh

7389. Shri. G. C. Dixii : Will the Minister of **Irrigation** And power be pleased to state :

(a) the number of selected multi-purpose and major irrigation projects in Madhya pradesh at present which are getting Central assistance;

(b) the Locations thereof and the amount of Central assistance given for each Project during the last three years separately;

(c) the number of new irrigation projects proposed to be undertaken in Madhya **Pradesh** during the Fourth Five year Plan period; and

(d) the amount of expenditure likely to be incurred on each project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri. Baij Nath Kureel) : (a) & (b) : Central assistancies given to State plans as a whole, and not separately to irrigation projects. The Plan outlay of Madhya Pradesh, and the Central assistance, in the Annual Plans 1966-69, 1969-70 and 1970-71 are as follows :

Year	Total plan outlay (All Sectors) (Rs. in crores)	Central assistance	Outlay by State Govt. on Major & Medium Irrigation Projects.
1966-69	172·6	141·9	20·5
1969-70	49·1	46·7	7·9
1970-71	67·2	47·6	12·1
1971-72	90·46	52·4	16·8 (proposed)

(c) & (d) : The new Schemes accepted by the Planning Commission so far for inclusion in the Fourth Plan of Madhya pradesh and the outlay are indicated below :

OUT LAY

Rs. in lakhs

Name of Scheme	Estimated cost	1969-70	1970-71 (anticipated)	1971-72 (proposed)
1. Bargoor	71·74	—	—	—
2. Putkanalla	63·53	—	20·00	5·50
3. Jamni Dam	61·26	—	—	—
4. Mayana Tank	51·40	—	—	—
5. Kunwarpur	98·83	—	2·00	5·50

पानीपत सोनीपत से दिल्ली तक दोहरी रेलवे लाइन

7390. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में दैनिक यात्री पानीपत/सोनीपत से दिल्ली तक यात्रा करते हैं और इकहरी रेलवे लाइन होने के कारण उनको अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पानीपत/सोनीपत से दिल्ली के बीच दोहरी रेलवे लाइन चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यह कब तक चालू हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी गाड़ियां मौजूद हैं।

(ख) और (ग) सब्जी मन्डी सोनीपत/पानीपत अम्बाला के बीच इकहरी लाइन वाले खण्ड

(ग) पर दोहरी लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जाने और उसकी जांच कर लिए जाने के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

बरवाडीह-गोमोह लाइन के यात्रियों को पूर्वी रेलवे के मुगलसराय जंकशन पर गाड़ी पकड़ने में कठिनाइयां

7391 कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरवाडीह-गोमोह लाइन के यात्रियों को पूर्वी रेलवे के मुगलसराय जंगशन पर जिस पर बहुत अधिक भीड़ रहती है, रेलगाड़ियां पकड़ने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए दमोह से बरास्ता गढ़वा रोड चोपान तक एक्सप्रैस रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

पालामऊ जिला (बिहार) में मेरला और भावनाथपुर रेलवे स्टेशनों के बीच के स्टेशनों से सामान का लदान

7392 कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालामऊ जिला (बिहार) में मेरला तथा भावनाथपुर रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली मीटरगेज रेलवे लाइन पर कुल कितना व्यय होता है और उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है;

(ख) क्या स्थानीय लोगों को सामान के लदान की अनुमति नहीं है और यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों को सामान लादने की अनुमति देने का है क्योंकि यह सरकार के लिए लाभदायक होगा।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) चूंकि यह साईडिंग बोकारो इस्पात कारखाने की है इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) की बकाया राशि का श्रमिक रूप से निपटान

7393. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में उत्तर रेलवे से अवकाश प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारियों की रेल

की ओर बकाया राशि को रोक लिया गया था ताकि उससे उनके पास जो रेलवे क्वार्टर थे, उनका किराया उस राशि में से वसूल किया जा सके;

(ख) क्या 1 अक्तूबर, 1963 में क्वार्टरों के किराये में जो वृद्धि की थी उसको कर्मचारियों के ध्यान में नहीं लाया गया था; और

(ग) इस मामले में रेलवे बोर्ड ने क्या निर्णय किया है और उत्तर रेलवे द्वारा रोकी गयी राशि को वापस करने में चार वर्ष से अधिक का जो विलम्ब हुआ है उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) उत्तर रेलवे के 7.10.1963 के असाधारण गजट अधिसूचना के माध्यम से कर्मचारियों को सूचना दे दी गयी थी।

(ग) इस मामले में बोर्ड का निर्णय अपेक्षित नहीं है। फिर भी, रेल प्रशासन को कहा जा रहा है कि वह इस मामले का अविलम्ब निबटारा कर दे।

रेलवे द्वारा शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

7394. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इन्टरमीडिएट कालेज उच्चतर माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल चलाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त संस्थाओं में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, इस तरह की कुछ संस्थाएं क्षेत्रीय रेलों द्वारा चलायी जाती हैं।

(ख) प्रिंसिपल/मुख्याध्यापकों के हाल में बढ़ाये गये ग्रेड के पदों के भर्ती नियमों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस बीच कुछ वरिष्ट कर्मचारियों की प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक के रूप में अस्थायी तौर पर तदर्थ नियुक्ति की गयी है।

Construction of A sluice Bridge Across Khirohi River Between Hariharpur a Kaligaon in Bihar

7395. Shri Bhogendra Jha : will the Minister of **Irrigaiion and power** be pleased to state :

(a) whether a final deicsion has been taken in regard to the construction of a sluice bridge across Khirohi river between Hariharpur and kaligaon and near Muretha village in Darbhanga district of Bihar;

(b) if so, the date from which work on this bridge is likely to be undertaken; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power(Shri B.N.Kureel) : (a) to (c) Hydrological observations for determining the feasibility of providing irrigation from the flows of Khirohi river by constructing sluices between Hariharpur and Kaligaon and near Muretha viliages were caried out by the Bihar State Goveriment last year and thess observations are being

continued this year also. A final decision can be taken only after the investigations are completed.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के इन्जीनियरों द्वारा विरोध दिवस का मनाया जाना

7396 श्री जी० वेंकटस्वामी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के इन्जीनियरों ने भगवन्तम समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने पर अपना रोष व्यक्त करने हेतु हाल में 'विरोध दिवस' मनाया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : हाल ही में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अभियंताओं ने अपनी सेवा शर्तों और वृत्ति भविष्य के बारे में भगवन्तम समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के विरुद्ध विरोध दिवस मनाया था। इन सिफारिशों पर कार्रवाई काफी समय पहले प्रारम्भ कर दी गई थी। चूँकि उनमें व्यक्तिगत मामलों तथा वित्तीय पेचीदगियों से सम्बन्धित विस्तृत मसले निहित है, उन पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ और देरी लगने की सम्भावना है तथा कुछ मामलों में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की भी प्रतीक्षा करनी होगी।

केरल में मुरुक्कुमपूझा और कनियापुरम के बीच करीचिराय पर रेलवे फाटक पर कर्मचारी की नियुक्ति

7397. वयालार रवि : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केवल में मुरुक्कुमपुझा और कनियापुरम के बीच करीचिराय के रेलवे फाटक पर कर्मचारी की नियुक्ति की आवश्यकता के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : मुरुक्कमपुझ और कनियापुरम स्टेशनों के बीच पल्लीपुरम-कारीचरा सड़क पर 807/13-14 कि० मी० पर चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था करने के लिए दक्षिण रेलवे को केरल राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जैसा कि वर्तमान कार्य विधि के अन्तर्गत अपेक्षित है, नक्शों और वायुयानों को तैयार करने के लिए 2000 रु० जमा करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है। इस रकम के प्राप्त होने पर रेलवे द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी।

त्रिचूर की रेलवे पोर्टर्स एसोसियेशन की ओर से अभ्यावेदन

7398. श्री वयालार रवि : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिचूर की रेलवे पोर्टर्स एसोसियेशन की ओर से 50 रुपया मासिक मंजूरी तथा अन्य अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) त्रिचूर रेलवे पोर्टर्स यूनियन की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक लाइसेन्सदार भारिक के लिए 50 रुपया प्रतिमाह की मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रार्थना की गई थी । अभ्यावेदन में छुट्टी की सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है ।

(ख) चूंकि लाइसेन्सदार भारिक रेल कर्मचारी नहीं है अतः उनकी मजदूरी निर्धारित करने या उन्हें छुट्टी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे के वरकाला स्टेशन पर सुविधायें

7399. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे के वरकाला रेलवे स्टेशन पर जो कि एक तीर्थस्थान है, कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या वरकाला में एक नये रेलवे स्टेशन के निर्माण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) वरकाला स्टेशन पर निम्नलिखित सुविधाओं की व्याख्या पहले से ही की गयी है जिन्हें उस स्टेशन पर होने वाले वर्तमान यात्री यातायात को देखते हुए पर्याप्त समझा जाता है : (i) यात्री शौचालय (ii) तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय (iii) यात्रियों के लिए छत (iv) ऊंचा प्लेटफार्म जिस पर 6' की छतदार पट्टी है (v) 63' × 18' का नये ढंग का नया प्रतीक्षालय (vi) ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय, पुरुषों के लिए 20' × 12' और महिलाओं के लिए 12' × 12' (vii) स्टेशन की इमारत के सामने बाड़दार संचलन क्षेत्र जिसमें एक टैक्सी स्टेशन और एक पार्क है ।

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि वर्तमान इमारत अच्छी हालत में है और उसमें सभी अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था है अतः एक नयी इमारत के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास के लिए कड़प्पा जिले का पिछड़े क्षेत्रों में शामिल किया जाना

7400. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रायालसीमा क्षेत्र के पिछड़े तथा निरन्तर सूखाग्रस्त रहने

वाले कड़प्पा जिले को उन जिलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जो औद्योगिक विकास के लिए सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं, यदि हां तो इसके कारण क्या हैं,

(ख) क्या इसके उस सूची में शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार तथा लोगों के अन्य प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस बात का आश्वासन दिया गया है कि निर्णय लेते समय इनको शामिल करने के बारे में बताई गई इनकी बातों पर ध्यान रखा जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (घ) : योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से सलाह मशवरा करके हाल ही में कड़प्पा के पिछड़े जिलों को सूची में सम्मिलित कर लिया है और वहां प्रारम्भ किए जाने वाले उद्योगों को रियायती दरों पर वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता पाने की पात्रता प्रदान कर दी है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर चलने वाली रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनायें

7402. श्री अर्जुन सेठी :
श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों में गत तीन वर्षों में वर्षवार लूटपाट की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या इन घटनाओं की जांच कराई गई थी और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) कितने मामलों में (प्रतिशतता सहित) इस बात का पता चला कि इस लूटपाट में रेलवे के कर्मचारियों का हाथ था;

(घ) उन रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की साँठ-गांठ को कम करने के लिए क्या निवारक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1968, 1969 और 1970 में लूटपाट के क्रमशः 3, 3 और 10 मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जी हां। जांच के दौरान की गयी गिरफ्तारियां और चुराई गयी सम्पत्तियों की और वसूली का विवरण इस प्रकार है :—

	1968	1969	1970
(i) चुरायी गयी सम्पत्ति का मूल्य (रुपये)	1125	328	36093
(ii) वसूल की गई सम्पत्ति का मूल्य (रुपये)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	791
(iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	9	3	22

(ग) कोई नहीं।

(घ) और (ड) : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम लिमिटेड तथा पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगों को कलकत्ता से बाहर ले जाने की योजना

7403. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के सहयोग में कार्य कर रहा है, और

(ख) क्या ये निगम उपनगरों सहित कलकत्ता महानगर निगम के बाहर उद्योगों को ले जाने की कोई संयुक्त योजना बना रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : भारत का औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से कार्य करना है। कलकत्ता महानगर निगम से बाहर उद्योगों को ले जाने की कोई संयुक्त योजना नहीं बनाई गयी है। भारत का औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम इस समय बन्द और संकटग्रस्त उद्योगों के पुनरुजीवित करने तथा उन्हें पुनः, स्थापित करने के कार्य में लगा है, यह कार्य ऐसे विशेषरूप से सौंपा गया है

कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रगति

7404. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में कृषि पर आधारित उद्योगों में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इन उद्योगों का रोजगार की स्थिति तथा औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। अन्य राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी मांगी गई है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 873/71]

इंजीनियरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास

7405. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर संस्थान की दिल्ली में हुई चवालीसवीं वार्षिक आम सभा में प्रधान

मंत्री ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने इंजीनियरों से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में इंजीनियरों को सभी अवसर दिये जाने पर सहमति प्रकट की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने कहा था कि अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं, अवसर उत्पन्न किये जाते हैं प्राप्त किये जाते हैं। अवसर को प्राप्त करने और प्राप्त होने पर इसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नवयुवक इंजीनियरों में उत्साह, विश्वास और अध्यवसाय आवश्यक है।

झांसी डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर यात्री तथा माल गाड़ियों में लूट-पाट की घटनायें

7406. **डा० गोविन्द दास रिछारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी डिवीजन के रेलवे स्टेशनों और यात्री तथा माल गाड़ियों में जनवरी, 1969 से मई, 1971 तक लूट-पाट की कितनी घटनाएं हुई और उनका संक्षिप्त व्यौरा क्या है,

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे तथा निजी सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) कितने रेल कर्मचारियों को सम्पत्ति की हानि हुई और उक्त घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए;

(घ) यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस समस्या की जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है जिनमें जनता और रेलवे के प्रतिनिधियों तथा पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व हो, और यदि हां तो कब ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जनवरी, 1969 से मई, 1971 तक की अवधि में यात्री और माल गाड़ियों को लूटने की क्रमश: दो और एक घटनाएं हुई। प्रत्येक मामले का संक्षिप्त विवरण संलग्न नोट में दिया गया है।

(ख) रेल सम्पत्ति को अनुमानत: 500 रुपये की हानि हुई। सार्वजनिक सम्पत्ति को भी अनुमानतः 500 रुपये की हानि हुई।

(ग) किसी रेल कर्मचारी की सम्पत्ति की हानि नहीं हुई लेकिन एक गार्ड और रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को चोटें आयीं।

(घ) जहां तक सम्भव होता है, रात के समय चलने वाली सवारी और माल गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के मार्गरक्षी चलते हैं। रेल अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। राज्य पुलिस से निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(ङ) जी नहीं।

विवरण

1. 2-11-1970 को कुछ बदमाश ओरछा स्टेशन पर 523 डाउन सवारी गाड़ी के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में घुस गये और उन्होंने नकदी, घड़ी, पुस्तकों और गर्म कपड़ों के रूप में यात्रियों की 500 रुपये की सम्पत्ति लूट ली और ओरछा स्टेशन के बाहरी सिगनल पर खतरे की जंजीर खींचकर भाग गये सतना की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला दर्ज कर लिया और उसकी छान-बीन की जा रही है। अब तक न तो किसी को गिरफ्तार किया गया है और न ही कोई सम्पत्ति बरामद हुई है।

2. 28-2-71 को 357 डाउन सवारी गाड़ी के गार्ड को छुरा मार कर बिजौली स्टेशन के 'बी' केबिन पर ब्रेकयान से बाहर फेंक दिया गया और बदमाश ब्रेकयान में रखी तिजौरी में से नकदी लूटने का असफल प्रयास करने के बाद भाग गये। झांसी की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 393/308 और 324 के अधीन मामला दर्ज कर लिया। चार बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में उनके विरुद्ध मामला चल रहा है।

3. 14-2-71 को बिरलानगर स्टेशन पर अपराधियों ने एन/30 माल गाड़ी पर हमला कर दिया। वे 500 रुपये के मूल्य के बाजरे के 7 बोरे ले गये। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तुरन्त मौके पर गये लेकिन एक रक्षक से मार-पीट के बाद जिसे कि कुछ हल्की चोटें आयीं, बदमाश भाग गये। महाराजपुरा की सिविल पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 और 307 के अधीन मामला दर्ज कर लिया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

उत्तर बंगाल की जलढाका पनबिजली परियोजना के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिये जांच आयोग

7407. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में जलढाका पनबिजली परियोजना के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जांच आयोग ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा डिजायन सदस्य को लोक निधि को नष्ट करने और परियोजना की विफलता के लिये उत्तरदायी पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) : जी, नहीं। आयोग ने इस सम्बन्ध में किसी अकेले प्राधिकरण या अकेले अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार ने अभी तक आयोग की रिपोर्ट की जांच नहीं की है। आयोग की नियुक्ति के समय भारत सरकार से भी सलाह नहीं ली गई। इसलिए ऐसा महसूस किया जाता है कि इससे पहले कि भारत सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, आयोग की रिपोर्ट का पुनरीक्षण किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कराया जाए।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

7408 **श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्यों सम्बन्धी ब्यूरो द्वारा कोयले के मूल्य में वृद्धि की कोयला उद्योग की मांग को रद्द कर दिया गया है।

(ख) क्या उक्त ब्यूरो ने कोयले के मूल्यों को कम करने का सुझाव दिया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त ब्यूरो के प्रतिवेदन की जाँच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने कोयले की कीमत में सामान्य वृद्धि की मांग स्वीकार नहीं की है लेकिन उसने जहां-कहीं उचित समझा, कुछ वृद्धि करने की सिफारिश की है।

(ख) ब्यूरों ने कुछ ग्रेडों के कोयले की कीमतों में कमी करने का भी सुझाव दिया है।

(ग) जी हां।

(घ) कीमतों में वृद्धि करने से सम्बन्धित ब्यूरो की सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। अन्य मामलों में सरकार ने विनिश्चय किया है कि वर्तमान कीमतें जारी रहें।

Contract for Fruit Vending By Co-operative Society of Samastipur Railway Station on North Eastern Railway

7409. **Shri Ram Bhagat Paswan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Co-operative Society of the Samastipur Railway Station on the North Eastern Railway registered on the 10th March, 1969 had approached the Railway authorities for a contract for fruits vending and had offered concessional terms; and

(b) if so, the reosons why the said Society has not been given contract for the same ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The fruit vending contract at Samastipur

(b) station has been allotted to N. E. Railway Vending and Canteen Co-operative Society Ltd., Samastipur.

तारापुर तथा राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत् केन्द्रों में सक्रियात्मक कार्य कुशलता

7410. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर और राणा प्रताप सागर स्थित परमाणु केन्द्रों की संक्रियात्मक कार्य-कुशलता अधिकतम लोड की अपेक्षा आधार लोड पर अच्छी होगी।

(ख) क्या सरकार तारापुर और राणा प्रताप सागर परमाणु केन्द्रों का उदयपुर और अहमदाबाद को रीजनल ई० एच० टी० लाइन से जोड़ कर परस्पर सम्बन्ध स्थापित करेगी जिससे उक्त दोनों परमाणु केन्द्रों के लिए आधार-लोड सुनिश्चित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान में देबारी (उदयपुर) और गुजरात में नरोडा (अहमदाबाद) के बीच एक 220 के० बी० सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण की संभाव्यता को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; यह एक अन्तः क्षेत्रीय लिंक के रूप में कार्य करेगा। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत् प्रणालियों द्वारा विद्युत् के आपसी विनिमय को सम्भव बनाने के अलावा यह लाइन साथ ही साथ तारापुर और राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजनाओं दोनों से विद्युत् के अभीष्टतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने में सहायता करेगी।

(ग) राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे परियोजना रिपोर्टों कार्यों के प्राक्कलनों को तैयार और प्रस्तुत करें। इन राज्यों को इस लाइन पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

जिंक आक्साइड उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता

7411. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिंक आक्साईड उद्योग में बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस उद्योग की विद्यमान क्षमता के पूरे उपयोग का सुनिश्चय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनश्याम ओझा) : (क) और (ख) कुछ उपभोक्ता उद्योगों में ज़िंक-आक्साइड के स्थान पर टिटानियम डाई-आक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है इसी कारण इसकी मांग में कुछ गिरावट आई है और इसके फलस्वरूप इस उद्योग की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है।

(ग) उत्पादक वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के विचार से निर्यात बाजार में पहुंचने के प्रयास भी कर रहे हैं।

कच्चे माल की कमी के कारण पश्चिम बंगाल बिहार और तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कारखानों का बन्द होना

7412. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में बड़े और छोटे इंजीनियरिंग कारखाने बन्द होने की स्थिति में है; और,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस्पात की कुछ किस्मों की सामान्यरूप से कमी है जिसका सारे देश के बड़े तथा लघुक्षेत्रों के इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इस्पात की विभिन्न किस्मों की आयात सम्बन्धी नीति का विवेचन इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल पालिसी नामक पुस्तक के परिशिष्ट 41 में किया गया है। इस्पात की उन किस्मों का जो देश में उपलब्ध नहीं है, निर्बाधरूप से आयात करने की अनुमति है। प्रतिबन्ध लगे और निषिद्ध किस्मों के इस्पात के मामले में इस्पात प्राथमिकता समिति की सिफारिश पर जिसकी प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा फर्मों को आवंटन किया जाता है। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा देश में सभी राज्यों का इस्पात का आवंटन समान रूप से किया जाता हैं। प्रतिबन्ध लगी किस्मों की जांच करने के बाद यदि यह देखा जाता है कि इसकी कमी की पूर्ति आयात करके पूरी की जाती है तो प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी गैर-प्राथमिकता प्राप्त एककों के मामले में पंजीकृत क्षमता के 100 प्रतिशत तक और प्राथमिकता प्राप्त एककों के मामले में 125 प्रतिशत तक इस कमी को पूरा करते हैं।

हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त स्थान

7413. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के लोको, यांत्रिक और यातायात विभाग में चतुर्थ श्रेणी के बहुत से स्थान रिक्त हैं;

(ख) क्या इन रिक्त स्थानों पर नैमित्तिक तथा अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्त करके रिक्त स्थानों को भरने के बारे में कर्मचारियों ने अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) चतुर्थ श्रेणी की वर्तमान रिक्तियों में एवजी/नैमित्तिक कर्मचारी नियमित वेतनमान में काम कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान और भविष्य में होने वाली रिक्तियों में समाहृत करने के बारे में विचार किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए उन्हें छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया जा रहा है।

उनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में जैसे और जब अभ्यावेदन मिलते हैं, उनकी जांच की जाती है।

धनबाद नगरीय समिति के मंत्री द्वारा रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

7414. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें धनबाद नागरिक समिति के मंत्री की ओर से पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन

के एक रेलवे अधिकारी और वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किये गये निन्दनीय कार्य और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। पूर्व रेल प्रशासन को एक शिकायत मिली थी।

(ख) पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में कार्य कर रहे एक राजपत्रित अधिकारी और एक अराजपत्रित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध भ्रष्ट तरीकों से काफी धन इकट्ठा करने, प्रतिफल के आधार पर कुछ बड़ी खदानों को खाली मालडिब्बे सप्लाई करने के लिए अनुचित सुविधाएं देने और लम्बे समय से धनबाद मण्डल में बने रहने से था। अराजपत्रित रेल कर्मचारी के खिलाफ ये आरोप थे कि वह लोको भण्डार से हर महीने काफी रुपया कमा रहा था, उसने कुछ क्लीनरों से पैसा लेकर वेतन लेने की अनुमति दे दी थी यद्यपि वे रेलवे का कोई काम नहीं कर रहे थे, उसने कुछ कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत कार्य में लगाया था और धनबाद में राख सप्लाई के ठेके के लिए जितने विभागीय मजदूरों की व्यवस्था की गयी थी उससे कम मजदूरों को काम पर लगाया था और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था। यह मामला सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है।

तेतलमारी प्राइवेट साइडिंग से वैगनों का बुक किया जाना

7415. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट, धनबाद द्वारा सिजुआ के स्टेशन मास्टर को मई या जून, 1971 में लिखित आदेश दिया गया था कि एक जाली व्यापारिक एजेंसी के नाम से तेतलमारी प्राइवेट साइडिंग से प्रतिदिन 8 वैगन बुक किए जायें; और

(ख) क्या सिजुआ के स्टेशन मास्टर और कुछ अन्य व्यक्ति मुअत्तिल किए गये हैं, और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) मेसर्स भारत ट्रेडिंग एजेंसी के आवेदन पर मण्डल परिचालन अधीक्षक, धनबाद ने, सिजुआ स्टेशन के तीतलमारी न० 1 साइडिंग से पूरे माल-डिब्बों में सी० शेल, पत्थर और तापसह ईटों का लदान, 8 माल डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से करने की अनुमति दी थी। लेकिन शर्त यह थी कि पार्टी इस तरह के संचलन को शासित करने वाले रेल नियमों का अनुपालन करे। यह एक ऐसी अनुमति थी जो साइडिंग धारी पार्टी से भिन्न किसी पार्टी को सहायक साइडिंग का उपयोग करने के लिए दी गयी थी। इस प्रकार, यह किसी मालडिब्बे को बुक करने का आदेश नहीं था।

(ख) जी हाँ, पत्थर और दूसरी जिन्सों के माँग पत्रों पर कोयले का लादन करने के जो मामले पकड़े गये हैं, उनके सम्बन्ध में निलम्बन किया गया है। सतर्कता संगठन द्वारा मामले की अभी जाँच-पड़ताल हो रही है।

पश्चिम बंगाल में पन बिजली परियोजना की मंजूरी

7416. डा० रानेन सेन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नई पन-बिजली परियोजना की मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों ने परियोजना-रिपोर्ट भेज दी है, जिनमें नीचे लिखी तीन जल-विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं :—

(1) जलढाका चरण I विस्तार जिसमें 9 मैगावाट के तीन विद्युत जनन-यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है।

(2) जलढाका चरण II जिसमें 4 मैगावाट के दो युनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है।

(3) 2 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली रिंचिंगटन लघु जल विद्युत स्कीम, जो 0.5 मैगावाट के दो यूनिटों और 1 मैगावाट के एक यूनिट की है।

जहाँ तक मद (1) का सम्बन्ध है, राज्य सरकार के अधिकारियों से यह निवेदन किया गया है कि चूँकि स्कीम निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है, इसलिए वे वास्तविक टेंडरों पर आधारित संशोधित प्राक्कलन ही भेजें।

जहां तक मद संख्या (2) और (3) का संबंध है, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने स्कीम रिपोर्टों की जांच कर ली है और उनके सम्बन्ध में दी गई टिप्पणियां राज्य के अधिकारियों को भेज दी गई हैं। जब परियोजना अधिकारियों से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और उनकी जांच कर ली जाएगी, तो स्कीमों की ये रिपोर्ट से सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

Incidents of looting of passenger and goods tranis in Jhansi Division

7417. Dr. Govind Das Richhariya : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting of passenger and goods trains that took place in Jhansi Division during the last 2 years and the number of railway employees who suffered as a result thereof indicating the loss suffered by them; and

(b) the action being taken by Government to check such incidents ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The numbar of incidents of passenger and goods trains reported during the period from August 1969 to July 1971 is three and one respectively. No loss of property was suffered by any Railway employee but one Guard and one Rakshak of the Railway Protection Force sustained injuries.

(b) To the extent possible passenger/goods trains are being escorted by Government Railway Police/Railway Protection Force armed guard. Plain clothed men are deputed to watch movements of Railway criminals.

Cash found short in Cash Offices and in R.M.S. in Jhansi Division.

7418. Dr. Govind Das Richhariya : will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents in which cash was found short in Cash Offices and in R. M. S. in Jhansi Division during the last three years; and

(b) the action taken by Government to investigate and check such incidents ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) 13 incidents of shortages of cash were reported is Cash Office, Jhansi. R. M. S. do not carry Railway cash.

(b) All the cases were reported to the Police and investigated by them. Departmental enquiries were also ordered and disciplinary action initiated against those held respohsible. Security arrangements are being further tightened up in the Regional Cash Office, Jhansi.

General Elections—1972.

7419. Shri. S.D. Singh : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the names of the States where General Elections will be held in 1972; and

(b) whether Elections would also be held in the States under President's rule alongwith other States ?

The Minister of state in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) General elections for constituting new Legislative Assemblies are due in 1972 in the following states :

Andhra Pradesh
Assam
Himanchal Pradesh
Jammu & Kashmir
Madhya Pradesh
Maharashtra
Rajasthan

(b) No decision has yet been taken regarding the time of holding elections in any of the above States or the States which are under President's rule.

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत सजायाफ्ता व्यक्तियों का निर्वाचन लड़ने के लिए अयोग्य होना

7420. श्री के० मालन्ना :
श्री प्रभुदास पटेल :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत अपराध में सजायाफ्ता व्यक्तियों को राज्य विधान सभाओं अथवा संसद् के निर्वाचन लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या याद दिलाये जाने के बावजूद राज्यों द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये की गई कार्यवाही से केन्द्र सरकार सन्तुष्ट नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु इस बात को समय-समय पर देखने का प्रयत्न किया

जाता है कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 किस प्रकार काम कर रहा है। जो बातें अब तक नजर आई हैं उनके आधार पर इसके दण्ड विषयक उपबन्धों को और कठोर बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम को संशोधित करने के कुछ सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

तारों की जाली के लिए लाइसेंस देना

7421. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में कितने मीट्रिक टन तारों की जाली के लिए लाइसेंस दिये गये थे; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में लाइसेंसों में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी की गई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जाली बनाने वाले उद्योगों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रथम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है अतः इस उद्योग के लिए कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है अथवा इस वस्तु के उत्पादन के लिए पिछले छः महीनों में कोई भी नया एकक तकनीकी विकास के महानिदेशालय की पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बुल्गेरियाई सहयोग से सब्जी सुखाने के कारखाने

7422. श्री जी० भुवाराहन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुल्गेरिया सरकार के सहयोग से राज्यवार देश के कितने स्थानों पर सब्जी सुखाने के कारखाने आरम्भ किये गये हैं;

(ख) इस कार्य के लिए बुल्गेरिया सरकार ने कितनी वित्तीय और यांत्रिक सहायता दी है; और

(ग) सहायता की शर्तें क्या हैं;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद में सब्जी प्याज आदि सुखाने का एक कारखाना खोला गया है जिसकी मशीनें भारत-बुल्गारिया करार के अन्तर्गत बुल्गारिया से आयात की गई हैं।

(ख) उक्त योजना के लिए 9·21 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो बुल्गारिया के संभरणकर्ताओं के साथ किये गये ठेके के पोत पर्यन्त तक निशुल्क मूल्य का 85 प्रतिशत तक होता है।

(ग) बुल्गारिया ऋण करार की शर्तें निम्नलिखित हैं:—

(1) संविदा के पोत पर्यन्त तक निशुल्क मूल्य के प्रत्येक 7·5 प्रतिशत के दो भुगतान,

(2) अन्तिम आवश्यक पोत के चलने के प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात् से 9 बराबर किस्तों में पोतपर्यन्त तक निशुल्क मूल्य का 85 प्रतिशत तक का भुगतान,

(3) बकाया राशि पर 3 प्रतिशत दर पर ब्याज, और

(4) भाड़ा तथा बीमा व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत आयेंगे ।

मनीपुर स्थित लोक तक बहुउद्देशीय परियोजना में भारी इन्जीनियरिंग औजारों और मशीनों की कमी

7423. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग औजारों और मशीनों के उपलब्ध न होने के कारण मनीपुर स्थित लोकतक बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण की प्रगति में बाधा पड़ने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक औजार और मशीनें समय पर सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या औजारों और मशीनों की खरीद इस्पात और खान मंत्रालय के अधिककार-क्षेत्र से बाहर है; और

(घ) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे इनकी खरीद की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : यह परियोजना सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में है । औजारों और मशीनों की खरीद एक संतत प्रक्रिया है । आमतौर से संयंत्रों की प्राप्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महानिदेशक, सम्भरण और निपटान (सम्भरण मंत्रालय) के जरिये अथवा सीधे परियोजना के मुख्य अभियन्ता द्वारा की जाती है । ऐसी फर्मों की नियत सूची नहीं है जिनसे खरीद की जानी होती है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित उद्योग

7424. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित उद्योग आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों का पूर्णतम उपयोग और समग्र मूल्यांकन करने के लिये पूर्वाचलित परिषद की स्थायी समिति के तत्वावधान के अन्तर्गत इस क्षेत्र के समस्त औद्योगिक

विभव का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तीन कार्यकारी दलों की नियुक्ति की गई थी। कार्यकारी दलों ने जो रिपोर्टें प्रस्तुत की है वह सरकार के विचाराधीन है।

वर्दी संबंधी समिति का प्रतिवेदन

7425. श्री बी० पी० मौर्य : क्या रेल मंत्री वर्दी की सप्लाई करने सम्बन्धी 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1269 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन में सिगनल और दूर संचार शाखा के कर्मचारियों के लिए कोई सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो ये सिफारिशें सिगनल और दूर संचार शाखा के किन श्रेणियों के लिए की गई है और प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (घ) वर्दी समिति द्वारा वार्दियों की सप्लाई और पात्रता के सम्बन्ध में निर्धारित सिद्धान्त अनुबन्ध-I में दिये गये हैं। यह रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। वर्दी समिति ने सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों की जिन कोटियों के लिए सिफारिशें की हैं, उनकी सूची अनुबन्ध-II में दी गयी है। इस रिपोर्ट पर जब विनिश्चय कर लिया जायेगा तभी इन सिफारिशों पर कार्रवाई की जायेगी। [ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी०-874/71]

केरल में कोयले की कमी

7426. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के लिए कोयले के कोटे में कमी कर दी गई है जिससे सारे राज्य में ईंधन की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य के लिए कोयले के कोटे में वृद्धि किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख) राज्य के सीमेंट उद्योग को दिये जाने वाले कोयले के अतिरिक्त, 1971 में केरल के लिए कोयला भेजने के कोटे में किसी तरह की कमी नहीं की गयी है। सीमेंट उद्योग के कोटे में कमी प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी, अर्थात तकनीकी विकास महानिदेशालय (सीमेंट-निदेशालय) द्वारा की गयी है जो 1970 के 720 माल-डिब्बों से घटाकर 1971 में 384 कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस्कोर्ट्स द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों की किस्म में ह्रास

7427. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भारत में निर्मित एस्कोर्ट्स ट्रैक्टरों की किस्म में ह्रास होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में जाली फर्मों को कच्चे माल की सप्लाई

7428. **श्री सी० चित्तिबाबू:**
श्री प्रभुदास पटेल :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय ने उत्तर प्रदेश में जाली लघु उद्योगों को लोहे, इस्पात तथा दूसरे कच्चे माल की सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो जाली फर्मों को ऐसे माल की सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या लोहे तथा इस्पात नियंत्रक, जिन्होंने लघु एककों को कच्चे माल की सप्लाई के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां दी थी, के दौरे के पश्चात उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय ने एक समिति नियुक्त की थी; यदि हां, तो समिति के निदेशालय के निष्कर्ष क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क)जी, नहीं। आगरा की कुछ ऐसी फर्मों का पता लगा है जिन्होंने लोहे और इस्पात की अपनी गलत और अधिक मांग बुक कराई।

(ख) इस प्रकार की गलत मांग को रद्द कर दिया गया है और उन्हें कोई संभरण नहीं किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक ने ऐसे एककों की वास्तविक माँग का पता लगाने के लिए एक आफीसर की नियुक्ति की है। जांच के परिणाम ऊपर (क) और (ख) भाग में दिए गये हैं।

रेल कर्मचारियों द्वारा अन्तरिम सहायता में वृद्धि की मांग

7429. श्री के० मालन्ना :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने अतिरिक्त अन्तरिम सहायता के दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में 15 जुलाई, 1971 को नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्री ने प्रदर्शकों के सामने भाषण दिया था;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के साथ बात चीत की है; और

(घ) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों को कितनी अन्तरिम सहायता दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी हां

(ग) और (घ) : नेशनल फैडरेशन आफ इन्डियन रेलवेमैन के एक शिष्टमण्डल ने, जिसने प्रदर्शन किया था, उसी दिन प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें प्रति कर्मचारी प्रतिमास 78.75 रुपये की अन्तरिम राहत देने की मांग की गयी थी। ज्ञापन उपयुक्त कार्यवाई के लिए वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

गोहाटी अलीपुर द्वार जंक्शन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के बिपनी और चपरामारी स्टेशनों के बीच टैंक स्पेशल के गार्ड की मृत्यु

7430. श्री के० मालन्ना:
श्री एस० एम० कृष्णा:
श्री एस० एम० जोजफ:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गोहाटी-अलीपुरद्वार छोटी लाइन के सैक्शन पर 16 जुलाई को बिपनी और चपरामारी स्टेशनों के बीच दुर्घटना हुई और "टैंक स्पेशल" के गार्ड की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच कराई गयी थी और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा किसी तोड़-फोड़ का संदेह किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, यह दुर्घटना 17-7-71 को बिजनी और चपरामारी स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(ग) जी नहीं।

कलकत्ता के चीतापुर यार्ड से चुराया गया सामान

7431. डा० रानेन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के चीतापुर यार्ड से गत छः महीनों में 12 लाख रुपये का सामान चुरा लिया गया था;

(ख) क्या इस बारे में रेलवे सुरक्षा दल अथवा भारतीय खाद्य निगम ने कोई मामला दायर किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता के फ्रेजरगंज क्षेत्र को समुद्री-कटाव से खतरा

7432. डा० रानेन सेन : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के फ्रेजरगंज क्षेत्र को समुद्री कटाव से खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के समुद्री-कटाव से संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सूचित किया है कि गत कुछ वर्षों के दौरान 24 परगना जिले के फ्रेजर गंज क्षेत्र में समुद्र-तट का कटाव तेजी से होता रहा है । राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अभी तक समुद्र-तट कटाव रोधी कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं की है । बहरहाल, ज्वारीय बाढ़ों से खेती वाली भूमि की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने मौजूदा तटबंध से, जो 1969 में समुद्री लहरों के प्रबल आघात के कारण टूट गया था, पीछे हटकर एक तटबंध का निर्माण पहले ही कर दिया है ।

रेल अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

7433. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को श्री रामजीलाल शर्मा, भ्रष्टाचार विरोधी तथा संचालक, कुष्ठ निवारण समिति, 33 एफ, रेलवे क्वार्टर्स नैनी, इलाहाबाद (उ० प्र०) की ओर से रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कुछ गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में 11 जनवरी, 1970 का कोई पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Opening of branch line fr m Hajipur to Sangauli in Bihar

7434. Shri K. M. Madhukar : will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some Members of Parliament from Bihar have demanded opening of a Branch line from Hajipur to Sangaulivia Lalganj, Vaishali. Sahibganj Kesaria, Govindganj and Areraj, and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthiya) (a) Yes.

(b) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, the construction of this line cannot be considered at present.

पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में लक्ष्मीकांतपुर और मथुरापुर सड़क के बीच रघुनाथपुर में नये स्टेशन का निर्माण

7435. श्री माधुर्य हालदार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में लक्ष्मीकान्तपुर और मथुरापुर सड़क के बीच रघुनाथपुर में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) और (ख) : प्रस्ताव पर विचार किया गया है और अब यह विनिश्चय कर लिया गया है कि लक्ष्मीकांतपुर और मथुरापुर रोड स्टेशनों के बीच ठेकेदार चालित एक गाड़ी हाल्ट खोला जाय ।

नदी के बेसिन की सिंचाई क्षमता का विकास

7436. श्री माधुर्य हालदार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी के बेसिन की सिंचाई क्षमता के विकास के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने अब तक कितने मामलों में योजनायें तैयार की हैं; और

(ख) कौन से नदी बेसिन के बारे में इस प्रकार के अध्ययन आरम्भ किये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) तथा (ख) : केन्द्र ने हाल ही में महानदी और गंगा बेसिनों के विकास के लिए एक विस्तृत बेसिन योजना तैयार करने की शुरूआत की है । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अन्तर्राज्यीय नदियों के जल में हिस्सा बांटने के प्रश्न को न उठाते हुए, जहां तक संभव हो, मास्टर योजनायें तैयार करने का काम हाथ में लें । कार्य जटिल है और इसके लिए काफी मात्रा में क्षेत्रीय कार्य और अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

पश्चिम बंगाल स्थित काकद्वीप के निकट भागीरथी नदी से गाद हटाने का कार्य

7437. श्री माधुर्य हालदार : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला में काकद्वीप के निकट भागीरथी नदी से गाद हटाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने का है ताकि वहां नौका सेवा में सुविधा हो सके और सागर द्वीप तथा काकद्वीप के मध्य नौका सेवा आरम्भ की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) काकद्वीप के निकट भागीरथी नदी में से गाद निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में बाढ़ों पर नियंत्रण करने की योजना

7438. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन पश्चिम बंगाल के 'सुन्दरबन क्षेत्र' 24 परगना में बाढ़ों पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने 1.2 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 18.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक प्रारम्भिक स्कीम नामशः 'सुन्दरवन डेल्टा परियोजना, चरण-एक' तैयार की है । इस स्कीम के बाढ़ नियंत्रण कार्यों में ये शामिल हैं—75 किलोमीटर लम्बे सीमावर्ती तटबंधों, सुरक्षित क्षेत्र में समुद्र जल के आने को रोकने के लिए मुख्य पैनलों के ऊपर रोधक (क्लोजर) बांधों का निर्माण, निकास प्रणाली का पुनर्रुपण तथा नालियों (स्लूस) की व्यवस्था करना । इस स्कीम की केन्द्र ने जांच की है और राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह आवश्यक अनुसन्धान करने के पश्चात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करे । चूंकि विस्तृत स्कीम तैयार करने में कुछ समय लगने की सम्भावना है, राज्य सरकार ने 100 नालियों (स्लूस) के निर्माण के लिए तत्काल सहायता हेतु एक स्कीम तैयार की है जो अन्तिम रूप से तैयार होने वाली स्कीम में समुचित साबित होगी । इस स्कीम को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है ।

पुनलर रेलवे स्टेशन की रेलवे की जमीन से निकाले गए किसानों को मुआवजा

7439. **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में क्विलोन जिले के पुनलूर रेलवे स्टेशन और त्रिवेन्द्रम जिले के आयेन्काबु रेलवे स्टेशन के रेल अधिकारियों के व्यवहार की ओर दिलाया गया है जो गरीब 'कुडिकिडाधुकर्स' तथा किसानों को परेशान कर रहे हैं और निकाल रहे हैं;

(ख) क्या मामले की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) निकाले गये किसानों को पुनः भूमि लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और एडापल्याम के किसानों को उनकी खेती के विनाश से हुई हानि के लिए मुआवजे के रूप में कितती राशि दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) खण्डीय रेल पथ निरीक्षक ने देखा कि पुनलूर-भगवतीपुरम् खण्ड में कटावों के सिरे पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा रेलवे की जमीन का टेपिओका और केले के पेड़ों की खेती के लिये अनधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जलरोक नाली रुक गई और ऊपरी सिरे की मिट्टी गीली हो गयी जिससे कटाव की मिट्टी खिसक गयी। चूंकि खेती करना अनधिकृत होने के अलावा, इससे रेल यातायात को गम्भीर खतरा पैदा हो गया था, अतः पुलिस की सहायता से अनधिकृत कृषि कार्य को हटाने के लिए कार्रवाई की गयी जो अतिक्रमण करने वालों द्वारा अपनाये गये शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण आवश्यक हो गई थी।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) में बताई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के रुकने के लिए दक्षिण रेलवे पर पट्टम्बी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार करना

7440. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक्सप्रैस रेल गाड़ियों के रुकने के लिए दक्षिण रेलवे पर पट्टम्बी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) अनुमान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अनुमान स्वीकृत होते और ठेके को अन्तिम रूप दिये जाते ही निर्माण शुरू कर दिया जायेगा।

नौपरिवहन के लिए उड़ीसा समुद्रतटीय नहर

7441. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा की समुद्रतटीय नहर को नौपरिवहन के लिए उपलब्ध करने हेतु सरकार इसे अपने अधिकार में लेने जा रही है और यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि भगवती समिति ने चौथी योजना या पाँचवीं योजना की अवधि में इस स्कीम के कार्यान्वियन की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इसे अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है।

बालासोर-उड़ीसा में बुड़ा-बालंग नदी पर बांध

7442. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा

(क) क्या बालासोर में सिंचाई के लिए बुड़ा-बालंग नदी पर छोटा बांध अथवा बैरेज बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा और उस पर कितना धन व्यय होगा ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि ऐसे कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों के गांवों में बिजली लगाना

7443. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सिंचाई और विदयुत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के अन्त तक उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों में कितने गांवों में बिजली लगाई जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उड़ीसा राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा ग्रामविद्युतीकरण निगम की स्वीकृति के लिए दो स्कीमें भेजी गई थीं । एक में चतुर्थ योजना के अन्त तक मयूरभंज जिले में 144 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1973 पम्पों के अर्जन और दूसरी में चतुर्थ योजना के अन्त तक बालासौर जिले में 210 ग्रामों के विद्युती करणऔर 393 पम्पों के अर्जन की परिकल्पना की गई है । इन स्कीमों को निगम द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों के अनुसार संशोधित करने के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों को वापिस भेज दिया गया । संशोधित स्कीमों की प्रतीक्षा हो रही है ।

बोंदामुंडा स्टेशन पर गाड़ियों का रोका जाना

7444. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला से 5 किलोमीटर दूर बोंदामुंडा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा जंजीर खींचने के कारण अधिकांश गाड़ियों को रुकना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय डाकगाड़ी के अतिरिक्त सभी गाड़ियों का बोंदा-मुंडा स्टेशन पर एक मिनट का हाल्ट बनाने का विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं । रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए, बोंदामुंडा माल यार्ड में सुविधाजनक स्थानों पर कई गाड़ियों के नियमित ठहरावों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) जी नहीं, वर्तमान गाड़ियों के ठहराव पर्याप्त समझे जाते हैं ।

बोंदामुंडा रेलवे स्कूल (दक्षिण पूर्व रेलवे) में उड़िया का पढ़ाया जाना

7445. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बोंदामुंडा रेलवे स्टेशन के निकट बोंदामुंडा रेलवे स्कूल में उड़िया का पढ़ाया जाना बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Dhalli-Rajhara-Narainpur-Kondagaon-Jagdalpur Railway Lines in Madhya Pradesh.

7446. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to lay Dhalli Rajhara Narainpur-Kondagaon-Jagdalpur Railway line in Madhya Pradesh;

(b) if so, the length of the said Railway line;

(c) whether this line will prove helpful in providing adequate opportunities for the development of Bastar District, an undeveloped district of Madha Pradesh; and

(d) if so, the steps being taken by Government in regard to the proposed Railway line ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Based on certain data furnished by the State Government an updating of the earlier feasibility-cum-cost study report of the Dhalli Rajhara-Dantewara/Jagdalpur line has been taken up.

(b) 210 Kms.

(c) Yes.

(d) A decision regarding the construction of the line will be taken after the results of the updating become known.

Survey Reg. Chhosala Dam at Shivana in Mandsaur

7447. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government had conducted a survey in regard to Chhosala Dam at Shivana river in Mandsaur District of Madhya Pradesh;

(b) whether davastating floods occur in Shivana river every year resulting in considerable loss of life and property; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) The Madhya Pradesh Government have reported that floods occur occassionally in the Shivana river causing loss of life and property. The State Government had carried out investigations for a flood moderation dam at Chhosala but had found that the construction of a dam for flood control would not be economically feasible. However further surveys for a dam upstream of Mandsaur are in progress.

The State Government have established a new colony for shifting people from low-

lying areas of Mandsaur town. Construction of a high level bridge in place of existing cause-way which to ill reduce the flood heights, is also in progress.

Floods in Narmada River

7448. Dr. Laxm'narain Pandey : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether floods in the Narmada River pose danger to Hoshangabad and adjacent places every year; and

(b) the position in regard to implementation of the scheme formulated to protect the said city and adjacent places from floods.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Some of the low-lying areas of Hoshangabad town and adjacent areas are affected due to spilling or by backflow into the Lendia Nallah when the Narmada is in high floods.

(b) For providing protection to the town, the following schemes have already been implemented by the Madhya Pradesh Governments.

i) Construction of an embankment in a length of 330 meters across the low ridge near Home Science College for preventing spilling;

ii) Scheme for preventing the backflow of Narmada into the Lendia Nallah.

The State Government have also proposed to undertake the followiog schemes :

i) Raising and strengthening of the low embankments in the upstream reaches; and

ii) Raising the ghats.

These schemes are, however, yet to be formulated.

जल पाईगुड़ी के निकट तीस्ता नदी पर रेलवे पुलों का चौड़ा किया जाना

7449. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के निकट तीस्ता नदी पर दो सड़क रेलवे पुलों के चौड़ा करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक काम शुरु होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां। संक्षेप में उस की विषय वस्तु इस प्रकार है :—

"नवम्बर, 68 में सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की जो समिति बनायी गयी थी उसने 1970 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जलपाईगुड़ी के समीप तीस्ता नदी पर रेल और सड़क पुलों के नीचे अतिरिक्त जल मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। रेलवे

का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इस निर्णय के साथ अपनी असहमति व्यक्त की और सुझाव दिया कि अतिरिक्त जल मार्ग कितना हो इस का निर्णय करने से पहले नदी के उतार-चढ़ाव की देखभाल की जाये।

इस सम्बन्ध में 1970 के बाढ़ वाले मौसम में देखभाल की गया थी। इस देखभाल के परिणामों पर रेलवे बोर्ड, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के तकनीकी अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हो रहा है।

अतिरिक्त जल मार्ग की व्यवस्था जलपाईगुड़ी नगर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सड़क पुल को चौड़ा करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है लेकिन सड़क पुल को चौड़ा करने का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक रेलवे पुल भी चौड़ा नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री भी चाहते है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाई की जाये।

चालू मानसून मौसम के समाप्त होने से पहले योजना तैयार करना आवश्यक है ताकि अक्तूबर-नवम्बर 71 से काम का मौसम शुरु होने के बाद, तुरन्त ही काम शुरू किया जा सके"।

(ग) चूंकी अभी यह तय करना बाकी है कि रेलवे पुल का विस्तार करने की जरूरत है या नहीं, अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता। 1970 और 1971 के मानसून के मौसम में नदी के उतार-चढ़ाव की देखभाल के दौरान इकट्ठे किये गये ब्योरे के प्रकाश में रेलवे पुल को चौड़ा करने के प्रश्न पर केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के सदस्य (बाढ़) की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के तकनीकी अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हो रहा है।

सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-रसायनों पर आधारित उद्योग

7450. श्री दिनेश जोरदर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-रसायनों पर आधारित बहुत से उद्योग स्थापित करने का अपना पहला निर्णय बदल लिया है और उस प्रयोजन के लिए बड़े बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़े औद्योगिक गृहों को इस प्रयोजन के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित निर्णय को बदले जाने के कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (घ) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में बाढ़ से हुई क्षति

7451. श्री दिनेश जोरदर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 की बाढ़ के दौरान पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में कितने परिवारों ने अपनी भूमि की बिक्री की और फसल, पशुओं रेशम उद्योग की अलग-अलग कितनी हानि हुई;

(ख) सितम्बर, 1969 में माल्दा को भेजे गए केन्द्रीय सरकार के अयध्यन दल के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; श्रौर

(ग) माल्दा जिले में फूलबान, महानन्दा, कालिन्दी और गंगा नदी में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार की सूचना के अनुसार 1968 और 1969 के दौरान माल्दा जिले में बाढ़ों के कारण हुई क्षति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) माल्दा जिले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी अध्ययन दल (सितम्बर, 1969) की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :—

"मणिकचक और कालियाचक क्षेत्रों में भू-कटाव हुआ है । कृषिगत भूमि के विशाल क्षेत्र जलप्लावित हुए हैं और मक्का, गन्ना, जूट, इत्यादि की खड़ी फसलों को क्षति पहुंची है अथवा वे नष्ट हो गई हैं । कालियाचक क्षेत्र के एक बहुत बड़े क्षेत्र में रेशम उत्पादन उद्योग के लिए उगाए गए शहतूत के पौधों को क्षति पहुंची है । इस प्रकार प्रभावित कृषिगत क्षेत्र का अनुमान 107,000 एकड़ है । रेशम के कीड़े पालने वालों के 6600 कीट पालन गृहों को क्षति पहुंची है अथवा वे पूर्णतया नष्ट हो गए हैं । जिले के दो उत्तरी स्थानों में महानन्दा, कालिन्दी और फुलाहार, नदियों पर सुरक्षात्मक बन्ध बनाने की मांग की गई थी ।"

(ग) फुलाहार, महानन्दा, कालिन्दी और गंगा नदियों में बाढ़ समस्या को सुलझाने के लिए निम्नलिखित स्कीमें तैयार की गई हैं :—

(1) 3.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पश्चिम बंगाल सरकार ने महानन्दा तटबंध स्कीम तैयार की है । इसमें बिहार में प्रस्तावित तटबंध के सांतत्य में और इसका रतवा तक विस्तार करके फुलाहार शाखा के बाएं तट पर एक तटबंध और प्रस्तावित बिहार तटबंध के अन्तिम छोर से वर्तमान सम्बलपुर बंध तक बारसोई शाखा के दायी ओर एक तटबन्ध के निर्माण की व्यवस्था की गई हैं । राज्य सरकार से केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात स्कीम की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जानी है ।

(2) कालिन्दी स्पिल के जरिये बहाव को नियमित करने के लिए फरक्का बराज परियोजना के एक भाग के रूप में कालिन्दी नदी पर एक नियामक की व्यवस्था की जा रही है ।

(3) राज्य सरकार ने फरक्का बराज की प्रतिप्रवाह दिशा में कालिन्दी नियामिक तक गंगा के वाम तट पर एक तटबंध के निर्माण के लिए 1.56 करोड़ रुपये की लागत की एक प्रारम्भिक स्कीम तैयार की है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तृत रूप में तैयार करना है ।

"विवरण"

माल्दा जिले (पश्चिम बंगाल) में 1968 और 1969 के दौरान बाढ़ क्षति का विवरण

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र लाख हैक्टेयर में	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित ग्राम	फसलों को क्षति क्षेत्र लाख हैक्टेयर में	फसलों को क्षति कीमत लाख रुपयों में	मकानों को क्षति संख्या	मकानों को क्षति कीमत लाख रुपयों में	पशु हानि संख्या	जन हानि संख्या	सार्वजनिक सुविधाओं को क्षति लाख रुपयों में	फसलों, मकानों, सार्वजनिक सुविधाओं की कुल क्षति लाख रुपयों में	अभ्युक्ति
1968	0.45	2,07,880	352	0.39	125.1	13,397	53.2	4	—	18.73	197	1969 में रेशम के कीड़े पालने वालों के 6600 कीटपालन गृहों को क्षति पहुंची।
1969	1.11	3,69,000	512	0.43	226	63,099	307	78	25	208	741	

केरल में रेलवे लाइनों की लम्बाई

7452. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एरणाकुलम-क्यूलोन रेलवे लाइन के निर्माण के बाद केरल में कितने किलोमीटर नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : 1958 में एर्णाकुलम-कोलम रेलवे लाइन के निर्माण के बाद केरल राज्य में कोई नयी रेलवे लाइन नहीं बनायी गयी है। लेकिन दो नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें से एक (एर्णाकुलम से कायामकुलम तक) का सर्वेक्षण किया जा रहा है और दूसरे (त्रिवेन्द्रम-कुमारी अन्तरीप-तिरुन्नेलवेलि जो अंशतः केरल में है) का सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

केरल में रेलवे से राजस्व की प्राप्ति

7453. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अन्य भागों की तुलना में रेलवे को केरल से अनुपाततः अधिक आय हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आय सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेलवे की आमदनी का लेखा प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे का अलग-अलग आयात के अनुसार रखा जाता है कि राज्यवार। इसलिए मांगा गया ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

क्विलोन, एर्नाकुलम और शोरनपुर जंकशनों के रेलवे स्टेशनों का पुर्ननिर्माण

7454. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन, एर्नाकुलम और शौरनपुर जंकशनों के रेलवे स्टेशनों का पुर्ननिर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) 4 लाख रुपये की लागत से एर्णाकुलम जंकशन स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन करने के काम को 1971-72 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस काम में (i) छः अतिरिक्त विश्रामालय (ii) नये रेस्तरां और (iii) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय के विस्तार की व्यवस्था शामिल है।

कोल्लम और शोरन्नूर स्टेशन की इमारतों को फिर से बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

नई दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मुकदमे

7455. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के न्यायालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से कितने मुकदमे लम्बित हैं;

(ख) ऐसे मुकदमों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) नई दिल्ली के न्यायालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से सैंतालीस मुकदमे लम्बित हैं। इन मुकदमों के निपटारे में देर होने के अनेक कारण हैं, जैसे अभियुक्त का पुनरीक्षण के हेतु सेशन न्यायालयों में जाना, उच्च न्यायालयों के आदेशों के अधीन कार्यवाहियों का रोक दिया जाना, संबंधित पक्षों द्वारा साक्षियों को पेश न कर सकना, कुछ मामलों में मुकदमा-सम्बन्धी सम्पत्ति का पेश न किया जाना आदि। इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

छितौनी बांध में दरार पड़ने के कारण हुई हानि का अनुमान

7456. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरायणी नदी पर छितौनी बांध में दरार पड़ने के कारण हुई हानि के निश्चित आंकड़े सरकार एकत्र नहीं कर सकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हानि का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उत्तर प्रदेश में गंडक के बायें किनारे में जो दरार पड़ी थी, वह छितौनी बांध में नहीं थी बल्कि मलहैया के निकट रेल तटबंध में थी। राज्य सरकार ने इस दरार द्वारा हुई क्षति का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया है जो नीचे दिया जाता है :—

1. प्रभावित ग्रामों की संख्या	26
2. प्रभावित परिवारों की संख्या	4742
3. प्रभावित लोगों की संख्या	25618
4. क्षेत्र प्रभावित (हेक्टेयर में)	7310
5. कृषिगत क्षेत्र प्रभावित (हैक्टेयर में)	5608
6. फसलों को हुई क्षति का मूल्य	83,14,200/= रुपये
7. क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	2653
8. क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्य	26,53,000/-रुपये
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि	1,00,000/-रुपये
10. मृत व्यक्तियों की संख्या	9 (खोये हुए)
11. मृत पशुओं की संख्या	107 (खोये हुए)

(ख) : उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि क्षति का मूल्यांकन करने के लिए किसी विशेष आयोग की नियुक्ति करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

People Affected by Floods in Badayun District in U. P.

7457. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that the people living on the Eastern side of the bund constructed on Ganga River in Badayun District are also affected by floods in the said river;

(b) if so, whether Government propose to extend the said bund to the Eastern side; and

(c) if not, the steps proposed to be taken by Government to conduct a survey in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Some areas on the east of the embankment on the left bank of Ganga in Badayun district are affected whenever the Mahewa river, a tributary of Ganga, is in floods.

(b) & (c) : The Utter Pradesh Government have prepared a scheme for extending the Ganga Mahewa bund along the right bank of Mahewa river at an estimated cost of Rs. 4.55 lakhs. A provision of Rs. 2 lakhs has been made for the implemantation of the scheme in the Annual Plan 1971-72.

Bug-infested furniture in waiting Room at Hathras Junction on Northern Railway

7458, **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** will the Mintster of **Railways** be pleased to state.

(a) whether the furniture provided in the Ist Class Waiting room at Hathras Junction on the Northern Railways is infested with such a large number of bugs that passengers find it difficult to use this furniture;

(b) whether heavy incidence of bug-bite results in eosinophilia disease; and

(c) if so, the action Government propose to take to get rid of bug menace from the said waiting room.

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) No but there may be some infestation.

(b) No.

(c) Steps have been taken to disinfect the furniture.

कम वेतन पाने वाले तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की परिलब्धियों में विषमता

7459. **श्री ज दीश भटटाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कम वेतन पाने वाले और अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की परिलब्धियों में विषमताएं हैं; और

(ख) उक्त विषमताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) और (ख) : वर्तमान वेतन संरचना के अन्तर्गत निम्नतम वेतन-मान में न्यूनतम राशि 70 रुपये प्रति मास है जिसके साथ 71 रुपये प्रति मास मंहगाई भत्ता मिलता है और अधिकतम देय वेतन 3500 रुपये प्रति मास है।

समय-समय पर निम्नतम वेतन-मान के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निम्नतम और उच्चतम वेतनमानों के बीच के अन्तर का अनुपात घटा है। पहले वेतन आयोग के बाद 1947 में रेल सेवा में अधिकतम वेतन का न्यूनतम परिलब्धियों से अनुपात 55:1 था और अब यह अनुपात 25:1 है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की शर्तों पर विचार करने के लिये एक और वेतन आयोग की नियुक्ति कर दी है।

बम्बई के लिये वृत्ताकार रेलवे

7460. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के लिए ट्यूब अथवा वृत्ताकार रेलवे चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : बम्बई में वृत्ताकार रेलवे या सुरंग रेलवे के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

2. नवम्बर, 1969 में रेलवे ने बम्बई में एक महानगर परिवहन संगठन का निर्माण किया था। इस संगठन को निम्नलिखित कार्य के सचालन की जिम्मेदारी दी गयी है:—

(i) वलार्ड इस्टेट में पहुँच लाइन के साथ-साथ तीसरे टर्मिनल के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण।

(ii) बम्बई में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन।

3. तीसरे टर्मिनल का प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए अध्ययन का काम प्रगति पर है। आशा है ये काम जुलाई, 1972 तक पूरे हो जायेंगे।

खुले माल डिब्बों में सड़ा अनाज

7461. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1971 के 'बिल्ट्ज' में खुले माल डिब्बों में सड़े अनाज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया : (क) जी हां।

(ख) 3-6-1971 को अमृतसर और भंगतांवाला से साहिबगंज और भागलपुर के लिए 51 मालडिब्बों की एक स्पेशल गाड़ी में खाद्यान लादे गये थे। उसमें 8 बन्द माल डिब्बे थे और शेष खुले डिब्बे थे। चूंकि मूलतः बुक किये गये टर्मिनल स्टेशनों पर भीड़-भाड़ थी, अतः उस गाड़ी

का मार्ग वडाला परिवर्तन करके उसे (बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे) भेज दिया गया। रबी की फसल के व्यस्तम मौसम के दौरान, जब दो महीने की अल्प अवधि के भीतर खाद्यान्नों की भारी मात्रा का परिवहन करना पड़ता है, तो सीमित रूप में खुले माल डिब्बों का इस्तेमाल अपरिहार्य हो जाता है। जब मूल गन्तव्य स्टेशनों पर अधिक भीड़भाड़ हो जाती है, तो कुछ स्पेशल गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन भी अनिवार्य हो जाता है। ताकि वे लदे हुए माल डिब्बे शीघ्र खाली हो जायें जो अन्यथा भीड़भाड़ दूर होने तक माल से लदे पड़े रहते। मार्ग परिवर्तित माल डिब्बे 19-6-1971 को वडाला में भारतीय खाद्य निगम के डिपों में रख दिये गये और 19/20-6-1971 को उनसे माल उतार दिया गया था। नुकसान की मात्रा स्पेशल गाड़ियों में लदे खाद्यान्नों की मात्रा के एक प्रतिशत से भी कम थी।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें

7462. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्ति जिलों में लघु उद्योगों का विकास करने हेतु नये उद्यमियों को विशेष ऋण सुविधाओं की व्यवस्था की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टायरों का उत्पादन और निर्यात

7463. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में साइकिलों, स्कूटरों, कारों तथा भारी वाहनों के कितने-कितने टायर किन-किन देशों को निर्यात किए गए; और

(ख) निर्यात करने और बढ़ती हुई आन्तरिक मांग पूरी करने हेतु उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विभिन्न श्रेणी के निर्यात टायरों की मात्रा, और जिन देशों को 1970-71 (जनवरी 1971 तक) में इनका निर्यात किया गया है का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	विवरण/देश	निर्यातित मात्रा
1-साइकिल टायर		
	अफगानिस्तान	54000
	घाना	103000
	गुयाना	27000

ईरान	30000
ईराक	26000
पीरू	44000
सूडान	29000
तंजानिया रिपब्लिक	7000
थाईलैंड	215000
यू०एस०ए०	206000
दूसरे देश	231000
योग	972000

2- कार टायर

श्री लंका	3000
केन्या	2864
नेपाल	1813
ईराक	2770
यूगोस्लाविया	13995
यू०एस०आर०	4263
दूसरे देश	4440
योग	30445

3- मोटर साइकिल के टायर

आस्ट्रेलिया	1300
यूगोस्लाविया	500
दूसरे देश	979
योग	2779

4- ऑफ दी रोड गाड़ियों के टायर

बर्मा	8
श्री लंका	16
नेपाल	100
थाईलैंड	44
यू०ए०आर०	1265
यूगोस्लाविया	3692
यू०एस०एस०आर०	696
दूसरे देश	551
योग	6372

5- ट्रैक्टरों के टायर

श्री लंका	627
यूगोस्लाविया	827
दूसरे देश	1497
योग	2953

6- बसों और ट्रकों के टायरों के बाक्स

श्री लंका	3000
केन्या	272
नेपाल	827
सूडान	444
यू०ए०आर०	17054
यूगोस्लाविया	34213
कुवेत	415
बर्मा	20552
यू०एस०एस०आर०	6850
दूसरे देश	7037
योग	87964

7- अन्य गाड़ियों के टायर, साईकिल व एयरक्राफ्ट को छोड़कर

ईरान	2100
ईराक	670
नेपाल	2790
यू०ए०आर०	9838
यू०एस०ए०	35757
यूगोस्लाविया	2192
दूसरे देश	9389
योग	62736

(ख) आटो मोबाइल टायर और ट्यूब का उत्पादन करने के लिये और जहाँ कहीं भी पर्याप्त विस्तार अथवा नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं वहां यह शर्त लगी होती है कि उत्पादन के 10 प्रतिशत का निर्यात किया जायेगा। 37 लाख नग की वार्षिक क्षमता स्थापित करने के लिये नये 11 एककों की स्थापना का और एक विद्यमान एकक के पर्याप्त विस्तार का आशयपत्र जारी करके अन्तर्देशीय मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सिंचाई और बिजली की सुविधाओं की कमी

7464. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और बिजली की सुविधाओं की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का औद्योगिक विकास पिछड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि औद्योगिक तथा अन्य उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विद्युती लाइनों और उपकेन्द्रों का एक बड़ा जाल है और विद्युत के लिए मंजूरी और उसकी सप्लाई अबाध रूप से की जाती है। वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद और गोरखपुर उपमंडलों के लिए 1970-71 के दौरान 632 किलोमीटर लम्बी 33 के. वी. लाइनों और 43 नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया। 1971-72 के लिये प्रस्तावित जाल विस्तार के अन्तर्गत 800 किलोमीटर लम्बी 33 के. वी. लाइन और 33/11 के. वी. के 40 उपकेन्द्र हैं।

उन्होंने यह बताया है कि विद्युत् सुविधाओं के कम होने के कारण पूर्वी जिलों में औद्योगिक विकास में कोई बाधा नहीं पड़ रही।

रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सहारनपुर में एक मिल के गोदाम से कपड़े की गांठें बरामद किया जाना

7466. **श्री सी० चित्ति बाबू :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल ने सहारनपुर में एक मिल के गोदाम से 6 लाख रुपये की कीमत की कपड़े की गांठें अपने कब्जे में लीं;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी फर्में अपने निजी गोदामों द्वारा सम्बद्ध रेलवे कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की सांठ-गांठ से रेलवे को लगातार धोखा दे रही है; और

(घ) उक्त कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां; यह सही है कि 30-6-1971 को सहारनपुर स्थित रेलवे सुरक्षा दल ने मैसर्स लाड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, प्राइवेट, लिमिटेड, सहारनपुर के गोदामों में 6 लाख रुपये की कीमत की 584 रूई की गांठें पकड़ी थीं।

(ख) दिल्ली मण्डल के सहायक सुरक्षा अधिकारी को मण्डल वाणिज्य अधीक्षक, उत्तर रेलवे, दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई कि 4-5-71, 5-5-71, 7-5-71, 10-5-71 और 14-5-71 को सहारनपुर में आये 5 माल डिब्बे क्रमश: संख्या 21921, 23675, 59093, 38354 और 17370

लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, प्राइवेट, लिमिटेड सहारनपुर की मिल साइडिंग में खड़े कर दिए थे। इस परेषण की औपचारिक रूप से तथा उचित सुपुर्दगी लिये बिना मिल प्राधिकारियों ने उन माल डिब्बों से धोखाधड़ी से माल उतार लिया। रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कजा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था।

(ग) केवल दक्षिण रेलवे में मैसूर सीमेंट लिमिटेड पर जिनकी अम्मसन्द्र स्टेशन से सम्बद्ध एक साइडिंग है, इस तरह के मामले में अन्तर्ग्रस्त होने का आरोप है। इस मामले की जांच की जा रही है।

(घ) चूंकि यह मामला नोटिस में आ गया है, उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार हो रहा है।

Rest House Facilities under Damodar Valley Corporation

7467. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number and names of places with Rest House facilities under Damodar Valley Corporation;

(b) the amount spent per year on each one of them;

(c) whether these Rest Houses are meant only for the Officers of the said Corporation and high Government officials or whether the general public can also avail of Rest House facilities: and

(d) whether Government propose to utilise these Rest Houses as Tourist Centres ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) The requisite information is given in the statement attached.

(c) & (d) A part from Corporation's Officers and Government Officers on duty, accommondation in these Inspection Bungalows is also provided, subject to availability, to tourists and general public. In addition, Tourists Bungalows have also been constructed at Maithon, Tilaiya and Bokaro for tourists of low income group.

Inspection Bungalow Facilities of the Damodar Valley Corporation

Name of Place		Annual estimated Expenditure Rs.
Panchet	(1) ...	20,000
Tilaiya	(1) ...	35,000
Konar	(1) ...	16,000
Maihton	(2) ...	1,50 000
Chandrapura	(2) ...	1,65,000
Bokaro	(2) ...	70,000
Hazaribagh	(2) ...	45,000
Durgapur	(2) ...	70,000
Total Number :	13	Total annual estimatpe expenditure 5,71,000

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कार्मिक संघ को अधिमान्यता प्रदान करना

7468. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारी संघ को, जो कि चितरंजन लोकोमोटिव का एकमात्र प्रतिनिधि संघ है, अभी तक अधिमान्यता प्रदान नहीं की गई है हालांकि यह संघ पिछले 12 वर्षों से इस सम्बन्ध में निरन्तर अभ्यावेदन दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में किसी यूनियन का मान्यता नहीं दी गई है ।

(ख) मान्यता प्रदान करना सरकार के स्वः विवेक पर निर्भर करता है । सरकार किसी उत्पादन कारखाने की यूनियन को जिसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना भी शामिल है; मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं समझती । लेकिन, उत्पादन कारखानों के कर्मचारियों को कर्मचारी परिषदों के माध्यम से बातचीत करने की सुविधा प्रदान की गई है । कर्मचारी परिषदों का गठन कर्मचारियों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है ।

विदेशी सहयोग करार

7469 श्री समर मुखर्जी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 से 1971 में अब तक विदेशों के साथ किये गये सहयोग सम्बन्धी करारों का देशवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हावड़ा औद्योगिक बस्ती में खाली पड़े शेडों का उपयोग

7470. श्री समर मुखर्जी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा औद्योगिक बस्ती में दो शैड काफी समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन खाली शैडों का उपयोग करने के लिए सरकार की कोई उद्योग आरम्भ करने की योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Appointment of Scheduled Caste and Scheduled Tribes on Indian Railways

7471. Shri Ram Surat : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether reservation of posts from Class I to Class IV for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been enforced fully on the Indian Railways; and

(b) if so, whether Government propose to appoint a class I Gazetted Officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes on each Railway to ensure implementation of the orders on the subject ?

Minister of Railways (Shri. Hanumanthaiya): (a) Despite various measures taken to increase the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the shortfall has mainly persisted in the case of Scheduled Tribes due to non-availability of suitable candidates and in the case of Scheduled Castes, it is generally in the technical categories where these candidatas with requisite educational and technical qualifications are not forthcoming.

(b) The Work relating to implementation of the orders on the subject is attended to by the existing Personnel Officers (under the direct supervision of the Chief Personnel Officer.) The quantum of work does not justify the appointment of a separate Class I Officer on each Railway for this purpose.

भुमेल से दावहन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 (नदियाद) पर मोड़ देकर निकाली गई सड़क पर रेलवे फाटक

7472. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियाद में भारी यातायात और दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को भारी यातायात से गुजरने में लगने वाले समय को बचाने के लिए भुमेल से दावहन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 पर मोड़ देकर डामर की सड़क निकाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम रेलवे पर मोड़ देकर निकाली गई डामर की सड़क पर रेलवे फाटक का निर्माण करने में विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उनका मंत्रालय उक्त रेलवे फाटक कब तक बनायेगा जिससे भारी यातायात की कठिनाई को दूर किया जा सके ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) गुजरात सरकार ने नदिआद टाउन का परिहार करते हुए राष्ट्रीय राजपथ नं० 8 पर एक परिवर्तित मार्ग बनाया है जो रेलवे लाइन की सड़क ऊपरी पुल द्वारा पार करेगा। उनके द्वारा अन्तिम रूप से मिट्टी का काम और सड़क को समतल किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पुल संरचना का काम जो रेलवे द्वारा किया जाना है अगस्त, 1971 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

बड़ौदा छोटा उदयपुर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लइन में परिवर्तित करना

7473. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा से छोटा उदयपुर तक की छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) और (ख) छोटा उदयपुर-प्रतापनगर छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही आमानपरिवर्तन के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

नर्मदा और ताप्ती की बाढ़ से दक्षिण गुजरात को हुई क्षति

7474. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बड़ौदा और भड़ौच जिलों से होकर बहने वाली नर्मदा नदी में तथा गुजरात में सूरत से होकर बहने वाली ताप्ती नदी में बाढ़ आने से दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों में, दक्षिण गुजरात में बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि, उद्योगों और पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी बाढ़ों से इस क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जब भी इन नदियों में बाढ़ें आती हैं, बड़ौदा और भड़ौंच जिलों में नर्मदा के तटवर्ती इलाके और गुजरात के सूरत जिले में तापी के तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित होते हैं, इनके द्वारा कितनी क्षति होती है यह बाढ़ों के परिमाण पर निर्भर करता है। जब नर्मदा में भारी बाढें आती हैं तो इसके लेंडिय नाले में पश्चप्रवाह (बैकफ्लो) द्वारा होशंगाबाद नगर के नीचे क्षेत्र प्रभावित होते हैं।

(ख) 1969 में गुजरात में ताप्ती और नर्मदा की बाढ़ों के कारण क्षति बहुत अधिक नहीं हुई थी। बहरहाल, 1970 के दौरान काफी क्षति हुई थी।

(ग) गुजरात सरकार ने पार्श्ववर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निम्न पहुंचों में ताप्ती के दोनों ओर तटबंधों का प्रबन्ध करने का एक स्कीम तैयार की है, जिसकी लागत 5.21 करोड रुपये है। यह योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और इस पर इस वर्ष कार्य आरम्भ किया जाना है।

नर्मदा बेसिन में बाढ़ों के प्रति सुरक्षा के लिए गुजरात को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें तैयार की गई हैं :—

(1)	अम्बाला खाड़ी का रिसेक्शनिंग और रिग्रेडिंग	8.50 लाख रुपये
(2)	नर्मदा पर भालोद ग्राम के लिए बाढ सरक्षा कार्य	32.00 लाख रुपये
(3)	भड़ोंच जिले मे तवार ग्राम के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य	20.00 लाख रुपये
(4)	भड़ौंच जिले के हंसोटे मटियाड बंध का सुधार और दृढ़ीकरण	26.06 लाख रुपये

राज्य सरकार के पास तटों पर स्थित 334 ग्रामों को ऊँची जगहों पर स्थानान्तरित करने का भी कार्यक्रम बनाया है जिसमें से अभी तक 98 ग्राम स्थानान्तरित किए जा चुके हैं।

होशंगाबाद नगर की सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा चुकी हैं :—

(1) जल के उमड़ने को रोकने के लिये होम साइन्स कालेज के निकट निम्न रिज के आर-पार 330 मीटर लम्बे तटबध का निर्माण

(2) लेंडिया नाले में नर्मदा के पश्चप्रवाह को रोकने के लिए स्कीम।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव भी रखा है :—

(1) प्रतिप्रवाह दिशा वाली पहुँचों में नीचे तटबंधों को ऊँचा करना और मजबूत करना।

(2) घाटों को ऊँचा करना।

इन स्कीमों को अभी तैयार किया जाना है।

रूर रेलवे स्टेशन, केरल पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षा शैड का निर्माण

7475. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निरन्तर रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षा शैड का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) तीसरे दर्जे के वर्तमान प्रतीक्षालय में केवल महिलाओं के उपयोग के लिए अलग से एक कक्ष की व्यवस्था करने के लिए अनुमानित राशि की मंजूरी दे दी गयी है। यह निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा और इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

रेलवे पर लागत सम्बंधी अध्ययन

7476. **श्री बी० बी० नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों पर लागत सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे को किस दर्जे के यात्रियों से अधिकतम लाभ होता है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) सवारी गाड़ियों से सम्बन्धित लागत अध्ययन प्रारम्भ कर दिये गये हैं और प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालीनदी पन-बिजली परियोजना की प्रगति

7477. **श्री वी० वी० नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीनदी पन-बिजली परियोजना के कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना कब तक आरम्भ कर दी जाएगी; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या इसका कारण मैसूर राज्य सरकार का वित्तीय संकट है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ ।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 130 मैगावाट का प्रथम उत्पादन यूनिट 1976-77 के दौरान तथा द्वितीय यूनिट 1977-78 में चालू होना प्रत्याशित हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Components used in Diesel Engines

7478. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether imported components are used in the manufacture of diesel engines;

(b) if so, the percentage thereof; and

(c) the reasons for not making progress in regard to the manufacture of such components indigenously ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Broad Gauge and Metre Gauge main line Diesel Locomotives are produced at Diesel Locomotive Works Varanasi. The import content of these locomotives has been brought down to 15% in the case of Broad Gaugr Locomotives and 20% in the case of Metre Gauge Locomotives.

Broad Gauge Diselel Shunters and Narrow Gauge main line Diesel Locomotives are being produced in Chittaranjan Locomotive works. The import content of these locomotives has been brought down to 30% in the case of Broad Gauge Diesel Shunters and 50% in the case of Narrow Gauge Locomotives.

(c) Reduction ofthe import content in the manufacture of Diesel Locomotives is going on at a satisfactory rate.

Sustained efforts are being made towards indigenisation of the balance components also which are really the hard core items. It is expected to indigenise the rest, except for proprietary items etc., in not too distant a date,

Residential Accommodation to Employees of Instrumentation Ltd., Kota

7479. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Instrumentation Ltd, Kota who have been provided with residential accommodation, categorywise; and

(b) the number of employees to whom residential accommodation is proposed to be provided in the near future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Five hundred and eleven employees of the Instrumentation Ltd., Kota have been provided with residential accommodation by the Company . Category-wise details are as below:—

Category of Imployees	No. of Employees	Category of accommodation provided by the Company
i) Chief Executive	1	Type VI Qr.
ii) Sr. Managers/Managers	10	Type V Qr,
iii) Officers	54	Type IV Qr.
iv) Superyisory personnel	69	Type III Qr.
v) Industrial/office staff	286	Type II Qr.
vi) Class IV employess	89	Type I Qr.
Total	509	

(b) The Company propose to provide one hundred and eleven unites of residential accommodation to their employees in the near future, as per details given below :

Type 1	56 Nos.
Type II	24 Nos.
Type III	24 Nos.
Type IV	6 Nos.
Type V	Nil
Type VI	Nil
MD's Bungalow	1 No.
Total	111 Nos.

Transport Facilities to Employees of Instrumentation Limited, Kota

7480. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether arrangements have been made for providing transport facilities to the employees of Instrumentation Limited, Kota who are living outside the city; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Need for providing such facilities by the Company has not arisen so far.

Scheme to Divert Howrah-Amritsar Punjab Mail Via Delhi

7481. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to divert Howrah-Amritsar Punjab Mail Via Delhi with a view to providing facilities to passengers intending to visit Delhi from Rae-Bareli Pratapgarh and Jaunpur;

(b) whether Government could make up this deficiency by introducing a fast train between Saharanpur and Amritsar as un alternative arrangement; and

(c) if so, when this train would be introduced ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) & (b) No.

(c) Does not arise.

Expansion of Dispensary for Railway Colony Raipur

7482. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Raipur Railway Colony is provided with only one Dispensary which cannot meet the requirements of medicines of the Railway employees and their families residing there; and

(b) the action proposed to be taken by Government to increase the staff and stock of medicines in the Dispensary ?

The Minister of Railways (Shri Hanuanthaiya) : (a) & (b) There is one regular Health Unit at Raipur which is manned by two doctors and other para-medical staff. In addition, there are two Lock-up dispensaries, one each situated inside and in the area of Wagon Raipur Shop, Raipur. The supply of medicines at these Health Units is satisfactory. The present arrangements are considered adequate to meet the medical requirements of Railway employees and their families residing at Raipur.

Incentive Bonus to Staff Working in Railway Wagon Workshop, Raipur

7483. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total sanctioned strength of employees in Railway Wagon Workshop, Raipur and the total number of employees working there at present;

(b) whether the employees working in the workshop are not paid Incentive Bonus, as is done in the case of employees working in the Chittaranjan Locomotive works; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government to grant them Incentive Bonus ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अगरतला में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना

7484. श्री दशरथ देव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी के न होने के कारण त्रिपुरा के लोगों को आसाम से, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जरूरतमन्द आवेदकों को अगरतला में ही उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था करने का है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। त्रिपुरा में ऐसे प्राधिकारी हैं जो उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्रों द्वारा किया गया पूंजी निवेष

7486. श्री वी० के० मोदक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कुल कितनी पूंजी लगी है,

(ख) क्या वर्ष 1967-68 और 1968-69 की राशियों की तुलना में इस राशि में पर्याप्त कमी हुई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 1967-68 से 1969-70 तक किये गये कुल विनियोजन का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	**इक्विटी**	**ऋण**	**करोड़ रुपयों में** योग
1967-68	155	337	492
1968-69	191	378	569
1969-70	277	122	399
1970-71	आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस वर्ष के खाते प्रस्तुत करने का समय अभी नहीं आया है । ऋण के अन्तर्गत दिखाये गये आंकड़ों में ऋण अदायगी की किस्तों के बाद ऋण द्वारा किया गया अतिरिक्त विनियोजन सम्मिलित है ।		

कावेरी जल विवाद

7487. श्री सी० जनार्दनन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर और तमिलनाडु सरकारों को कावेरी नदी जल विवाद के बारे में हल के कुछ सुझाव देते समय केरल सरकार से विचार-विमर्श नहीं किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : कावेरी जल-विवाद को सोहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अब तक जो भी अन्तर्राज्यीय वाद-विवाद हुए हैं केरल सरकार हमेशा उनसे संबद्ध रही है ।

वकीलों/अधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली फीस की दर में समानता

7488. श्री विभूति मिश्र : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में यह प्रश्न उठाने का है कि वकीलों/अधिवक्ताओं द्वारा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट न्यायालय, मुनसिफ न्यायालय, सैशन न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा करते समय ली जाने वाली फीस की दर समान निर्धारित हो;

(ख) यदि हां, तो फीस की समान दरें कब से लागू की जायेंगी; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उच्च न्यायालयों ने स्थानीय परिस्थितियों और विधि व्यवसायियों द्वारा किये गये काम के स्वरूप को ध्यान में रखकर उन फीसों के मान के बारे में नियम बनाए हैं जो उन्हें निर्धारण के आधार पर अनुज्ञात की जा सकेंगी । इस प्रकार, सम्बन्धित उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर इस सीमा तक समानता सुनिश्चित हो जाती है ।

इसी तरह उच्चतम न्यायालय ने भी उन फीसों के मान के बारे में नियम बनाए हैं जो निर्धारण पर अधिवक्ताओं को अनुज्ञात की जा सकेंगी । उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्य कौंसिल, सहयुक्त अधिवक्ताओं और अभिलेख अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग फीसों के मान नियत किए गए हैं ।

इस प्रकार निर्धारण पर अनुज्ञेय फीसों के मान के बारे में पर्याप्त समानता है ।

जहां तक उन फीसों का सवाल है जो विधि व्यवसायी अपने मुवक्किलों से ले सकते हैं, स्थानीय परिस्थितियों की भिन्नता के अलावा भी यह उचित नहीं होगा कि सरकार प्रत्येक कौन्सल की वृत्तिक योग्यता और उसकी साख की उपेक्षा करके ऐसी सेवाओं के लिए समान फीस विहित करे । अन्य वृत्तियों में भी ऐसी कोई समान फीसें विहित नहीं की गई हैं ।

नागार्जुन सागर बांध के नीचे कृष्णा नदी पर बांध का निर्माण

7489. श्री जी० भुवाराहन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर बांध के नीचे कृष्णा नदी पर एक अन्य बांध के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और यदि हां, तो प्रस्तावित बांध पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं जिनमें नागार्जुन से नीचे की ओर कृष्णा नदी पर बांध बनाने की बात हो ।

मद्रास सिटी को कृष्णा नदी से पानी सप्लाई करने के लिए सर्वेक्षण

7490. श्री जी० भुवाराहन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सिटी को कृष्णा नदी से पानी सप्लाई करने सम्बन्धी योजना के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने सर्वेक्षण का परीक्षण कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ङ) क्या इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भी परामर्श किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : कृष्णा जल का उपयोग मद्रास शहर के लिये करने के लिये भारत सरकार के पास कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट अथवा कोई परियोजना और प्राक्कलन नहीं आया है।

(घ) और (ङ) : तमिलनाडु सरकार ने अभिवेदन किया है कि उन्हें अपनी जल सप्लाई के लिए कृष्णा नदी से 15 टी०एम०सी० जल मिलना चाहिए। इस आग्रह के लिए कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट की प्रतीक्षा करनी होगी।

State Government Request for New Lines in Madhya Pradesh.

7491. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to construct some new Railway lines in the State; and

(b) if so, what are the new lines recommended by the State Government and the reaction of Government there to ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) The new lines recommended by the Madhya Pradesh Government are Dhalli Rajhara to Dantewara, Satna-Rewa-Govindgarh, and Indore to Dohad. An updating of the earlier feasibility-cum-cost-study for the Dhalli Rajhara-Dantewara line is in progress. Further consideration to the proposal will be given after the results of the updating become known: Due to paucity of funds, the construction of the other two lines cannot be considered at present.

नैमित्तिक श्रमिकों के लिये भविष्य निधि योजना जैसे लाभ की व्यवस्था

7492. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों को भविष्य निधि योजना जैसी योजना का लाभ देने के लिए कोई योजना या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं। लेकिन परियोजनाओं के अलावा अन्य निर्माण-कार्यों पर जो नैमित्तिक मजदूर छ: महीने की लगातार सेवा करके अस्थायी हैसियत प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें अस्थायी रेलवे कर्मचारियों की तरह भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान करने की अनुमति दे दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नई रेलवे लाईन बिछाने के लिए सर्वेक्षण

7493. श्री फूल चंद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाने की सम्भाव्यता की जाँच करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख) तिरुवनन्तरम-कन्या कुमारी-तिरुनेलवेल्लि रेल सम्पर्क जो अंशत: केरल राज्य में पड़ता है के लिए हाल में सर्वेक्षण किये गये हैं। एलैप्पी के रास्ते एर्णाकुलम से कायनकुलम (कोल्लम के निकट एक वर्तमान स्टेशन) तक एक तटीय लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण हो रहा है।

Reduction in Age of Franchise

7494. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) wheter Government have received any resolution passed by any State Legislature uging Government to reduce the voting age; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) The following resolution passed by the Kerala Legislative Assembly on the 26th March, 1971, was received :

> "This House requests the Central Government to make necessary amendments to the Constitution of India so as to confer franchise upon all Indian citizens who have completed 18 years of age".

(b) The matter is being examined.

Setting up of new Industries in Madhya Pradesh by Entrepreneurs without Licence

7495. Shri G. C. Dixit - Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether some entrepreneurs have expressed their willingness to set up new industries in Madhya Pradesh in pursuance of Government's decision to liberalise terms and conditions relating to the maximum financial limit for setting up new industries in the country without obtaining any licence therefor; and

(b) if so, the names of such entrepreneurs and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam bhai Oza) : (a) & (b) After the announcement of liberalised policy 17 parties from Madhya Pradesh have applied for registration with the Directorate General of Technical Development of this Ministry for manufacture of various industries in the medium sector (without industrial licence) as per details attached. [Placed in Library See No. L.T.—875/71)

Attaching of Compartments to Amritsar Express

7496. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the I, II and III class types of Compartments attached to the Grand Trunk Express and the Southern Express are not attached to the Amritsar Express; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No, Amritsar Express has I, II and III all classes of accommodation as Dakshin Express and G.T. Express.

(b) Does not arise.

राजस्थान में लघु उद्योग

7497. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कुल कितने लघु उद्योग स्थापित किए गये है; और

(ख) उनमें से कितने उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए गये और वे किन किन स्थानों पर ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उद्योग निदेशक, राजस्थान के पास पिछले तीन वर्षों में दर्ज लघु उद्योग एककों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	एककों की संख्या
1968	:48
1969	912
1970	1175

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड हरिद्वार में रूसी क्रांति की वर्षगांठ

7498. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1970 को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में रूसी क्रान्ति की वर्षगाँठ के अवसर पर एक समारोह में केवल रूस के झंडे लहराये गये थे, और रूस का राष्ट्रीय गीत गाया गया था, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अवसरों पर किन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख)— अन्य वर्गों की भांति ही 6 नवम्बर, 1970 (न कि 6 दिसम्बर, 1970) को भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० परामर्शदाता कल्ब, हरिद्वार में रूसी परमर्शदाताओं द्वारा अक्तूबर में रूसी क्रांति की 53वीं वर्षगाँठ मनाई गई थी। मुख्य मेज पर भारतीय और रूसी दोनों के झंडे थे। कार्यक्रम के प्रारम्भ और अन्त में ग्रामोफोन रिकार्ड पर रूस का राष्ट्रीय गीत बजाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत नहीं बजाया गया था।

कार्यक्रम में उपस्थित भारतीयों ने इस गलती पर आपत्ति की और रूसी परामर्शदाताओं का ध्यान इस ओर खींचा जिस पर उन्होंने काफी खेद प्रकट किया। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि इसका कारण यह रहा कि कार्यक्रम के आयोजक रूस से नये-नये आए थे।

मैसर्स एगरिंड फेवरिकेटर्स लिमिटेड कलकत्ता की सम्पत्ति का औद्योगिक वित्त निगम के पास गिरवी रखा जाना

7491. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिसमापन कार्यवाही के अन्तर्गत मैसर्स एगरिंड फेवरिकेटर्स लिमिटेड कलकत्ता की सम्पत्ति को भारत के औद्योगिक वित्त निगम के पास गिरवी रखा गया है,

(ख) क्या 1967 में यह कम्पनी रोड-रोलर कांड के लिए जिम्मेदार थी और इसका नाम इस हेतु काली सूची में रखा गया था,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्पनी के पहले मालिक अर्थात एस० एन० वाही, के० एन० वाही, वी० वी० एस० जेटली और अन्य मैसर्स पार्ट्स सर्विस इन्डिया लिमिटेड के नाम से भारत के औद्योगिक वित्त निगम के साथ समग्र गिरवी रखी परिसम्पत्ति को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के सौदे की स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । मैसर्स एगरिंड फैबरिकेटर्स लिमिटेड (अब परिसमापन में) का कारखाना तथा भूमि और इमारत एवं संयंत्र और मशीनें भारत औद्योगिक वित्त निगम के पास बंधक हैं जिसने कम्पनी को 12 लाख रु० की राशि अग्रिम ऋण के रूप में दी हुई है ।

(ख) एक समय यह कम्पनी सरकार को रोड रोलर के संभरण में कुछ अनियमितताओं के करने के कारण संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा काली सूची में रखी गई थी ।

(ग) कम्पनी ने जून, 1967 में मूल तथा ब्याज की किश्त के भुगतान में चूक की थी । बहुत से कम्पनी के असुरक्षित ऋणदाताओं ने कम्पनी को समाप्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दिया था । अपने हितों के बचाव और बकाया को वसूल करने की दृष्टि से भारत औद्योगिक वित्त निगम ने भी दिसम्बर, 1967 में उसी उच्च न्यायालय में कम्पनी की बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया था । उक्त आवेदन पत्र पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो ज्वाइन्ट रिसिवर नियुक्त करने का आदेश दिया और उनसे कहा था कि वे बंधक सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लें तथा उसे सरकारी नीलामी अथवा निजी समझौते द्वारा बेच भी दें । ज्वाइन्ट रिसीवरों द्वारा बंधक परिसम्पत्तियों के लिए अन्तिम निविदाएं मांगी गई थीं जिनमें से एक निविदा पार्टस सर्विस इंडिया लि० (श्री एम० एम० वाही की एक कम्पनी जो कम्पनी का एक निदेशक था) की भी थी । तथापि भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स गार्डेन रीच वर्कशाप लि० का 10·6 लाख रु० पर सम्पत्तियों के खरीदने का प्रस्ताव औद्योगिक वित्त निगम और ज्वाइन्ट रिसीवरों ने इस शर्त पर स्वीकार कर लिया था कि :

औद्योगिक वित्त निगम कलकत्ता उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्ताव को प्रेषित करेगा । निगम द्वारा आवश्यक आवेदन पत्र देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(घ) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत ज्वाइन्ट रिसीवरों द्वारा बंधक सम्पत्तियों की बिक्री की जा रही है। अतएव सरकार द्वारा बिक्री की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

फरक्का बांध परियोजना के पूरा हो जाने पर कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देना

7500. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरक्का बांध परियोजना का काम पूरा हो जाने के पश्चात् कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : फरक्का बराज परियोजना के विभागीय कर्मचारियों के लिए जो परियोजना के पूर्ण हो जाने पर फालतू हो जाएंगे, रोजगार के संभव उपाय तलाश करने के वास्ते कोशिशें जारी हैं। बहुत से कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार ढूंढ दिया गया एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जिसका मुख्यालय कलकत्ते में है। वह रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन उस विशेष कक्ष का इंचार्ज है जो फालतू होने वाले स्टाफ को रोजगार दिलाने के लिए बनायी गयी है।

रेल सेवा आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य

7501. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जून, 1971 को रेलवे से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए रेलवे के सभी सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन रेलवे सेवा आयोगों में इस प्रकार की नियुक्तियाँ की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 15-6-71 के बाद से रेलवे सेवा आयोग में अध्यक्ष/सदस्य सचिव का कोई पद नहीं भरा गया है। आगामी नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(ख) विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन सम्बन्धी राज सहायता

7502. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी भारत में सिलीगुड़ी से आगे उद्योग स्थापित करने के लिये परिवहन संबंधी राज सहायता देने के बारे में सरकार द्वारा हाल में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में कूच बिहार तथा अन्य स्थानों पर स्थापित किये गये उद्योगों को इसी प्रकार की परिवहन सम्बन्धी राजसहायता देने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में विषमता को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय एव राजकोषीय प्रोत्साहन देने हेतु सिफारिशें करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ दूरवर्ती स्थानों के बारे में जैसे असम, नागालैंड, मणीपुर आदि और जम्मू तथा कश्मीर के लिए परिवहन सहायता की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर परिवहन सहायता समिति द्वारा विस्तार से विचार किया गया था। इसके अनुसार परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में बहुत से राज्यों और संघ शासित राज्यों को भी दूरवर्ती क्षेत्र वाला माना जा सकता है परन्तु भौगोलिक दृष्टि से जम्मू तथा कश्मीर राज्य को उत्तरी भाग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (जिसमें असम, मेघालय और नागालैंड राज्य तथा संघ शासित राज्य मणिपुर त्रिपुरा और नेफा सम्मिलित हैं।) की स्थिति अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से काफी भिन्न है। अतः उस समिति ने सिफारिश की है कि परिवहन सहायता केवल जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय और नागालड राज्यों एवं संघ शासित राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और नेफा तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। इस सिफारिश सहित सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है तथा तदनुसार पश्चिमी बंगाल में पिछड़े इलाके इस परिवहन सहायता योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

कारों का वितरण

7503. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में व्यापारियों द्वारा कार खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों से मोटर कारों के वितरण में हेराफेरी किए जाने की कोई शिकायतें मिली हैं,

(ख) क्या सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है जो इस बात का ध्यान रखे कि कारों के इच्छुक खरीदारों के पंजीकृत नामों के क्रमानुसार कारें बेची जायें या वे सामान्य नियमों अथवा प्रक्रियाओं के अनुसार बेची जायें जिससे व्यापारी वर्ग खरीदारों पर अनुचित दबाव न डाल सके, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विगत तीन वर्षों में व्यापारियों द्वारा मोटर कारों के वितरण मे अनियमितताओं की कुछ शिकायतें मिली हैं। जांच करने पर अधिकांश शिकायतें तथ्य हीन पाई गई हैं। इस प्रकार की शिकायतों की संख्या और ढंग व्यापारियों द्वारा कारों के वितरण में किसी हेराफेरी का आभास नहीं होता है

(ख) तथा (ग) कारों का वितरण और विक्रय मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश 1959 के अन्तर्गत किया जाता है। नियंत्रण आदेश के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को एक रजिस्टर रखना होता है जिसमें खरीददार का नाम उससे प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि के अनुसार पंजीकृत करना होता है। व्यापारी द्वारा मोटर गाड़ी ग्राहक को उसी क्रम में जिसमें कि उसका नाम पंजीकृत है, अवश्य ही बेचनी होती है।

नियंत्रण आदेश में यह भी व्यवस्था है कि व्यापारी बुकिंग रजिस्टर को काम के घंटों में जनता के किसी भी व्यक्ति अथवा इस संबंध में प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/संघ शासन प्रकाशक के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

विक्रेताओं को पंजीकरण और विक्रय की सर्वाधिक विवरणी भी मोटर कार नियंत्रण को और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारियों को भेजनी होती हैं। इन आवधिक विवरणों की संवीक्षा करके इस बात का सुनिश्चित किया जाता है कि नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार ही विक्रेताओं ने भी मोटर गाड़ियों की बिक्री की है।

साथ ही, जब कभी भी कोई शिकायत किसी विशेष विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त होती है तो निर्माताओं द्वारा और इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारों द्वारा इसकी जाँच कराई जाती है

राज्यों में सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर खर्च की गई राशि

7504. **श्री ए०के० साहा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से लेकर, वर्षवार, प्रत्येक राज्य में, अलग अलग, सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर उनके मंत्रालय ने कितनी राशि खर्च की है;

(ख) प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष में कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख) विवरण 'क' संलग्न है जिसमें 1967-68 से 1970-71 तक प्रत्येक राज्य में विद्युत विकास कार्यक्रम पर व्यय और 1971-72 के लिए प्रस्तावित परिव्यय दिया गया हैं। विवरण 'ख' संलग्न है जिसमें 1967-68 से 1970-71 तक प्रत्येक राज्य में मध्यम और वृहत सिंचाई स्कीमों पर व्यय और 1971-72 के वर्ष के लिए प्रस्तावित परिव्यय दिखाया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी०-876/71]

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई और विद्युत के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम नहीं थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतर्राज्यीय और अन्तःक्षेत्रीय पारेषण पथों का निर्माण ही केवल केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 1969-70 में 3 करोड़ रुपये की और 1970-71 में 4.49 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई। चालू वर्ष (1971-72) के लिए इस स्कीम के लिए 7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान मौजूद है।

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में माथाभंग्या कस्बे में नदी द्वारा भूमि का कटाव

7505. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में माथाभंग्या कस्बे के निवा-

सियों को नदी द्वारा भूमि के कटाव के कारण होने वाले गम्भीर खतरे की ओर दिलाया गया है; और

(ख) उक्त कटाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे माथाभंग्या कस्बे के निवासियों की रक्षा की जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि जलढाका नदी के मार्ग में कुछ परिवर्तन आ गया है जिसके परिणामस्वरूप यह अब माथभंग्या नगर के निकट से बह रही है नगर के निकट भयंकर कटाव भी हुए हैं। राज्य सरकार ने कटाव को रोकने के उपायों को हाथ में लिया है और अब सूचना मिली है कि स्थिति अब काबू में है।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) तथा अन्य रेलवे के सिगनल और दूर संचार शाखा के 'रेस्ट गिवर' और 'लीव रिजर्व' कर्मचारी

7506. **श्री डी० पी० मौर्य :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय रेलवे के जयपुर डिवीजन में सिगनल और दूर संचार शाखा में किसी भी संम्वर्ग में 'रेस्ट गिवर' और 'लीव रिजर्व' कर्मचारियों के पद नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी साप्ताहिक छुट्टी और जरूरत के समय छुट्टी के लाभ से वंचित रह जाते हैं;

(ख) क्या 'दिल्ली अवोयडिंग लाइन' हजरत निजामुद्दीन के सिगनल इन्सपेक्टर के कर्मचारियों के लिए कोई ड्युटी रोस्टर नहीं है और इन कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक छुट्टी और जरूरत के समय छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रेलवे में सभी स्थानों पर कर्मचारियों की इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) सभी ग्रेडों के सिगनल/दूर संचार निरीक्षकों के लिए सहायक सिगनल/दूर-संचार निरीक्षकों की कोटि में छुट्टी आरक्षी की व्यवस्था की जाती है। बिजली/यांत्रिका सिगनल अनुरक्षकों और दूर-संचार अनुरक्षकों की कोटियों के लिए मददगारों की कोटि में छुट्टी आरक्षी पदों की व्यवस्था की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, अलग श्रमदाताओं के जरिए आवधिक विश्राम भी प्रदान किया जाता है।

(ख) सिगनल निरीक्षक दिल्ली परिवहन लाइन हजरत निजामुद्दीन के अधीन हाल में पदों की स्वीकृति दी गई है और उनके लिए अचक्रीय ड्यूटी रोस्टर रख दिए गए हैं। रोस्टर में ही उनके लिए साप्ताहिक विश्राम की व्यवस्था की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विधि और न्याय मंत्रालय में उप-सम्पादकों के रिक्त पद

7507. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-सम्पादकों के कुछ पद दीर्घावधि से रिक्त पड़े हैं और उन्हें भरा नहीं जा

रहा है क्योंकि ये पद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए कुछ प्रतिशतता निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद समयोपरि आधार पर करवाया जा रहा है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उप-सम्पादक का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकी उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित काम बहुत अधिक है और उसे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना होता है, इस लिए उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का कभी कभी राजभाषा (विधायी) आयोग के अनुवादकों द्वारा समयोपरि आधार पर अनुवाद कराया जाता है।

पूर्वी रेलवे के धनबाद स्टेशन (बिहार) पर राजधानी एक्सप्रेस का रोका जाना

7508. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस गामोह पर रुकती है और धनबाद (बिहार) स्टेशन पर नहीं रुकती;

(ख) क्या धनबाद बिहार का सब से बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन धनबाद से कलकत्ता दिल्ली, और धनबाद से दिल्ली को जाते हैं; और

(घ) जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रेस को गामोह के स्थान पर धनबाद रोकने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। गोमोस्हटेशन पर कर्मीदल बदलने के लिए एक सर्विस हाल्ट की व्यवस्था है लेकिन यात्रियों की बुकिंग की अनुमति नहीं है।

(ख) यह एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

बिहार में उद्योग

7509. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्य राज्यों में उद्योगों के विकास की तुलना में बिहार की स्थिति क्या है;

(ख) बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर उत्तर बिहार के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, इस औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाले कायकारी दल ने आन्ध्र प्रदेश आसाम, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा,राजस्थान और उत्तरप्रदेश के साथ साथ बिहार को भी पिछड़ा हुआ घोषित किया है। बिहार के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कारण इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों की भांति अवस्थापना की कमी तथा सामाजिक रीतियों पर व्यय है। बिहार सहित अन्य पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ जिलों/क्षेत्रों को उन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को 10 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान/सहायता प्राप्त करने तथा वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के लिए चुना गया है। बिहार में रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए चुने गये जिलें संथाल परगना भागलपुर पलामऊ, चम्पारन, सारन, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा सहरसा (6 उत्तरी बिहार में हैं)। 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए बिहार से चुने गये जिले दरभंगा (उत्तरी बिहार) तथा भागलपुर हैं। हाल ही में एक सस्थाओं के संयुक्त अध्ययन दल ने जिसमें औद्योगिक विकास बैंक भारत आई० सी०आई०सी० वाई० भारत का वित्त विभाग आदि हैं बिहार का औद्योगिक सर्वेक्षण किया है और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं जो विचाराधीन हैं।

Agreement between India and Denmark for Development of Small Industries

7510. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether an agreement has recently been signed between India and Denmrak for the development of small industries;

(b) the nature of assistance to be received by India from Denmark under this agreement;

(c) the names of the places where the said scheme is going to be implemented; and

(d) whether Government propose to consider the question of implementing such a scheme in North Bihar for development of small industries there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prasad) : (a) to (c) : An agreement was signed in New Delhi on the 8th July, 1971 between India and Denmark for establishing a Technical Training centre for Tool Makers and a Service Centre at the Industrial Estate, Bangalore. The Governmet of Denmark will provide equipment for the two Centres and the services of five Danish experts; they will also offer facilities for training 10 Indian technicians in Denmark.

(d) No. Sir. There will be need for setting up a Tool Room only when there is a sizable concentration of small scale units to utilise the facility.

उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना स्थापित किया जाना

7511. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आसाम में रेल लाइन पर बम विस्फोट

7512. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री समर गुह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में रेल लाइन पर हुए बम विस्फोट के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) क्या इसमें पाकिस्तानी एजेंट द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही सिद्ध हो गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं

(ख) अभी यह पता नहीं चला है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स हरिद्वार में परियोजना भत्ते का कम किया जाना

7513. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में परियोजना भत्ते में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की उक्त मांग तथा अन्य बकाया मांग विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में परियोजना भत्ता 1-9-1970 से बन्द कर दिया गया है। परियोजना भत्ते की माग से संबंधित सभी पहलुओं पर अन्तिमरूप से निर्णय किया गया है और यह मामला अब बाकी नहीं हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन से प्राप्त परियोजना भत्ता जारी करने की मांग सहित अन्य विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श किया गया था और 8-8-70 को प्रबन्धकों और मान्यता प्राप्त यूनियन के बीच एक समझौता हुआ था। फिर भी मान्यता प्राप्त और अन्य यूनियनों से प्राप्त दैनिक कामकाज से सम्बन्धित छोटी-छोटी कम्पनी के प्रबंधकों द्वारा विचार किया जाता है और ध्यान दिया जाता है।

औद्योगिक एककों के कार्यकारण के बारे में जांच

7514. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन औद्योगिक एककों, जिनमें दस हजार से अधिक श्रमिक काम करते हैं और जिनका कार्य दो वर्ष तक असन्तोषजनक रहता है और जिनको वित्तीय स्थिति गिरती नज़र आती हैं, के बारे में जांच करने के लिए किसी तंत्र की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को पहले से ही कुप्रबंधित औद्योगिक उपक्रमों की व्यवस्था करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। अधिनियम की धारा 15 सरकार को यह अधिकार देती है कि वह अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित उद्योग के बारे में जांच कर सके या करा सके या किसी भी औद्योगिक उपक्रम की किन्हीं परिस्थितियों में जैसे उत्पादन में गिरावट आ जाने या गिरावट आने की सम्भावना होने, उत्पादों के गुण प्रकार में ह्रास आ जाने, या औचित्य के बिना उनके मूल्य बढ़ जाने अथवा राष्ट्रीय महत्व के संसाधनों का दुरुपयोग होने या औद्योगिक उपक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की जा रही है जो संबंधित अनुसूचित उद्योग अथवा लोक हित के लिए अत्यधिक घातक हो। इस प्रकार की जांच पूरी होने पर, यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाती है तो वह औद्योगिक उपक्रम को अपने कार्य करने के ढंग में सुधार करने के लिए निदेश दें सकती है तथा सम्पूर्ण रूप से उसके कार्यों में सामान्य स्थिति ला सकती है जैसा कि अधिनियम की धारा 16 में अपेक्षित है। यदि ऐसे निदेश का पालन नहीं किया जाता या औद्योगिक उपक्रम जिसके बारे में अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जांच कर ली गई है और उसका प्रबन्ध इस प्रकार किया जा रहा है जो लोक हित या सम्बन्धित अनुसूचित उद्योग के लिए घातक है तो केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह उपक्रम के प्रबंध को प्रारम्भ में अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि के लिये अपने हाथ में ले और यह अवधि 10 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है अर्थात यह अवधि कुल 15 वर्ष तक की रहेगी। चूंकि कुप्रबंधित उपक्रमों की व्यवस्था करने के लिये सरकार को पहले ही पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है, इसलिये इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई शासनव्यवस्था करने की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती।

पश्चिम बंगाल में माल गाड़ियों का अपहरण

7515. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विमानों के अपहरण की तरह ही पश्चिम बंगाल में रेलों का भी अपहरण किया जा रहा है जहां रेल के ड्राइवर को गन्तव्य स्थान की अपेक्षा एक स्थान विशेष पर गाड़ी ले चलने के लिए बाध्य किया जाता है और वहां उपद्रवी माल डिब्बे तोड़कर माल ले जाते हैं;

(ख) क्या पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ ने इस सम्बन्ध में सरकार से कोई शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने कौन से विभिन्न उपाय किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में अपराधों को रोकने के लिए राज्यों से सहायता

7516. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन ने अपराधिक कार्यवाहियों को रोकने तथा रेलवे मार्गों और सामान्यतः रेलवे में अपराधियों तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से क्या सहायता मांगी है;

(ख) क्या इन राज्य सरकारों को हमेशा पूरी सहायता उपलब्ध हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मकानों में प्रभावी रूप से रहने अथवा नियन्त्रण रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेलों पर महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था बनाये रखने के अलावा, बुक किये गये परेषणों और रेलवे के अपने सामान तथा उपस्कर की चोरी के मामलों की रोक थाम करने, पता लगाने, छान-बीन करने और उनके सम्बन्ध में मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता ली जाती है। राज्य सरकारें इन समस्याओं को सुलझाने में यथा संभव पूर्ण सहायता और सहयोग दे रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गया में रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक में पूर्वी रेलवे, धनबाद के रेल अधिकारियों के विरुद्ध पारित संकल्प

7517. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रामावतार शास्त्री संसद सदस्य ने 28 अप्रैल, 1971 के एक पत्र द्वारा उनको पूर्व रेलवे में धनबाद के एक रेलवे अधिकारी एक वरिष्ठ सबोर्डिनेट द्वारा प्रान्तीयता और जात-पात फैलाने के हीन कार्य के बारे में सचना दी; यदि हां, तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की; और

(ख) क्या गया में 23 फरवरी, 1971 को श्री महावीर दास संसद् सदस्य के सभापतित्व में हुई रेलवे कर्मचारियों की एक वृहद् बैठक में उपरोक्त विषय सम्बन्धी पारित प्रस्ताव उनको मिले और यदि हां तो सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला था। लेकिन अमान्यता प्राप्त मण्डलीय रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद का एक ज्ञापन अन्य संसद सदस्यों के माध्यम से मिला है जिसमें एक अधिकारी और एक वरिष्ठ अधीनस्थ के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वे कर्मचारियों की एकता नष्ट करने के लिए प्रान्तीय और जाति-पांति की भावना फैला रहे हैं। ये आरोप निराधार पाये गये और सिद्ध न हो सके।

(ख) जी हां, संकल्पों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी जिसमें मात्र अस्पष्ट आरोप थे। तथ्यों से आरोप सिद्ध नहीं हुए।

पश्चिम बंगाल में सिंचित क्षेत्र

7518. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फसल उगने योग्य क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का केवल 23 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में कुल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां सदा से ही खाद्यान्न का अभाव रहा है, सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल में कुल सिंचित क्षेत्र फसली क्षेत्र का 29 प्रतिशत है। अखिल भारत की प्रतिशतता 23 है।

(घ) अतिरिक्त फसल उपजाने के लिए पूरे देश में सिंचाई बहुत अनिवार्य है और इसलिए विकास संबंधी योजनाओं में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। चौथी योजना में बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 953.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए भी 515.7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल के लिए इन दोनों तरह की परियोजनाओं के निमित्त क्रमश: 19.00 करोड़ रुपये और 26.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Facilities Provided to Railway Employees Who Participated in 15th July demonstration held in Delhi.

7519. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minster of **Railways** be pleased to state

(a) whether any demonstration was held in Delhi on the 15th July, 1971 under the auspices of the National Federation of Railwaymen;

(b) if so, the approximate number of Railwaymen who participated in it;

(c) whether 200 Rail bogies were provided for the Railway workers to enable them to participate in the said demonstration;

(d) whether the Railway workers were given 3 to 7 days leave to enable them to participate in the demonstration and arrangements were made for their stay in the Railway stadium; and

(e) if so, the propreity thereof ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) (a) Yes, Sir.

(b) According to reports about 7000 persons participated in the demonstration.

(c) About 26 coaches were utilised by the employees for their journey to and from Delhi New Delhi.

(d) No special leave was granted to any employee in this connection.

The Uttariya Railway Mazdoor Union, which is a recognised Association, obtained the permission of Railway Administration for the use of their Badminton Hall for assembling the Railway Stadium was not arranged for their stay.

(e) There is no impropriety in permitting use of Railway premises for assemblies or meetings of recognised Unions.

Conference of All India Station Masters Association held at Bangalore.

7520. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any conference or annual meeting of the All India Station Masters Association was held in Bangalore from 14th to 16th June last;

(b) whether the decisions taken in the meeting have been forwarded to him;

(c) if so, what are the decisions; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) & (d) The resolutions passed at the meeting of the All India Station Masters' Association held at Bangalore relate mainly to increase in the interim relief, a probe into the real causes of late running of trains, inadequate protection to the staff against assault, the repeal of the conduct rules, resentment over implementation of automation, deterrent action against corrupt officials irrespective of rank, exemption of Station Masters from rostered duties, refund of security deposits on P.F. amount exceeding such deposit, provision of Establishment Codes to all stations, resentment over victimisation on concocted grounds, modification of the avenue of promotion, provision of gradewise rest-givers and leave reserves, immediate filling up of vacancies, stoppage of arbitrary surrender of posts without job analysis, the abolition of test system at the end of refresher courses etc.

The matter will be looked into and action as considered appropriate would be taken. Further, many of the issues are presently within the scope of consideration of the Third Pay Commission, whose report has also to be awaited.

Re-instatement of casual workers of Barauni-Garhara area.

7521. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on account of their participation in the 33-days strike in Barauni-Garhara, the temporary, substitute and casual workers there have not been allowed to resume after the termination of strike;

(b) if so, the number thereof, separately;

(c) whether this act is not contrary to the assurance given by him and the Minister of Labour; and

(d) if so, whether Government would allow them to resume duty without delay ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) & (b) For mere participation, workers are not debarred from resuming duty after termination of strike. However some substitute and casual workers of Barauni-Garhara area have not been re-engaged, on account of their involvement in Police cases or in cases of intimidation violence etc. Information regarding the number of such workers is being ascertained and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) & (d) Do not arise in view of the reply to parts (a) & (b).

पूर्वी रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा सामूहिक याचिकायें

7522. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों ने 17 मई, 1971 को अपने अपने डिवीजन सुपरिन्टेडेंट के माध्यम से पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को सामूहिक रूप से याचिकायें पेश की थी, यदि हाँ, तो उनकी क्या शिकायतें थीं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या पूर्वी रेलवे कर्मचारी सघ ने डिवीजनल सुपरिटेन्डेंट, धनबाद, पूर्व रेलवे के समक्ष 22 जून, 1971 को तथा 30 जून, 1971 को प्रदर्शन किये थे जिससे धनबाद डिवीजन में हाल ही में हुई हड़ताल के लिये सभी दमनकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने की माँग की गई थी; यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) 17 मई, 1971 को पूर्व रेलवे के अनेक कर्मचारियों से याचिकाएं प्राप्त हुई थीं और ईस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन ने 22 जून, 1971 और 30 जून, 1971 को धनबाद में प्रदर्शन किये थे। उनकी शिकायत और मांगे मुख्यत: निम्नलिखित से सम्बन्धित थी :— सेवा से हटाये गये कुछ कर्मचारियों की सेवा में बहाली, निलम्बन आदेशों की वापसी, स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करना, जिन कर्मचारियों ने धनबाद की हड़ताल में भाग लिया था, उनकी सेवा-भंग की अवधि को क्षमा करना और अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा चलाये गये मामलों की वापसी तथा कर्मचारियों को तथाकथित तंग किये जाने से रोकना।

धनबाद मण्डल में फरवरी, 1971 की हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को तंग नहीं किया गया है। कुछ दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उनके अपराधों के कारण रेल प्रशासन ने सामान्य अनुशासनिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्यवाई की है। इसी तरह से प्रशासनिक हित में कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। अवैध हड़ताल में भाग लेने के परिणाम-स्वरूप रेल-सेवा नियमों के अनुसार स्वत: सेवा-भंग हो जाती है। जहाँ तक पुलिस द्वारा चलाये गये मामलों का सम्बन्ध है रेल प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि कर्मचारियों पर कानून के निर्दिष्ट उल्लंघन के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है।

कच्चे माल की कमी के कारण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के उत्पादन में कमी

7523. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स में कच्चे माल की कमी के कारण दिन प्रतिदिन उत्पादन में कमी हो रही है; यदि हां तो कच्चे माल की कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) इस कारखाने को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नही।

(ख) उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कच्चे माल का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने के लिए ठीक समय पर माल खरीदने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। देशी वस्तुओं की सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए आपातिक आधार पर आयात की व्यवस्था की जाती है।

धनबाद डिवीजन में कोयला वैगनों को भेजने में भ्रष्टाचार

7524. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला वैगनों को भेजने के मामले में हुये भ्रष्टाचार की जांच कर ली गई है, जिसमें धनबाद डिवीजन में रेलवे को धोखा दिया गया है यदि हाँ, तो इस डिवीजन के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से बुक किये गये वैगनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में स्थानीय रेलवे अधिकारियों द्वारा दिए गए आर्डरों/परामर्शों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टीटलमारी स्टेशन पर कोयले के बारे में हुई जालसाजी के पता लगाये जाने का धनबाद डिवीजन और सतर्कता निरीक्षक, पूर्वी रेलवे ने विरोध किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल की बुरहानपुर स्थित पुलिस बैरक से चुराई गई रेल पटरियों, लकड़ी के शहतीरों का बरामद किया जाना

7525. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरहानपुर (पश्चिम बंगाल) की पुलिस बैरक से चुराई गई रेल पटरियों और लकड़ी के शहतीर काफी मात्रा में पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता

7526. श्री एम० कतामुतु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवेज में मितव्ययिता लाने तथा कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख) रेलों में मितव्ययिता लाने और कुशलता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :—

i) **ईधन और बिजली की खपत में मितव्ययिता के लिए—**

(क) एक फेरे में लगने वाले ईंधन की मात्रा पर कड़ा नियन्त्रण ।

(ख) फ्लोमीटर लगाकर ईंधन लेने के स्थानों पर लेखे रखने में कड़ाई ।

(ग) बिजली की सप्लाई का निम्न वोल्टता से अधिक वोल्टता में परिवर्तन ।

(घ) कम खर्चीली शुल्कदर प्राप्त करने के लिए सप्लाई कर्ताओं से वार्ता ।

(ङ) रेलवे के अपने जनित्र के बदले बाहर से बिजली खरीदना ।

(च) उद्दीप्त बत्तियों के बदले प्रतिदीप्त ट्यूबों की व्यवस्था ।

(छ) गाड़ियों का जमघट न होने पाये इस दृष्टि से उनके वितरण में समानता लाने के लिए गाड़ियों के चार्ट को तर्कसंगत बनाना ताकि अधिकतम मांग में कमी की जा सके ।

ii) **चोरी और उठाईगीरी के निवारण के लिए**

(क) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रेल पथों, यार्डों और मालगोदामों में व्यापक गश्त की व्यवस्था ।

(ख) जहाँ कही आवश्यक हो, मालगाड़ियों पर मार्गरक्षी व्यवस्था ।

(ग) मालडिब्बों पर मुहर लगाने में सुधार ।

(घ) मालडिब्बों के पेनल में क्षति होने पर शीघ्रता से मरम्मत की व्यवस्था, और

(ङ) असम्बद्ध मालडिब्बों की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से मालडिब्बों के अन्दर मालडिब्बों के ब्यौरे की प्रतिलिपियां रखना ।

iii) आयात की गयी मदों के बदले देशी मदों की व्यवस्था ।

iv) कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी किए बिना लेखा प्रक्रिया की यांत्रिकीकरण और सरलीकरण और अतिरिक्त कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों में समाहृत करना ।

(v) टूट फूट और अनुरक्षण में कमी करने के लिए रेल के जोड़ों की ढलाई ।

(vi) भाप के इंजनों के उपयोग की समीक्षा के फलस्वरूप भाप इंजनों के जमाव में कमी ।

(vii) रेलवे कारखानों में प्रोत्साहन योजना का विस्तार ।

(viii) मालडिब्बों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ी लाइन के मालडिब्बों के संचलन में संगणकों का उपयोग ।

(ix) सावधानी पूर्वक समीक्षा के माध्यम से भंडार सूचियों में कमी और सामान प्रबन्ध की आधुनिक तकनीक का उपयोग।

(x) बड़े विन्यास यार्डों का गहन उपयोग करने और बेहतर मालडिब्बा उपयोग के लिए ब्लाक स्पेशल गाड़ियां चलाने और गाड़ियों का ठहराव बचाने के लिए विन्यास व्यवस्था की समीक्षा।

(xi) अधिकाधिक कार्यकुशलता के लिए पद्धति अध्ययन और कार्य अध्ययन।

(xii) मालगाड़ियों को यथासम्भव अधिक से अधिक निर्धारित मार्ग से चलाना और सवारी गाड़ियों को समय से चलाना।

(xiii) सिगनल और दूर संचार का आधुनिकीकरण।

(xiv) कंटेनर सेवा का विस्तार।

(xv) डीजल और बिजली कर्षण का काम योजना के अनुसार शुरु करना।

2. मितव्ययिता के विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 1970-71 में लगभग 2.44 करोड़ रुपये (आवर्ती खर्च में 0.60 करोड़ रुपये की किफायत और अनावर्ती खर्च में 1.84 करोड़ रुपये की किफायत) की बचत हुई है। इसके अलावा, इस अवधि में स्वीकृत निर्माण-कार्यों की लागत में 1.68 करोड़ रुपये की बचत हुई।

3. कुशलता सूचकांकों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अतीत की अपेक्षा अब रेल परिसम्पत्तियों का अधिक गहन उपयोग हो रहा है और गत दो दशाब्दियों में श्रम और पूंजी दोनों की उत्पादकता में सुधार हुआ है। 1950-51 की तुलना में अब प्रति मार्ग/रेल-पथ किलोमीटर भाड़ा यातायात का घनत्व बड़ी लाइन पर दुगुने से अधिक और मीटर लाइन पर तिगुने से भी अधिक है। प्रतिदिन दस लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर ढुलाई के लिए उपयोग में लाये गये रेल इंजनों (मानक भाप रेल इंजनों के हिसाब से) की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है। 1950-51 में बड़ी लाइन पर इनकी संख्या 25 थी जो 1969-70 और 1970-71 में घटकर 20 रह गयी और मीटर लाइन पर 1950-51 में इनकी संख्या 65 थी जो 1969-70 में घटकर 40 और फिर 1970-71 में घटकर 37 रह गयी। इसी तरह से, प्रतिदिन दस लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर ढुलाई के लिए उपयोग में लाये जाने वाले मालडिब्बों (मानक वहन क्षमता के चौपहिया डिब्बों के हिसाब से) की संख्या बड़ी लाइन पर 1950-51 के 1402 से घटकर 1969-70 में 1087 रह गयी। 1970-71 में इनकी संख्या 1,106 रही। 1970-71 में जो मामूली वृद्धि हुई, उसे 1970-71 में भाड़ा यातायात की मांग में कमी और परिचालन पर दुष्प्रभाव डालने वाले उन विभिन्न पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जिनकी भाड़ा यातायात संचलन पर अनिवार्य प्रतिक्रिया हुई है जैसे विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, संचार केबुलों, ऊपरी उपस्कर, मालडिब्बा फिटिंग की चोरी आदि। मीटर लाइन पर प्रति दिन दस लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर ढुलाई के लिए उपयोग में लाये गये मालडिब्बों की संख्या 1950-51 के 2,771 से घटकर 1969-70 में 1,994 और फिर 1970-71 में घटकर 1,983 रह गयी। 1950-51 के मूल्य स्तर के अनुसार प्रति अरब यातायात यूनिट (भाड़ा मीटरिक टन किलोमीटर+यात्री किलोमीटर) के हिसाब से ब्याजदेय पूंजी 1950-51 के 15.92 करोड़ रुपये से घटकर 1969-70 में

13.49 करोड़ रुपये रह गयी। प्रति यूनिट यातायात के लिए रेल इंजनों और मालडिब्बों की संख्या में कमी से मोटे तौर पर पता चलता है कि पूंजी निवेश में और परिणामस्वरूप मरम्मत और अनुरक्षण पर आवर्ती व्यय, मूल्यह्रास और ब्याज के रूप में अन्यथा जो खर्च होता, उसमें कितनी बचत हुई है।

चालू लाइन पर प्रति कर्मचारी ढोये गये यातायात यूनिटों की संख्या (शुद्ध मीटर टन किलोमीटर+यात्री किलोमीटर) के हिसाब से कर्मचारियों की उत्पादकता के आँकड़े 1950-51 के 122 हजार वार्षिक से बढ़कर 1969-70 में 185 हजार और 1970-71 में और बढ़कर 187 हजार हो गये।

जिन चुने हुए 16 मदों को रेल संचालन की कुशलता का सूचकांक माना जाता है और जिनके अन्तर्गत परिचालन के महत्वपूर्ण पहलू आ जाते हैं, उनके आधार पर तैयार किया गया समग्र परिचालन एवं कुशलता सूचकांक 1950-51 के 100 से बढ़कर 1969-70 में 120.9 और 1970-71 में 121.4 हो गया।

River Water Used in Madhya Pradesh for Irrigation Purposes

7527. **Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the percentage of water of the rivers originating in Madhya Pradesh used for irrigation purposes with-in the State and the percentage of water used in other States from where these rivers pass; and

(b) the measures taken by the Central Government to ensure adequate supply of river water to Madhya Pradesh for irrigation purposes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The principal river basins in Madhya Pradesh are the Narmada, Tapi, Chambal, Betwa, Ken, Sone, Mahanadi and Godavari. A rough assessment of the total water resources of these rivers at their mouths and utilisation on completion of projects, sanctioned up to 1968-69 is given below :—

River system	Water resources m. ft.	Use on full development of projects sanctioned upto 1968-69	
		Madhya Pradesh	Other States in basin.
Narmada	28	2.7	2.4
Tapi	10	Negligible	4
Chambal	10	2	3
Betwa & Ken	10	0.6	2
Sone	12	Negligible	5
Mahanadi	50	3.0	8
Godavari	90	Negligible	15

(b) The Government of Madhya Pradesh are attaching increasing importance to the development of irrigation facilities. During the Plans, 7 major and 50 medium schemes of a total potential of 2.5 million acres have been undertaken. These have already added a potential 1.07 million acres, which is expected to rise to 1.95 million acres by March 1974. The outlay in the various Plans has been :

	(Rs. Crores)
First Plan	8 (approx)
Second Plan	30
Third Plan	37
1966-69	20
Fourth Plan (target)	83

Ratio of Irrigated Area to Total Cultivable Area in Madhya Pradesh.

7528. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the ratio of irrigated area to total cultivable area in Madhya Pradesh;

(b) the ratio of irrigated area to total cultivable area in the States adjoining Madhya Pradesh;

(c) the Central assistance given to Madhya Pradesh to bring it at par with the adjoining States in this regard; and

(d) the amount of the Central assistance provided to Madhya Pradesh under each of the last three Plans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri. B. N. Kureel) : (a) & (b) A statement showing the total cropped area and the irrigation potential from major and medium irrigation projects, and the percentage thereof to total crop area in Madhya Pradesh and the adjoining States is attached.

(c) & (d) Irrigation is a State subject and irrigation projects are fincanced by State Governments from within their overall Plan outlays. The total plan outlay of Mathya Pradesh, Central assistance thereto and the outlay on major and medium irrigation projects, are indicated belows :

Period	Total Plan outlay of Madhya Pradesh	Central assistance to Madhya Pradesh for the Plan	Outlay in major and medium Irrigation sector
		(Rs. crores)	
First Plan	94	61	8 (approx)
Second Plan	145	96	30
Third Plan	288	219	37
1966-69	173	142	20
Fourth Plan (target)	393	?62	96

"Statement"

States	Crop area 1967-68	Ultimate Irrigation potential.	Irrigation potential 1968-69	Percentage of crop area.	Percentage of ultimate irrigation potential.
1	2	3	4	5	6
Madhya Pradesh	483	199.1	40.1	8.3	20.2
Andhra Pradesh	316	255	96.3	30.4	37.7
Bihar	269	196	37.0	32.3	44.3
Gujarat	258	95.1	34.0	13.2	35:8
Maharashtra	473	113.1	46.8	9.9	41.4
Orissa	184	100	43.1	23.9	43.1
Rajasthan	411	122.8	61.8	15.1	50.3
Uttar Pradesh	560	373	188.1	33.6	50.4

Local Traffic in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras

7529. **Shri Rana Bahadur Singh**. Will the Minister of **Railways** be pleased to state the action taken or proposed to be taken to cease the pressure on local traffic in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : Consistent with the availability of requisite resources by way of rolling stock, terminal/sectional capacity, etc., steps are being taken to introduce additional trains, extend the runs of existing trains and augment there loads. During the year 1970-71, a total of 109 suburban trains were introduced/extended in these four cities. 26 trains were also introduced/extended in the April, 1971 Time Table. A study team on Metropolitan Transport under the aegis of the Planning Commission has also been set up to go into the entire question of Mass Transit facilities in these cities.

बस्तर जिले में नारायणपुर-ढल्ली राजहार रेलवे लाइन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन

7530. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले में नारायण-पुर-ढल्ली-राजहार रेलवे लाइन की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में अध्ययन किया था;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रेलवे के सम्भाव्यता प्रतिवेदन और राज्य सरकार के सम्भाव्यता प्रतिवेदन के निष्कर्षों में अत्यधिक अन्तर है; यदि हां, तो अन्तर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार इस रेलवे लाइन को बिछाने की सम्भाव्यता अध्ययन पर पुनः विचार करेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) जी हां। मतभेद मुख्यतः इस नई लाइन पर सम्भावित यातायात के सम्बन्ध में है। मध्य प्रदेश सरकार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, वह दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन को भेज दी गयी है ताकि रेलवे इससे पहले तैयार की गई अपनी व्यावहारिकता-एवं-लागत अध्ययन रिपोर्ट को अद्यतन कर सके।

शाहदरा-सहारनपुर रेलवे को पुनः आरम्भ करना

7531. **श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शाहदरा-सहारनपुर रेलवे दिल्ली के एक प्रमुख लोहा तथा इस्पात व्यापारी को बेच दी गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : ऐसा पता चलता है कि शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी के परिसमापकों ने, इसकी भूमि जिस पर भारत सरकार का स्वामित्व है और दिल्ली शाहदरा तथा सहारनपुर की स्थायी इमारतों को छोड़कर परिसम्पत्तियों को दिल्ली के लोहा और इस्पात के एक व्यापारी को 1.31 करोड़ रुपये में बेच दिया है।

सारन सीमा तक गंडक नदी के तट का मार्ग-रेखन

7532. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारन सीमा तक गंडक नदी के किनारों के ठीक मार्ग-रेखन को सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण और माडल अध्ययन कराने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने जुलाई, 1971 के शुरू में गंडक के दायें तट पर बिहार बंध में दरारों के निरीक्षण के पश्चात् सुझाव दिया है कि नदी से काफी दूरी पर बिहार तटबंध का संरेखण किया जाये और माडल परीक्षण करने के पश्चात् भू-कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा कार्यों का भी आयोजन किया जाए।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि प्रारूप परीक्षणों के लिए आंकड़ों का आवश्यक सर्वेक्षण और एकत्रण शुरू कर दिया गया है।

कावेरी जल विवाद

7533. श्री आर० कडनापल्ली : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के राज्यपाल ने जल के उचित वितरण हेतु कावेरी जल विवाद को सम्बन्धित राज्यों के तकनीकी विशेषज्ञों तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग को सौंपने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) प्रेस रिपोर्टें देख ली गई हैं। मैसूर सरकार ने इससे पहले इसी प्रकार के सुझाव दिये थे।

(ख) मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से कैसे हल किया जा सकता है इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार केरल, मैसूर और तमिल नाडु के बीच कावेरी जल-विवाद के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार कर रही है।

छोटे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, शौचालयों तथा मूत्रालयों में गन्दगी रहना

7534. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश छोटे स्टेशनों पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रतीक्षालय, शौचालय तथा मूत्रालय गन्दे, अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थिति में पाये जाते हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर ऐसे स्थानों पर सफाई रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। लेकिन अत्यधिक संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण पश्चिम बंगाल में कुछ सीमावर्ती स्टेशनों पर स्थिति असन्तोषजनक हो गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कठिन परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में छोटे स्टेशनों को स्वच्छ रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में कमी

7535. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 और 1970 के दौरान पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों औद्योगिक उत्पादन में समग्र रूप से कमी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी हुई है,

(ग) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि (एक) हड़तालों (दो) मिलें बन्द होने (तीन) धीरे काम करने की नीति (चार) प्रबन्धकों की अकार्य कुशलता; और (पांच) कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कहां तक कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल में 50 चुने हुए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में इस मंत्रालय में उपलब्ध उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि 1968 के उत्पादन की तुलना में 1970 में 23 उद्योगों में और 1969 के उत्पादन की तुलना में 26 उद्योगों में 1970 में उत्पादन में गिरावट आई। संलग्न विवरण देखिये। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 877/71**]

(ग) और (घ) : इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। किन्तु राज्य सरकार ने बन्द और संकटग्रस्त उद्योगों के बारे में एक जांच समिति नियुक्त की थी, जिसका प्रतिवेदन 30-12-70 को प्रस्तुत किया गया था। इस समिति के अनुसार, मिलों के बन्द होने के मुख्य कारण श्रमिक अशांति, वित्तीय कठिनाई, व्यवस्था की कमी और कच्चे माल की कमी थी। समिति ने कुछ औद्योगिक पुनर्निर्माण नियम की स्थापना और कुछ विशेष वर्गों के उपक्रमों को सहायता देने की व्यवस्था करने जैसे कुछ उपचारी अभ्युपाय सुझाये हैं, इन अभ्युपायों पर पहले ही अमल किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र में शराब, बनाने के कारखाने स्थापित करना

7536. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में शराब बनाने के कारखाने स्थापित करने के बारे में कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस समय सहकारी क्षेत्र में शराब बनाने के कारखाने स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में शराब बनाने के और अधिक कारखाने स्थापित करने के ऐसे प्रस्तावों के मामले में अधिक सहूलियतें देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को मैसूर और हरियाणा दोनों से सहकारिता क्षेत्र में से अंगूरी शराब और ब्रांडी का एक-एक एकक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । दी मैसूर ब्रेवरीज कोआपरेटिव सोसाइटी लि० बंगलौर (मैसूर राज्य) जिसे उत्पादन आयुक्त, मैसूर ने अंगूरी शराब और ब्रांडी बनाने के लिए पहले ही लाइसेंस दे दिया है, का विचार 19.10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 3000 हेक्टालीटर शराब और 600 हेक्टालीटर ब्रांडी बनाने के लिए एक शराब बनाने का कारखाना स्थापित करने का है । इसी प्रकार हरियाणा राज्य कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लि० चण्डीगढ़ द्वारा हिसार में स्थापित किए जाने वाले एकक की अनुमानित लागत 25.83 लाख रुपये है और इसमें 1000 हे० ली० ह्वाइट स्वीट वाइन, 250 हे० ली० ह्वाइट ड्राइवाइन, 250 हे० ली० वरमाउथ, 100 हे० ली० ब्रांडी और 50 हे० ली० लाल शराब बनाई जायेगी ।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय को प्राप्त अन्य प्रस्ताव की विशेषता यह है कि फिरोजपुर में मेसर्स पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लि० द्वारा 40 लाख रु० के पूंजी विनियोजन से एक पाली के आधार पर 14 लाख लीटर शराब और ब्रांडी बनाने के बारे में है ।

(ग) और (घ) : इच्छुक उद्यमियों को शराब बनाने के एकक स्थापित करने के लिए सम्बन्धित राज्य के उत्पादन कर विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है । यदि राज्य सरकारें आवश्यक उत्पादन लाइसेंस देकर अंगूर की शराब और ब्रांडी बनाने के लिए सहकारी समितियों को उत्साहित करने का निर्णय करतीं हैं तो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम प्रत्येक मामले के गुणगुवणों के आधार पर अपनी लघु और मध्यम श्रेणी के कृषि परिष्करण एककों की केन्द्रीय योजना क्षेत्र के अन्तर्गत एककों पर लगने वाली इकट्ठी लागत पर वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर सकेगा ।

पश्चिम बंगाल बिहार और आसाम में हुई रेलों की क्षति

7537. श्री राम सहाय पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आसाम में रेलों को भारी क्षति पहुँची है;

(ख) क्या क्षति का अनुमान लगाया गया है तथा भविष्य में ऐसी क्षति को बचाने हेतु क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐहतियात के तौर पर पूर्वी रेलवे क्षेत्र में कुछ गाड़ियों की सेवाएं कम करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सीमेंट उद्योग का प्राथमिकता सूची से निकाला जाना

7538. श्री राम सहाय पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों को हाल ही में प्राथमिकता सूची से निकाल दिया गया है,

(ख) क्या इससे, उन उद्योगों की उत्पादिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जैसा कि उद्योगपतियों को, विशेषतया सीमेंट उद्योग को भय है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने यह सुनिश्चय करने के लिये इन उद्योगों का समुचित विकास जारी रहेगा, क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग) : देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह आवश्यक नहीं होगा कि सीमेंट उद्योग और कुछ अन्य उद्योग जैसे एल्युमिनियम, मोटर ट्रक और बसें, उष्मसह वस्तुएं, सोडा ऐश, पेट्रो रसायन और मोटर गाड़ी सहायक सामान, जिन्होंने अब तक अपने लाभ के 8 प्रतिशत तक कर में विशेष छूट का लाभ उठाया है। इस विशेष छूट का लाभ उठाते रहें। सरकार यह नहीं समझती है कि उपर्युक्त निर्णय से सीमेंट उद्योग सहित इन उद्योगों की उत्पादिता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

मनीपुर में खादी के कपड़ों का उत्पादन

7539 श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में खादी के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनीपुर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या हाथ से काते गये सूत के कम उत्पादन के कारण मनीपुर के कुशल हथकरघा बुनकरों को खादी के वस्त्र तैयार करने के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये गये हैं;

(ग) क्या मनीपुर में उन्नत किस्म के चर्खों का उपयोग आरम्भ कर दिया गया है, यदि हां, तो कितनी संख्या में और उसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार ने हाथ से काते गये सूत का उत्पादन जारी न करने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मणिपुर सरकार ने 1966 में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया। आयोग, राज्य में चुने हुये केन्द्रों में खादी के उत्पादन तथा उसकी बिक्री के कार्य को भी स्वयं कर रहा है। राज्य में तीन पंजीकृत संस्थायें भी खादी का कार्य कर रही हैं।

(ख) मणिपुर के हथकरघा बुनकर जो मिल के धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं सामान्य

रूप से खादी की बुनाई करने में रुचि नहीं रखते हैं। फिर भी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग हथकरघा बुनकरों के कौशल का उचित उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(ग) मणिपुर राज्य के दो एककों को छः तकुए नए माडल के पूर्ण धातु के चर्खे दिये गये हैं। इनमें से एक एकक के एक महीने अथवा उससे अधिक समय में उत्पादन प्रारम्भ कर देने की आशा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधि विषयक पुस्तकों का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन

7540 श्री० एन० टोम्बी सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी केन्द्रीय एजेन्सी के तत्वावधान में विधि विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद तथा प्रकाशन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) ऐसी योजना की मुख्य बातें क्या है तथा कितनी भाषाओं में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस मंत्रालय के पास (i) प्रामाणिक विधि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने और (ii) हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों की एल० एल० बी० कक्षाओं में प्रयोग के लिये हिन्दी में मूल विधि पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए एक स्कीम है। किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में विधि पुस्तकों के अनुवाद या विधि पुस्तकों के लेखन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विधि की विभिन्न शाखाओं पर अंग्रेजी की 59 प्रामाणिक रचनाएं हिन्दी में अनुवाद के लिए अस्थायी रूप से चुनी गई है। जिन व्यक्तियों द्वारा इनका अनुवाद कराया जाना है, वे अभी चुने नहीं गये हैं। हिन्दी में विभिन्न विषयों पर विधि पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए 27 लेखकों के साथ करार किये गये हैं। 4 लेखकों को दिये गये विषयों के संबंध में उनसे पांडुलिपियां प्राप्त हो गई हैं।

बीबीनगर के रास्ते नाडीकुडे से सिकन्दराबाद तक नई रेलवे लाइन

7541. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीबीनगर के रास्ते नाडीकुडे से सिकन्दराबाद तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस नई लाइन के निर्माण के बाद सिकन्दराबाद से मद्रास तक कितना फासला कम हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सिकन्दराबाद (बीबी नगर) से नाडिकुडे तक नई लाइन बिछाने और गुंटूर-मंचेर्ला मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए

हाल में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किए गए हैं और इस समय रेलवे बोर्ड रिपोर्टों पर विचार कर रहा है।

(ग) लगभग 93·0 किलोमीटर।

केन्द्र सरकार की ओर से आँध्र प्रदेश खादी ग्राम उद्योगों तथा खादी बोर्ड को दिया गया ऋण और अनुदान

7542. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश खादी ग्राम उद्योगों तथा खादी बोर्ड को ऋण के रूप में तथा अनुदान के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी है,

(ख) क्या उद्योग योजनायें आरम्भ करने के लिए इन ऋणों और अनुदानों का उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है यदि हां तो उसके उपयोग की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऋणों के रूप में 152·78 लाख रुपये तथा अनुदान के रूप में 87·69 लाख रुपये।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की परिवीक्षा के अन्तर्गत उद्योगों की विभिन्न योजनाओं के विकासार्थ सहयोग करने के निर्धारित तरीकों के अनुसार ऋण तथा अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं। उत्पादन और विक्रय के लिए कार्यशील पूँजी के रूप में मशीनों और औजारों तथा गोदामों के लिए पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु एवं अंशपूँजीगत ऋणों के लिए ऋण दिये जाते हैं। निधियों के प्रयोग पर उनके उचित उपयोग के हेतु खादी आयोग द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरी रेलवे मुख्यालय स्थित रेलगाड़ी स्थान आरक्षण (परिचालन शाखा) के कर्मचारियों और शाखा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

7543. श्री आर०वी० बड़े : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको उत्तरी रेलवे मुख्यालय स्थित रेलगाड़ी स्थान आरक्षण (परिचालन शाखा) के कर्मचारियों और शाखा अधिकारी के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें उन पर अनियमित तथा भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में की गयी विशिष्ट कार्रवाई का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दक्षिण पूर्वी रेलवे पर उड़ीसा में सोरो स्टेशन पर हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रेस गाड़ी के निर्धारित स्टापेज का रद्द किया जाना

7544. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे में, उड़ीसा के खुर्दा डिवीजन में बालासौर जिले के सोरो रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस के निर्धारित स्टापेज को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय उक्त स्टेशन पर जनता की निरन्तर मांग को दृष्टि में रखते हुए इस स्टापेज को पुनः निर्धारित करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय को उक्त स्टेशन पर गाड़ी रोकने के लिये बार-बार और नियमित रूप से जंजीर खींचे जाने के बारे में जानकारी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) 1 अक्टूबर, 1970 से पुरी और हैदराबाद के बीच चलने वाली 45 अप/46 डाउन एक्सप्रैस गाड़ियां मार्ग परिवर्तन करके तथा उनका चालन क्षेत्र बढ़ाकर हावड़ा और हैदराबाद के बीच चलाई जा रही हैं। खोरधा रोड़ और हावड़ा के बीच के बढ़े हुए चालन-क्षेत्र के कतिपय स्टेशनों तथा सोरो पर इन गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सोरो में 45 अप/46 डाउन एक्सप्रैस के खतरे की जंजीर खींचे जाने की बहुत कम घटनाए हुई, क्योंकि मई और जून, 1971 के दो महीनों के दौरान इन गाड़ियों की खतरे की जंजीर कुल 14 बार खींची गयी।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन के रेलवे स्टेशनों में ऊपरि पुल

7545. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन में अभी भी कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां ऊपरी पुल नहीं हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का चौथी योजना की अवधि में ऐसे सभी स्टेशनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। 62 स्टेशनों में से 32 स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल नहीं हैं।

(ख) जिन स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल नहीं हैं वहां जब कभी इस सुविधा की आवश्यकता होती है इसके लिए रेलों द्वारा व्यवस्था की जाती है लेकिन यह यातायात की आवश्यकताओं और अन्य बातों पर निर्भर करता है जिसमें धन की उपलब्धता शामिल है। तदनुसार चौथी योजना अवधि में खोरधा मंडल के 7 और स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

विस्फोटकों से होने वाली रेल दुर्घटनायें रोकने के लिये किये गये उपाय

7546. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपद्रवियों द्वारा रेलगाड़ियों को उड़ाने के लिए विस्फोटकों का पता लगाने के लिए कोई यन्त्र खोज निकाल हेतु उनके मंत्रालय में अब तक क्या कार्यवाही की है जिससे ड्राइवर दूर से ही गाड़ी रोक कर दुर्घटना को बचा सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : न तो अभी तक किसी ऐसे उपकरण का विकास किया गया है और न ही हमारे देश के बाहर किसी रेलवे द्वारा ऐसी मशीन का विकास किया गया है।

कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी रेल लाइन

7547. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार किया है;

(ख) क्या इस लाइन पर निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस लाइन के बदलने के कार्य पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य सम्भवतः कब तक पूरा हो जायेगा।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) एर्णाकुलम (कोच्चिन के निकट) तिरुवनन्त-पुरम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इन्जीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं और इस समय रेलवे बोर्ड रिपोर्टों पर विचार कर रहा है। इस आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में शीघ्र ही विनिश्चय किया जायेगा। इस पर कुल 13.60 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(घ) चूंकि इस आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में अभी विनिश्चय किया जाना है, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि यह काम कब तक पूरा होगा।

गोआ की सिलाउलिम सिंचाई परियोजना के लिए मंजूरी

7548. श्री बालकृष्ण पिल्ले : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ की सिलाउलिम सिंचाई परियोजना के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर होने वाला कुल व्यय क्या है तथा कार्य के कब तक प्रारम्भ और समाप्त होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) लग-भग 9.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की सलौली सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल विद्युत

आयोग में तकनीकी जांच की प्रौढ़ावस्था में है तथा इसको निकट भविष्य में स्वीकृति मिल जाना प्रत्याशित है। अगर संशोधन अनुकूल रहे तो ऐसी आशा है कि इस परियोजना पर 1972-73 के दौरान प्रारम्भिक कार्य शुरू करना और परियोजना को 5 या 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना संभव हो सकेगा।

एकाधिकार को रोकने तथा समाप्त करने के लिए संविधान का संशाधन

7549. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :
श्री जी० वेंकट स्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एकाधिकार को रोकने तथा समाप्त करने के लिए संविधान में शीघ्र संशोधन करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) विधि और न्याय मंत्रालय को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

आंध्र प्रदेश में वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

7550. श्री के० के० रामी रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आंध्रप्रदेश में वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

7551. श्री चंद्रिका प्रसाद :
श्री आर० वी० बड़े :
श्री बी० पी० मौर्य :

क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलवे की सिगनल और दूर संचार शाखा के कर्मचारियों के प्रदर्शन के बारे में 13 जुलाइ 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे की सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों की प्रत्येक मांग के बारे में प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-878/71।]

उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के चितोड़ा ब्लाक में औद्योगिक बस्तियां

7552. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के चितोड़ा ब्लाक में औद्योगिक बस्ती के भवन का निर्माण किस तिथि को किया गया था और उसके निर्माण में कितनी लागत आई है।

(ख) क्या यह भवन कई वर्षों से खाली पड़ा है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस भवन का उपयोग उसमें कोई उद्योग स्थापित करके करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गई है तथा वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी सहयोग से टेनिस बालों का बनाया जाना

7553. श्री० एस० राधा कृष्णन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेनिस बाल बनाने के लिए स्वीडन और लन्दन की दो विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां तो इन फर्मों ने भारतीय फर्मों के साथ किन-किन शर्तों पर करार किया है और इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) टेनिस को गेंदों के उत्पादन के लिए क्रमशः मे० डनलप इण्डिया लि०, कलकत्ता और मे० दीनूभाई जी० देसाई एण्ड कं०, बम्बई को क्रमशः मे० डनलप कं० लि०, लन्दन और मे० हेलसिंगवोर्जेज गम्मीफैब्रिक एक्ती-वीलोग, ट्रेटीर्न, स्वीडन के साथ तकनीकी सहयोग करने के लिए स्वीकृत की गई है।

(ख) अनुमोदन की शर्तों में (1) मे० डनलप इण्डिया के मामले में ब्रिटेन की कम्पनी को उनके द्वारा की गई कुछ विशेष सेवाओं के लिए कमीशन और (2) मे० दीनूभाई जी० देसाई के मामले में स्वीडन की कम्पनी को रायल्टी की अदायगी के लिए व्यवस्था की गई है।

मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स को पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ट्रैक्टर का निर्माण करने के लिए लाइसेंस देना

7554. श्री एस० राधाकृष्णन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना के मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स को पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितने मूल्य की विदेशी मशीनरी का आयात किया जायेगा ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां।

(ख) 257.14 लाख रुपये ।

पेराम्बूर स्थित कैरिज वर्कस के लिये मशीनरी तथा संयंत्र

7555. श्री एस० राधा कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1953-69 से नियोजित डिलिवरी के अधीन दक्षिण रेलवे में पेराम्बूर स्थित कैरिज वर्कस के लिए नवनिर्मित तथा नवीकृत मशीनरी तथा संयंत्र का व्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष कितनी प्रगति हुई है तथा तदनुसार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अभी कितनी राशि का उपयोग किया जाना शेष है तथा इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : 1968-69 से कार्यक्रम के अनुसार होने वाली सुपुर्दगी के अन्तर्गत नव निर्मित तथा नवीकृत मशीन और संयंत्र का व्यौरा, प्रति वर्ष हुई प्रगति और खर्च की गयी रकम इस प्रकार है:—

मशीन का विवरण	सं०	लागत	अतिरिक्त या बदलाव लेखे में
1968-69			
1. बिजली हविस (hoist)	4	Rs.37049.00 रुपये	नया/अतिरिक्त
2. डी० सी० जनित्र झलाई संयंत्र	3	Rs.15386.00 रुपये	नवीकृत/वदलाब
3. डी० सी० जनित्र झलाई संयंत्र	1	Rs. 4500.00 रुपये	नवीकृत/वदलाव
4. स्वचालित ट्रक 2-टन क्षमता वाला	4	48242.00 रुपये	नवीकृत/बदलाव
5. शाट पीनिंग संयंत्र	1	167961.00 रुपये	नया/अतिरिक्त
6. एयर कम्प्रेशर 500 घनफुट	1	63777.00 रुपये	नवीकृत/बदलाव
		336915.00 रुपये	

1969-70

1. सवारी और माल डिब्बा लेथ	1	658884.00	रुपये	नवीकृत/बदलाव
2. जल शीतक पम्प	2	8330.00	रुपये	नया/अतिरिक्त
3. स्पार्क प्लग टेस्टर	1	1400.00	रुपये	नया/अतिरिक्त
4. पोटेवल गेज क्रेन	1	2951.00	रुपये	नया/अतिरिक्त
5. शेपिंग मशीन 24" स्ट्राक	1	14015.00	रुपये	नया/अतिरिक्त
6. स्प्रिग स्क्रेगिंग मशीन	1	22000.00	रुपये	नया/अतिरिक्त
7. डी० सी० झलाई संयंत्र	2	14488.00	रुपये	नया/बदलाव
8. लौरी-5 टन क्षमता वाली	2	69160.00	रुपये	नया/बदलाव
		791228.00 रुपये		

1970-71

1. बिजली मफल भट्टी	1	24720.00	रुपये	नया/बदलाव
2. तेल शीतित ट्रांसफार्मर	3	10500.00	रुपये	नया/बदलाव
3. 165' चेसिस 5-टन संयंत्र क्षमता वाला	1	37816.00	रुपये	नया/बदलाव
4. वैटरी चार्जर	1.	1958.00	रुपये	नया/बदलाव
		74994.00 रुपये		

(ग) 1970-71 तक स्वीकृत मशीन और संयंत्र के लिए शेष परिव्यय 11,91,000 रुपये है जिसका अभी उपयोग होना बाकी है।

इसके उपयोग न होने के कारण इस प्रकार है :—

(i) इस रकम में से 1,78,000 रुपये 1970-71 में स्वीकृत मशीनों के लिए अनुमानित परिव्यय के हैं। मशीन की खरीद में सामान्यत : लगभग 2 वर्ष लग जाते हैं और इसलिए यह रकम 1972-73 में ही खर्च हो पायेगी।

(ii) कुछ मशीनों का आयात करना पड़ेगा और इसलिए खरीद में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा।

(iii) अब तक आयात की जाने वाली कुछ किस्म की मशीनों का देश में निर्माण करने की प्रत्याशा के कारण भी उनकी वास्तविक खरीद में कुछ विलम्ब होता है।

दक्षिण रेलवे में रेलवे लाइन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर सड़क वाले ऊपरी पुलों का निर्माण

7556. श्री एस० राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तथा गत वर्ष दक्षिण रेलवे में रेलवे लाइन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर सड़क वाले ऊपरी पुलों का निर्माण करने हेतु कितने निर्माण कार्यों के लिये व्यवस्था की गई है तथा उनका व्यौरा क्या है;

(ख) उन निर्माण कार्यों पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) इन मार्गों पर भारी सड़क और रेल यातायात को देखते हुए इन निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) ताम्बरम के समरीप का ऊपरी पुल पूरा हो गया । इस ऊपरी पुल की अनुमानित लागत 4.66 लाख थी ।

विवरण में क्रम सं० 2 के सामने दिखाये गये शेष 6 निर्माण-कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रायोजित किये गये हैं । रेलवे द्वारा राज्य सरकार/जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से खाके और अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी और निष्पादन के लिए योजना इस प्रकार बनायी जायेगी कि रेलवे के हिस्से के पुल खास के पूरे करने का काम और राज्य सरकार द्वारा पहुँच-मार्गों के निर्माण कार्य साथ-साथ हो सकें ।

विवरण

क्रम सं०	वर्ष	निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों का व्यौरा
1.	1970-71	1	मद्रास-एषम्बूर चैंगलपेटै खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 45 मील 16/2 ताम्बरम के समीप किलोमीटर 30/9-10 के वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल ।
2.	1971-72	6	(i) ताम्बरम-चेंगलपैट्टै खण्ड-पेरानूर (सड़क मील 31/8 रा० रा० 45) के समीप किलोमीटर 55/2-3 के वर्तमान समपार के बदले किलोमीटर 55/3-4 पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल । (ii) चैंगलपेट्टै-वांचीपुरम खण्ड-चैंगलपैट्टै और रेड्डीपालायम स्टेशनों के बीच (रा०

राजमार्ग 45 के सड़क मील 34/3) कि० मी० 0/2 पर वर्तमान समपार के बदले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल।

(iii) चैंगलपैट्टै-विल्लुपुरम खण्ड-मुंडियामवकल्म और विल्लुपुरभ स्टेशनों के बीच (रा० राजमार्ग 45 के सड़क मील 96/4) किलोमीटर 159/5-6 के वर्तमान समपार के बदले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल।

(iv) चैंगलपैट्टै-विल्लुपुरम खण्ड-तोजुप्पैड् रेलवे स्टेशन की सीमा में किलोमीटर 104/6-7 (रा० रा० 45 के सड़क मील 62/1) पर वर्तमान समपार के बदले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल।

(v) विल्लुपुरम-तिरुच्चिरापल्लि (कार्ड लाइन) खण्ड विल्लुपुरम और कण्डम्बक्म स्टेशनों के बीच (रा० रा० 45 के सड़क मील 102/1) किलोमीटर 169/9-10 पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(vi) लालगुडा-तिरुच्चिरापल्लि जंकशन खण्ड-पिच्चांजरकोविल स्टेशन की सीमा में (रा० रा० 45 के सड़क मील 191/6) किलोमीटर 324/12-13 पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल।

नार्दर्न रेलवे एम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का परिस्थापन

7557. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न रेलवे एम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का परिस्थापन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके अवैतनिक सचिव और प्रबन्धक समिति से उक्त समिति के रिकार्ड तथा अन्य वस्तुओं को अपने अधिकार में नहीं लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग

7558. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में लगभग 4 दर्जन चीनी मिलें पर्याप्त मात्रा में भूसी का उत्पादन करती हैं जिसका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जा सकता है जो कि उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किसी पूर्वी जिले में कागज उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को परामर्श क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश एक ऐसे क्षेत्रों में से है जहां पर्याप्त मात्रा में खोई, कागज मिलों को सस्ते दामों पर लुगदी बनाने के लिए चीनी मिलों से निरन्तर प्राप्त हो सकती है। किन्तु चीनी मिलें अपने वायलर में खोई को ईंधन की जगह प्रयोग में लाती हैं उनके लिए अन्य दूसरे ईंधन को प्राप्त करना समस्या वन जाता है।

(ख) उत्तर-प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यदि खोई की निरन्तर प्राप्यता का सुनिश्चय कर लेता है तो उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत है।

भारतीय रेलवे की विकास योजना

7559. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने पूर्ण सर्वांगीण विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए अपनी कोई विकास योजना बनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस स्थिति को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख) रेलों की अपनी एक विकास योजना है जो देश की राष्ट्रीय योजना का ही एक अंग है। रेल योजना को इस प्रकार बनाया गया है ताकि वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह योजना अनिवार्यत: ऐसी लचीली होनी चाहिए ताकि विकास की प्रगति और स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परिवहन योजना एक सतत प्रक्रिया है इसमें अंतिमता या पूर्णता का प्राप्त होना कठिन है।

भारतीय रेलवे में तेज चलने वाली गाड़ियां आरम्भ करने के लिये विदेश तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना

7560. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि संसार के विकसित देशों ने 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहियों रहित रेल गाड़ियों का चलाना आरम्भ करके रेलों की पुरानी धारणा, कि ये जनता के लिये तीव्रतम परिवहन साधन है, प्राप्त करने के

लिये संघर्ष करने की धारणा बना ली है और इस प्रकार की गाड़ियों के चलाने के इस प्रयोग में उन्हें सफलता मिल गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कम से कम औद्योगिक नगरों को परस्पर मिलाने के लिये सरकार का विचार इस प्रकार की रेलें आरम्भ करने हेतु विदेशों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार कर्मचारी संघ द्वारा मांगपत्र

7561. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने 5 जून, 1970 को रेल भवन नई दिल्ली में भूत-पूर्व रेल मंत्री से भेंट की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भूत-पूर्व रेल मंत्री को एक माँग पत्र दिया गया था और माँग पत्र की विभिन्न बातों पर विचार विमर्श किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो ये बातें क्या हैं और माँग पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों की कठिनाइयों तथा अभ्यावेदनों के विषय पर लगभग 8000 व्यक्तिगत अभ्यावेदन भी पेश किये थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भूतपूर्व रेल मंत्री को कोई माँग-पत्र नहीं दिया गया था। लेकिन बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गयी वे थे संघ को मान्यता देना, विश्रामदाता और छुट्टी रिजर्वों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में बोर्ड के आदेशों का क्रियान्वयन, निरीक्षकों को भण्डार की जिम्मेदारी से मुक्त करना, कर्मचारियों का स्थायीकरण, वर्दियों की व्यवस्था करना और विभाग में कर्मचारी तैनात करने के लिए माप दण्ड निर्धारित करना। ऐसे संघों को मान्यता देना जिसमें केवल एक ही कोटि के कर्मचारी हों, रेल मंत्रालय की नीति के विरुद्ध है। विश्रामदाताओं और छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया गया है और रेलों पर कर्मचारियों को स्थायी करने का काम उत्तरोत्तर, क्रियान्वित किया जा रहा है तथा वर्दी समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्दी सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जहाँ तक विभाग में कर्मचारियों को तैनात करने के मापदण्ड का प्रश्न है, रेलें पहले से ही कुछ मानकों के अनुसार कार्य कर रही हैं। निरीक्षकों को भण्डार की जिम्मेदारी से मुक्त करने के प्रश्न की अभी जाँच की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में आदिम जाति के परिवारों को अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा देना

7562. **श्री एस० सी० दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जाति के उन परिवारों को जिनकी भूमि उड़ीसा के कोरापुट जिले में रेलवे (डी० बी० के० रेलवे) द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) क्या उन परिवारों के, जिनकी भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, पुनर्वास के लिए कुछ प्रबन्ध किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने परिवारों को कहां-कहां बसाया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बागड़ी तथा धानमण्डल स्टेशनों के बीच बागड़ी-थंगड़ा पर एक नया रेलवे स्टेशन खोलना

7563. **श्री ए० सी० दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बागड़ी तथा धानमण्डल रेलवे स्टेशनों के बीच बागड़ी-थंगड़ा पर एक नया रेलवे स्टेशन खोलने सम्बन्धी काई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे में बैरी और धानमण्डल स्टेशनों के बीच बागडी-थंगडा में एक गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की जाँच की गयी थी लेकिन भारी आवर्ती वित्तीय हानि के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

पिंजौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में ट्रैक्टरों का निर्माण

7564. **श्री एस० एम० हाशिम :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिंजौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन/टूल्स में बनाये जा रहे नये जेटर ट्रैक्टर का मूल्य कितना है;

(ख) इस वर्ष कुल कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) भारत में जेटर ट्रैक्टरों की अनुमानित माँग कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जीटा ट्रैक्टर का

का मूल्य अभी राज्य व्यापार निगम तथा कृषि मंत्रालय के साथ विचार करके तय किया जा रहा है।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 1971-72 में 2 हजार, 5 सौ जीटर 2511 ट्रैक्टरों को सी० के० डी० तथा एस० के० डी० से जोड़ कर तैयार करने के लिये योजना बनाई है।

(ग) आशा है कि जीटा ट्रैक्टरों की मांग 1975-76 तक प्रति वर्ष लगभग 12 हजार हो जायेगी।

ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्विति विभाग का स्थानान्तरण

7565. श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिए "ग्यारह सूत्री कार्यक्रम" के उपरान्त अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उनके अधिकार के अन्तर्गत बनाया गया ग्यारह सूत्री कार्यक्रम क्रियान्विति विभाग रेलवे बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेल संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सुधार दिखाई दिखायी पड़ता है। किसी कार्यक्रम विशेष के अन्तर्गत उसका परिमाण निश्चित करना अभी कठिन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टोर नियंत्रक के कार्यालय (पूर्वी रेलवे) में मुख्य लिपिक पद के लिए अनुसूचित जाति का उम्मीदवार

7566. श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के 2 जून, 1961 के पत्र संख्या ई(एस० सी० टी०) 61 सी० एम० आई० 153 तथा पूर्वी रेलवे के 7 जुलाई, 1961 के परिपत्र संख्या ई 220/0/2/आर के अनुसार पूर्वी रेलवे प्रशासन के अन्तर्गत स्टोर नियंत्रक के कार्यालय में मुख्य लिपिक के ग्रेड का एक पद अनुसूचित जन जाति के उमीदवारों के लिए आरक्षित रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा भरा गया है तथा कब; और

(ग) वर्ष 1964 में इस पद के लिये कौन-कौन आवेदक थे और साक्षात्कार तथा परीक्षाओं के क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, निर्धारित रोस्टर के अनुसार यह पद अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। (रेलवे बोर्ड का उल्लिखित पत्र दिनांक 23 जून, 1961 का है)।

(ख) जी नहीं।

(ग) अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार सर्वश्री सी०एन०एन० होरो और ए० के० कुजुर प्रवरण में शामिल हुए लेकिन अर्हता प्राप्त नहीं कर सके।

हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर (पं० बंगाल) में उत्पादन में कमी

7567. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायणपुर स्थित सरकार उपक्रम हिन्दुस्तान केब्रिल्स लिमिटेड में कर्मचारियों की धीरे काम करने की नीति के कारण उत्पादन में 75 प्रतिशत की कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनश्याम ओझा) : (क) जी हां, उत्पादन 75 प्रतिशत से नीचे नहीं गिरा है परन्तु जैसा नीचे दिया गया है;

हिन्दुस्तान केबल्स लि० के विगत तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

मात्रा	1968-69	1969-70	1970-71
ड्राई कोर केबल्स	7.83 लाख सी. के. एम.	5.51 लाख सी. के. एम.	5.05 लाख सी. के. एम.
कोकशियल केबल्स	2086 टी. के. एम.	2189 टी. के. एम.	1310 टी. के.एम.
प्लास्टिक वायर एण्ड केब्रल्स	42345 सी. के. एम.	12695 सी. के. एम.	3156 सी. के.एम.

सी. के. एम.—कंडक्टर किलो मीटर

टी. के. एम.—ट्यूब किलो मीटर

उपर्युक्त से यह पता चलेगा कि 1968-69 के आंकड़े के मुकाबले उत्पादन में गिरावट का प्रतिशत निम्न प्रकार है।

मात्रा	1969-70	1970-71
ड्राई कोर केबल्स	30 प्रतिशत	36 प्रतिशत
कोकशियल केबल्स	50 प्रतिशत बढ़ोतरी	37 प्रतिशत
प्लास्टिक वायर एण्ड केबल्स	नाम मात्र की वृद्धि	20 प्रतिशत

(ख) कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रबन्धक वर्ग कम्पनी की चारों ट्रेड यूनियनों से वार्तालाप कर रहा है।

विद्युत् मितव्ययिता समिति को उपसमिति के प्रतिदवेनों का छापा जाना

7568. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मितव्ययिता समिति को विभिन्न उपसमितियों के प्रतिवेदन लिखे गए हैं अथवा छापे गए हैं; और

(ख) इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर कब तक रखा जायेगा और कब तक प्रेस को दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) विद्युत मितव्ययिता समिति के विभिन्न अध्ययन दलों की रिपोर्टों की सीमित प्रतियां ही साइक्लोस्टाइल कराई गई हैं। समस्त रिपोर्ट मुद्रित कराई जा रही है।

(ख) विद्युत मितव्ययिता समिति की मुख्य रिपोर्ट और विभिन्न अध्ययन दलों की रिपोर्टों की प्रतियां, जो कि तकनीकी किस्म की हैं, ज्यों ही मुद्रित प्रतियाँ उपलब्ध हो जाएंगी, संसद के पुस्तकालय में रख दी जाएगी।

कागज की लुगदी बनाने वाली मशीन का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी करना

7569. श्री सुबोध हंसदा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी कागज तथा लुगदी बनाने वाली मशीनरी उद्योग आरम्भ किये गये द्रुत कागज उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होगी; और

(ख) किन-किन एककों को लुगदी और कागज बनाने की मशीनरी और पुर्जों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस अथवा आशयपत्र दिये गये हैं तथा वे कितनी क्षमता के हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) क्रैश प्रोग्राम (द्रुतप्रभावी कार्यक्रम) के अधीन संस्थापित किए जाने वाले संयंत्र तथा मशीनरी का कुल मूल्य 1924.5 लाख रु० है। इनमें से 1393.74 लाख रु० के मूल्य के उपकरण देश में ही प्राप्त करने का प्रस्ताव है। देश में बने उपकरणों में न केवल कागज मशीनरी बनाने वालों द्वारा विनिर्मित वस्तुएं बल्कि इलैक्ट्रिक मोटर्स, काम्प्रेसरस मशीन टूल्स पम्पस इन्स्ट्रूमेंटस आदि स्वतंत्र वस्तुएं भी आती है। देशी पेपर मशीनरी निर्माताओं द्वारा बनाए जाने वाले उपकरणों का कुल मूल्य लगभग 790 लाख रु० अनुमानित था। देशी पेपर मशीनरी निर्माताओं को इस समय मिली सुविधाओं को देखते हुए ऐसा समझा गया कि मशीनरी निर्माता पन्द्रह मशीनों की अवधि के भीतर लगभग 790 लाख रु० मूल्य के उपकरणों का संभरण नहीं कर सकेंगे।

(ख) एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 879/71]

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सेवा निवृत्ति आयु

7550. श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु में असमानता को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : जी नहीं।

Alleged Threat of Tamil Nadu Government to Boycott Independence Day Function

7571. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased

(a) whether he is aware that in case the Central Government failed to give satisfactory reply regarding the Cauvery water dispute between Tamil Nadu and Mysore the Government of Tamil Nadu have threatened to boycott the ensuing independence Day function on the 15th August; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) The Government of India have no information.

(b) Does not arise.

ट्रैक्टरों के मूल्यों के संबंध में टैरिफ आयोग

7572. श्री सतपाल कपूर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ आयोग ने कृषि ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारण संबंधी 1967 के अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि विलोपों संबंधी कार्यक्रम को और अधिक दृढ़ता से लागू किया जाये,

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन में विचारित और सम्मिलित किए गए विलोपों के मामले में इस बीच सफलता प्राप्त हो गई है अथवा उसमें सुधार लाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा : (क) जी, नहीं।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के निर्धारित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार सभी वर्तमान ट्रैक्टर उत्पादकों को 1970-71 तक 90·95 प्रतिशत तक देशी पुर्जों का समावेश कर लेना चाहिए था पर वे यह निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किन्तु उन्होंने निम्नलिखित स्वदेशी प्रतिशत प्राप्त कर लिया है:—

(1) मैं० एस्कोर्टस लि० फरीदाबाद	88.2 प्रतिशत देशीय साधन
(2) मैं० ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्वीपमेंट लिमिटेड मद्रास	88.2 ,, ,,
(3) मैं० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि० बड़ौदा 50 अ०श०	85 प्रतिशत ,,
35 ,, ,,	57 प्रतिशत
(4) मैं० इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स कम्पनी आफ इण्डिया लि० बम्बई।	80.3 प्रतिशत देशीय साधन
(5) मैं० ईचर ट्रैक्ट्रर्स इण्डिया लि० फरीदाबाद	82.0 ,, ,,

(ग) ट्रैक्टर उत्पादक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके है। ऐसा आवश्यक पूंजीगतमाल समय से न मिलने और सहायक बस्तुओं के सन्तोष

जनक विकास में हुये विलम्ब के कारण हुआ है। किन्तु फिर भी इस बात के सभी प्रयास किए जा रहे है ताकि ट्रैक्टर उत्पादक जितने शीघ्र हो सके ट्रैक्टर उत्पादन में निर्धारित देशीय साधनों के प्रयोग का प्रतिशत प्राप्त कर सकें।

आयातित माल के प्रतिस्थापन हेतु ट्रैक्टर उद्योग पर ट्रैफिक आयोग का प्रतिवेदन

7573. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैफिक आयोग ने ट्रेक्टर उद्योग सम्बन्धी अपने 1967 के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि विशेषतया आयातित माल के प्रतिस्थापन क्षेत्र के संदर्भ में ऐसी मदों का पता लगाने के विचार से, जिनका शीघ्र मानकीकरण किया जा सके, सभी वर्तमान प्रकार के स्वदेशी ट्रैक्टरों के इन्जीनियरी विशिष्टीकरण का तकनीकी अध्ययन आरम्भ किया जाय;

(ख) क्या इस प्रकार का अध्ययन कार्य कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिफारिश की गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय मानक संस्था समय-समय पर विभिन्न भारतीय मानक तैयार करती रही है जो ट्रैक्टर प्रयोग के लिए विशेष उपयोग के हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

प्रकाशित मानक :

1) आई० एम० 4468—1967—तीन ओर से मिले कृषि ट्रैक्टरों के लिये डाइमेन्शन।
2) आई० एम० 4931—1968—कृषि ट्रैक्टरों के लिए पावर टेक आफ साफ्टस।
3) आई० एम० 5994—1970 कृषि ट्रैक्टरों के लिए टेस्ट कोड।

तैयार किये गये प्रारूप मानक

1) कृषि ट्रैक्टरों और फार्म मशीनों के संचालन नियन्त्रण।
2) कृषि ट्रैक्टर तैयार करने का कोड।
3) कृषि ट्रैक्टर के रख रखाव का कोड।
4) थ्री प्वाइन्ट क्वेक में प्रयोग आने वाली लिंघपिन।
5) थ्री प्वाइन्ट क्वेक के कोड।

कार्यक्रम विवरण :

1) इसमें उपकरण के परि कृषि ट्रैक्टर के लिए स्वीकार किया गया प्रस्ताव।

2) कृषि ट्रैक्टरों और ट्रैक्टरों के परिमापों, के अन्तर्परिवर्तनीय यन्त्र। इसी प्रकार भारतीय मानक संस्था ने तकनीकी सम्पत्तियों के कार्य कलापों से सम्बन्धित भारतीय मानकों की एक सूची प्रकाशित की है। तैयार कर रही है जिनका ट्रैक्टर और आटोमोबाइल कम्पनी के लिये विशेष महत्व है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

7574. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1971 तक प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रति मास कितने कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया है, और

(ख) प्रत्येक मामले में स्वदेशी भागों की प्रतिशतता क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1—4—1968 से 30—6—1971 तक उत्पादन करने वाले विद्यमान 5 कारखानों द्वारा प्रतिमाह में निर्मित किये गये कृषि के ट्रैक्टरों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—880/71]

(ख) प्रत्येक एकक द्वारा इस्तेमाल किये गये देशी पुर्जों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

मे० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इण्डिया लि० बम्बई 1	80.3 प्रतिशत देशी पुर्जे
मे० ट्रैक्टर्स एण्ड कार्य इक्विपमेंट लि०, मद्रास।	88.2 प्रतिशत देशी पुर्जे
मे० ईचर ट्रैक्टर्स इण्डिया लि०, फरीदाबाद।	82.0 प्रतिशत देशी पुर्जे
मे० एस्कार्ड लि०, फरीदाबाद।	88.2 प्रतिशत देशी पुर्जे
मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि०, बड़ौदा।	
50 अ० श०	85.0 प्रतिशत देशी पुर्जे
35 अ० श०	57.0 प्रतिशत देशी पुर्जे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

आसनसोल जेल में कैदियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

श्री कृष्ण हालदर (औसग्राम) : मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"आसनसोल जेल में कैदियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण नौ विचाराधीन कैदियों की मृत्यु हो जाने का समाचार।"

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): 5 अगस्त, 1971 को लगभग रात को 2 बजे आसनसोल जेल के एक वार्डर ने जो कि ड्यूटी पर था कड़कने की आवाज सुनी और एक अन्य वार्डर के साथ जब वे उस स्थान पहुंचे तो उन दोनों पर कुछ कैदियों ने लोहे के

कांटे तथा छड़ से हमला किया। वार्डरों द्वारा चेतावनी देने पर जेलर तथा जेल के अन्य कर्मचारी फौरन भीतर आये, उन्होंने देखा कि 11 नक्सलवादी कैदी जो जेल में दो कक्षों में रखे गये थे अपने कक्षों से बच निकले हैं और जेल से निकल भागने की चेष्टा में उत्तर-पूर्वी पेरिमीटर की ओर भाग रहे हैं। जेल के कर्मचारियों को निकट आते देख कर वे रसोई की छत पर चढ़ गये और उन्होंने वार्डरों पर ईट पत्थर फैंकना आरम्भ कर दिया। जेलर ने उन्हें नीचे उतारने में असफल होने पर खाली कारतूसों के दो राउन्ड चलाने की आज्ञा दी और चूंकि उससे कोई प्रभाव नहीं हुआ अतः उसने छर्रों के कारतूस का दूसरा राउन्ड चलाने का आदेश दिया। इसके बावजूद भी जब कैदी रसोई घर की छत से नीचे नहीं उतरे तो जेलर ने कुछ वार्डरों को छत पर चढ़ने का आदेश दिया। 11 नक्सलवादी कैदियों तथा वार्डरों में संघर्ष हुआ और कुछ कैदी छत से नीचे कूद पड़ें। जेल के कर्मचारियों द्वारा लाठी चलाई गई जिससे सभी 11 कैदी गम्भीर रूप से घायल हो गये। 10 वार्डर भी घायल हुये, जिनमें दो गंभीर रूप में घायल हुये हैं। घायल कैदियों में से 9 की मृत्यु हो गई।

2. सरकार इस घटना को गभीर चिन्ता की दृष्टि से देखती है तथा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा उसकी जांच कराने के आदेश देने का उसका विचार है।

***श्री कृष्ण हाल्दर :** मन्त्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है। हमारा दल व्यक्तिगत हत्याओ और आतंकवाद के विरुद्ध है। हम राजनीतिक हत्याओं का विरोध करते हैं। नक्सलवादियों के साथ हमारे गम्भीर राजनीतिक मतभेद हैं। हम उनका राजनीतिक स्तर पर सामना करने के लिए सदा तैयार हैं।

राजनीतिक बन्दियों की नृशंस हत्या की जा रही है। हम ऐसी हत्याओं की निन्दा करते हैं। युद्ध के समय युद्ध-बन्दियों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन अच्छा व्यवहार किया जाता है परन्तु दुःख की बात है कि हमारे देश में जेलों में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है यद्यपि हमारा देश एक स्वतन्त्र देश है। कैदियों की रक्षा करना वार्डरों का उत्तरदायित्व है। विचाराधीन कैदियों की भारत में विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में पिछले 3-4 वर्षों से नृशंस हत्या की जा रही है। दिल्ली, हजारीबाग और आंध्र प्रदेश की जेलों में भी नृशंस हत्याएं हुई हैं। हम पश्चिम बंगाल में पिछले छः महीनों से देख रहे हैं कि उन कैदियों की हत्या की जाती है जो नक्सलवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं परन्तु पश्चिम बंगाल की जेलों में कुछ ऐसे कैदी हैं जो अपने आपको नक्सलवादी बताते हैं परन्तु वे वास्तव में समाज विरोधी तत्व हैं। इन समाज-विरोधी तत्वों के साथ जेलों में भिन्न व्यवहार किया जाता है।

हमने देखा है कि मिदनापुर की जेलों में बंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। सरकार ने वहां पर बंदियों की हत्या की जांच की। परन्तु जांच के परिणामों को अभी तक सार्वजनिक नहीं बनाया गया है। अंग्रेजों के शासन के दौरान कई राजनीतिक बंदियों ने जेलों से निकालने का कई बार प्रयास किया परन्तु ऐसी हत्या कभी नहीं की गई। उन दिनों ऐसी स्थिति पैदा होने की

*बंगला देश में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speach delivered in Bengali.

स्थिति में अंग्रेज अधिकारी मामले की तुरन्त जांच करवाते थे । अतः अनुरोध है कि आसनसोल में हुई हत्याओं की शीघ्र जांच की जाये । हमारे देश में पिछले छः महीनों में विभिन्न जेलों में बंदियों की हत्या के मामले की जो जांच की गई है उसके परिणाम भी हमें बताये जायें ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि आसनसोल जेल में बंदियों की हत्या के मामले की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रस्तावित जांच के साथ-साथ आसनसोल जेल की घटना की एक निष्पक्ष गैर-सरकारी जाँच की अनुमति देने के लिए भी तैयार हैं अथवा नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने एक निष्पक्ष जाँच की माँग की है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार का विचार एक निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त करने का है जो संभवतयः उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होगा ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया । यह घटना स्वयं बंदियों ने आरम्भ की । 11 बंदियों ने, जो जेल में बंद थे, जेल से भागने की चेष्टा की । उन्होंने लोहे की छड़ों से वार्डर पर प्रहार किया । यह बात नहीं कि जेल अधिकारियों ने अपनी ओर से हिंसा अथवा हिंसात्मक ढंग अपनायें । अपितु इन लोगों के जेल से भागने के लिए हिन्सा का प्रयोग करने या जेल वार्डरों पर हमला करने की प्रतिक्रिया के रूप में ही ऐसा किया गया ।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) **:** मंत्री महोदय ने यह कहकर कि सरकार इस घटना को गम्भीर चिन्ता की दृष्टि से देखती है और उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत न्यायाधीश द्वारा उसकी जाँच कराने का विचार रखती है, इस मामले को टालने का प्रयास किया है । स्मरण रहे कि यह जेल में विचाराधीन बंदियों की हत्या की छटी घटना है । ये बंदी अपराधी सिद्ध नहीं हुए थे । अपराधी तथा सिद्धदोष बंदियों के भी कुछ अधिकार हैं ।

इन नौ बंदियों की लाठियों से मृत्यु हुई है । गोली का कोई निशान नहीं है । कुछ समय से बंदियों की हत्या की घटनायें देश के विभिन्न भागों में घटित हो रही हैं । ऐसी घटनायें अब क्यों हो रही हैं जबकि हमारी सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है । केवल इस एक घटना की न्यायिक जाँच करना पर्याप्त नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि सरकार सभी छः घटनाओं की जाँच कराने की घोषणा करें ।

बरहामपुर जेल की घटना के बारे में विभागीय जाँच करने का निर्णय किया गया । परन्तु मिलीजुली सरकार बनने पर मुख्य मंत्री ने न्यायिक जाँच कराने का वचन दिया । बाद में सरकार ने कहा कि विभागीय जांच होगी जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव या कोई अन्य सचिव करेंगे । इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि सचिव के प्रतिवेदन का क्या हुआ है ? दूसरे, पुलिस के महानिरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है जिनके होते हुए ये सब बातें बार-बार रही हैं । पश्चिमी बंगाल प्रशासन में हर प्रकार की बुराइयाँ धंस गई हैं ।

पश्चिम बंगाल में क्षेत्रों की दशा इतनी खराब है कि मंत्रालय के त्याग पत्र देने के कुछ समय पूर्व तत्कालीन कारागार मंत्री श्री ज्ञान सिंह सोहनपाल ने कारागार का अचानक निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि स्थिति वास्तव में और ज्यादा खराब है । कैदियों के खान पान इत्यादि के लिए जो वस्तुएं निर्धारित हैं वे भी उन्हें नहीं मिलती हैं । यही कारण है कि कभी-कभी कैदियों

में विद्रोह की भावना पनप जाती है और वे इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। संभवतः इसी से प्रभावित है। वहाँ की स्थानीय कांग्रेस इस स्थिति के विरोध में कुछ कार्यवाही करने को प्रेरित हुई है।

पश्चिम बंगाल का सारा गृह विभाग प्रशासन और जेल प्रशासन इसके लिए दोषी है और इन सभी छह घटनाओं तथा जेल गृह और पुलिस, इन सभी की जांच की जानी चाहिये। यह अब इस कारण और भी सरल हो गया है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए एक कैबिनेट स्तर का मंत्री नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, उसके अनुसार इन घटनाओं की व्यापक जांच करवाई जायेगी कि नहीं।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य की इन भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसको ध्यान में रखकर ही हमने इस मामले की व्यापक और स्वतन्त्र जांच करवाने का निश्चय किया है। अन्य घटनाओं की जांच इस कारण नहीं करवाई जा रही है कि सभी घटनाओं की एक साथ जांच में बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि उसके जो निष्कर्ष निकलें वे लाभप्रद सिद्ध न हों।

जहां तक बरहामपुर जांच का सम्बन्ध है, इस घटना की जांच करने के लिए प्रेसीडेन्सी डिवीजन के आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह सरकार के विचाराधीन है। इंस्पैक्टर जनरल पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जांच के बाद ही संभव होगी।

मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि समूचे जेल प्रशासन की जांच की जानी चाहिये। सरकार पश्चिम बंगाल में जेल प्रशासन के सभी पहलुओं की जांच करने और जेलों के प्रबन्ध और प्रशासन में किस प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं, इस बात की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि इसमें सामान्य सुधार किये जा सकें और यदि इस मामले में अथवा किसी अन्य मामले में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो सरकार इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इन सब बातों की न्यायिक जाँच करवाई जानी चाहिये कि बन्दियों को घातक हथियार कहां कैसे प्राप्त हुए, यह झगड़ा कैसे हुआ आदि। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि इतने अधिक समय तक उनके मुकदमे का निर्णय क्यों नहीं किया गया? उन पर भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया और सजा क्यों नहीं दी गई और उन पर इतना जुल्म क्यों किया गया? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नक्सलवादियों के प्रति सरकार का क्या रवैया है?

श्री रामनिवास मिर्धा : सरकार शीघ्रता से जांच कराने के लिए पग उठा रही है। परन्तु इसमें कई एक कठिनाइयां हैं। गवाह आसानी से नहीं मिलते और सामान्य पुलिस बल कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में संलग्न है। इस समस्या पर विचार करने के बाद हमारा विचार विशेष जांच दल बनाने का है ताकि वह इस तरह के मामलों की अच्छी प्रकार जांच कर सके और मुकदमों के अधिक समय तक चलते रहने की समस्या का कोई हल निकाला जा सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो गई है और जान इतनी सस्ती हो गई है कि यदि आप किसी का सफाया करना चाहते हैं तो उसे नक्सलवादी का नाम देकर आप आसानी से उसका सफाया कर सकते हैं। नक्सलवादी नाम इतना बदनाम हो गया है कि इसका नाम लेकर विरोधियों का बुरी तरह सफाया किया जा रहा है। कितनी बुरी बात है कि जेल में 9 आदमी मार डाले गये और जेल के किसी अधिकारी का बाल बांका नहीं हुआ, न किसी को निलम्बित किया गया, न किसी को उस स्थान से बदला गया। क्या यह न्याय है ? मैं चाहता हूं कि इस विषय में जांच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से न कराकर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए और मृत लोगों के आश्रित माता व पिताओं को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा सभी संबद्ध अधिकारियों को उस स्थान से हटाया जाए अथवा विलम्बित किया जाय ताकि जांच ठीक प्रकार से की जा सके।

श्री राम निवास मिर्धा : उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश द्वारा जांच कराने के मार्ग में ऐसे न्यायाधीश न मिलने की कठिनाई है। इसी कारण हमने उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश को रखना बेहतर समझा है। जहां तक इन लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का सम्बन्ध हैं, वह इस प्रकार के मामले में नहीं दिया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में पूर्वानुसार अनुमान नहीं लगाना चाहता कि उसके निष्कर्षों के अनुसार वे दोषी अथवा निर्दोषी सिद्ध होंगे, किन्तु राजनीतिक कैदी का दर्जा निर्धारित नियमों के आधार पर दिया जाता है।

मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस घटना को गम्भीरता पूर्वक देखती है तथा ऐसी घटनायें भविष्य में न हों। यह सुनिश्चित करने के लिए जेल प्रशासन की जांच की जा रही है।

श्री हरि० ना० मुकर्जी : बंगाल में जैसी स्थिति है और जो घटना वहां हुई है यदि किसी और प्रजातन्त्र देश में हुई होती तो वहाँ की सरकार को 24 घण्टे से अधिक टिकना मुश्किल हो जाता। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि किस प्रकार मजबूत तालों से जकड़े हुये पहरेदारों से सुरक्षित जेल की दो कोठरियों में से आधी रात को 11 कैदी निकल भागे, तथा उनके हाथों में लोहे की छड़े थी उन्होंने सोते हुए वार्डरों को पीटा तथा रसोई की छत पर चढ़कर ईंटे फेंकी इसके बाद गोली चली, लाठीचार्ज हुआ तथा उसमें 11 में से 9 कैदी मारे गये। जेलों में यह सब कैसे होता है। मंत्री महोदय यह जानते होंगे किन्तु पश्चिम बंगाल में इसी प्रकार की 6 अन्य घटनायें और हो चुकी हैं जिनमें कैदियों को जानबूझ कर मार दिया गया है। इनमें से किसी मामले में भी उन्हें गोली मारने का आदेश नहीं, वरन केवल घायल करने का आदेश दिया गया था ताकि वे भाग न पायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार कैदियों के जेल से निकल भागने के 6 मामलों के होने पर इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं। क्या इस सम्बन्ध में आपको जेलों के महानिरीक्षक तथा अन्य जेल अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ऐसी असम्भव घटनायें कैसे घटित हो जाती है। क्या वहां के सरकारी आधिकारियों ने जेल अधिकारियों से पूछताछ की है कि ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं। यदि आपको वे रिपोर्ट मिली है तो जेलों में राजनीतिक कैदियों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये है। एक ओर तो सरकार उनके साथ बातचीत करती है दूसरी ओर उन्हें इस प्रकार मारा जाता है। क्या इस प्रकार सरकार अपने राजनीतिक

विरोधियों को समाप्त करना चहाती है । इस लिये हम इस बात का उत्तर चाहते हैं कि जब तक अदालती जांच की रिपोर्ट नहीं आती, सरकार ने अब तक क्या उपाय किये है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस घटना को उचित ठहराने अथवा उसे कम करके बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ । यह घटना हमारे लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा मैंने अपने कथन में उन्हीं बातों को बताया है जो कि उस रात्रि की घटनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में हैं ।

सरकार ने इस सम्बन्ध में जाँच पड़तालों तथा अन्य रिपोर्टों के आधार पर अनेक उपाय किये हैं । इसके लिये कैदियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करने, उनके सम्बन्ध में छानबीन करने तथा अनेक मामलों को शीघ्र ही निपटाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ताकि उनकी मूल समस्या का हल किया जा सके ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re-question of Privilege

अध्यक्ष महोदय : श्री मौर्य ने नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है । वे इस सम्बन्ध में कुछ समय बोल सकते है ।

Shri B.P. Maurya (Hapur) : While commenting on the proceedings of the House in regard to the starred quesiion No. 1572 dated 4th. August, 1971, A Hindi Daily 'Nav Bharat Times' had in their issue of 6th, August made some derogatory and personal remarks in regard to the proceedings and particularly against me. In brief, the relevant extract from the article is as follows;—

> "It would have sufficed to be an M P., had Goswami Tulsi Das not been there,. Shri B P. Maurya would have been found sewing the Pyjama of some Maulvi free of cost before embracing Buddhism".

It had been a convention that the proceedings of this House should not be reported in a mann·r which is likely to spoil the image of any member. Since this report has against that convention this matter should be referred to the Privileges committee.

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यह टिप्पणी बडी अच्छी तरह पढ़ी है । जो परम्परा और प्रक्रिया हमने अपनाई है उसके अनुसार मैं इसे सम्बन्धित समाचार पत्र को भेजूंगा । तत्पश्चात यदि वह पत्र खेद व्यक्त करेगा तो मैं इसे श्री मौर्य के पास भेज दूंगा । अन्यथा मैं इस मामले को पुनः यहां उठाऊंगा ।

मालदा जिले में बाढ़ की स्थिति के बारे में

Re-Flood situation in Malda D'strict

श्री दिनेश जोरदार : महोदय, मैं सरकार का ध्यान मालदा जिले में आई बाढ़ की ओर

दिलाना चाहता हूँ। उत्तरी बंगाल में माल्दा में पिछले पन्द्रह दिनों से बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लगभग दस लाख व्यक्ति इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और खड़ी फसल वाली दस लाख एकड़ भूमि पानी में डूब गई है। सोलह लोगों की मृत्यु हो गई है तथा सैकड़ों पशु एवं हजारों घर बाढ़ में बह गए हैं। इतने पर भी किसी प्रकार का सहायता कार्य शुरू नहीं किया गया है और न ही लोगों को डूबने से तथा विनाश से बचाने का कोई प्रयत्न किया गया है। मैं चाहता हूँ कि संबंधित मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें और यदि सम्भव हो तो इस समस्या पर पूरी बहस हो। लगता है सरकार इस समस्या के प्रति उपेक्षा बरत रही है। प्रधान मंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ से घिरे क्षेत्रों का दौरा तो किया है किन्तु वह प० बंगाल नहीं गई। मुझे मालूम नहीं कि क्या ऐसा राजनीतिक कारणों से किया गया है। इसी प्रकार, प० बंगाल के 'शासक' श्री सिद्धार्थ शंकर राय भी बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने और संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के स्थान पर प० बंगाल की संघर्षरत जनता के विरुद्ध षडयंत्र रचने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस बारे में अपना वक्तव्य दें। मैं यह भी चाहता हूँ कि बाढ़-पीड़ित लोगों के लिए शीघ्र ही सहायता की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आप को बता दिया है कि हमने इस विषय पर चर्चा करने का निश्चय किया है। Mr. Dinen Bhattacharya, you need not do this. You are resorting to this everyday. मंत्री महोदय इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे और चर्चा वाले दिन इस विषय में अपना वक्तव्य देंगे।

भारत रूस संधि के बारे में चर्चा

Re-Discussion on Indo-Soviet Treaty

श्री पी० के० देव : महोदय, भारत-रूस संधि पर होने वाली बहस को तीन घंटों में ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। इस पर कम-से-कम पांच घंटे का समय दिया जाना चाहिए। नियम 193 के अंतर्गत होने वाली बहस कल या परसों की जा सकती है। यह पूरी सभा का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप के विचार सुन लिए हैं। मैं आप के सुझाव पर विचार करूँगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखी गयी-देखिये सं० एल० टी० 838/71]

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल लिमिटेड, नेपानगर, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखी गयी-देखिये सं० एल० टी० 839/71]

(ख) राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल लिमिटेड, नेपानगर, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) (क) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखी गयी-देखिये सं० एल० टी० 840/71]

(ख) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) (क) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखी गयी-देखिये सं० एल० टी० 841/71]

(ख) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(पांच) (क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखी गयी-देखिये सं० एल० टी० 842/71]

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध के बारे में एम० ओ० 1027 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गयी-देखिये सं० एल० टी० 843/71]

(दो) मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रावेन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता, के प्रबन्धक के बारे में एस० ओ० 1482, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 843/71]

(3) अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम, 1968 की धारा 2क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2917, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य की जनता की कोक ओवन गैस की सप्लाई से या ऐसी सप्लाई के प्रयोजनार्थ कोक ओवन गैस के उत्पादन संग्रहण या पारेशन से संबंधित सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 844/71]

(दो) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2918 में प्रकाशित आदेश, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोक ओवन गैस की जनता को सप्लाई से या ऐसी सप्लाई के प्रयोजनार्थ कोक ओवन गैस के उत्पादन, संग्रहण से या परेषण से सम्बन्धित पश्चिमी बंगाल राज्य की सेवा में किसी हड़ताल का प्रतिषेध किया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 844/71]

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हू ;

(1) वायु निगम नियम, 1954 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एअर इंडिया के वर्ष 1971-72 की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 845/71]

(दो) एअर इंडिया के वर्ष 1969-70 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1970-71 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों का सारांश [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 845/71]

(तीन) इडियन एअरलाइन्स की वर्ष 1971-72 की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 845/71]

(चार) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1969-70 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1970-71 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों का सारांश। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 845/71]

(2) (एक) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 फरवरी 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 238 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल०टी० 846/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 847/71]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मै निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मध्य प्रदेश के देवास जिले में सिक्योरिटी प्रेस के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4455 के 9 जुलाई, 1971 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये एल०टी० सं० 848/71]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1104 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 849/71]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 998, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 850/71]

(दो) जी० एस० आर० 1048, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल०टी० 850/71]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) चौतीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 972 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 851/71]

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पैंतीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 973 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 851/71]

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) छत्तीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 974 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 851/71]

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) सैंतीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 975 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 851/71]

(5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1079 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल०टी० 852/71]

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या 1081 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 852/71]

(6) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1965 की धारा 71 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मैसूर उत्पादन शुल्क (उत्पादन शुल्क) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 132 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक विवरण। [ग्रंथालय में रखी गई-देखिये सं० एल० टी० 853/71]

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) महोदय, मैं श्री के० एल० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात विद्युत बोर्ड, बड़ौदा, के वर्ष 1970-71 के लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति, तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 854/71]

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने तथा उसका हिन्दी संस्करण सभापटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल० टी० 855/71]

(2) (एक) मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर सिंचाई (सुधार अन्शदान और जल-दर उद्ग्रहण) अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मैसूर सिंचाई (जल-दर उद्ग्रहण) (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या पी डब्ल्यू डी 6 एल बी डब्ल्यू 71 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं० एल०टी० 856/71]

(दो) मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर सिंचाई (सुधार अंशदान और जल-दर उद्ग्रहण) अधिनियम 1957 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर (जल-दर उद्ग्रहण) (संशोधन) नियम 1971 को भूतलक्षी प्रभाव सहित बनाए जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये सं०एल०टी० 857/71]

Shri Siddheshwar Prasad : I beg to lay on the table :

(1) (a) A copy each of the following documents under sub-section (4) of section 23 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 :—

(i) Certified Accounts of the Khadi and Village Industries Commission for the year 1967-68 together with the Audit Report thereon. [Placed in the Library-See L.T. 858/71]

(ii) Certified Accounts of the Khadi and Village Industries Commission for the year 1968-69 together with the Audit Report thereon. [Placed in the Library-See L.T. 858/71]

(b) Two statements (Hindi and Enlish versions) explaining the reasons (i) for delay in laying the above Accounts and (ii) for not laying the Hindi versions of the Accounts on the Table simultaneously. [Placed in the Library-See L.T. 859/71]

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री कमल नाथ तिवारी (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूँ :

(1) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) सामान्य समाज कल्याण—सम्बन्धी तीसरा प्रतिवेदन ।

(2) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) सामान्य समाज कल्याण—सम्बन्धी तीसरे प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(3) सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय—फरक्का बांध परियोजना—सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के 124 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छटा प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

दसवां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सुपर बाजार नई दिल्ली के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 के पैराग्राफ 76 के बारे में लोक लेखा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

Committee on Sub-ordinate Legislation

पहला प्रतिवेदन

श्री कादर (बम्बई मध्य दक्षिण) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Tenth Report of the PAC has been presented but Hindi version of none of these reports has been made available. Please bring it to the notice of the concerned officers so that Hindi version of Reports is also made available alongwith English version.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This matter of making available Hindi Reports of the Committee was discussed in the last Lok Sabha also but till this day we have not got the printed Hindi Reports. Last year, we were getting cyclostyled Hindi Reports but this practice too has been stopped.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जाँच करूंगा ।

Shri Ram Sahay Pandey (Raynandgaon) : The reports should be presented in Hindi. This is very important.

फ्लाइंग क्लबों में बढ़े हुए शुल्क के विरुद्ध अभ्यावेदन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement Correcting answer to S. Q. No. 439 re-representation against increased fees in Flying clubs.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 11 जून, 1971 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने बताया था कि 31 मार्च, 1970 तक जिन प्रशिक्षणार्थियों के पास प्रायवेट पायलेट्स लायसेंस तथा 150 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था उन्हें समान्य शर्तों के अन्तर्गत राजसहायता से अधिकाधिक 250 घन्टे तक विमान उड़ाने की अनुमति दे दी गयी। परन्तु सही तारीख 31 मार्च, 1970 न होकर 31 मार्च, 1971 है। यह टंकण सम्बन्धी गलती है और इस पर अत्यधिक खेद है।

पंजाब में बड़े पैमाने की नई परियोजनायें स्थापित करने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1534 पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement correcting answer to Supplementary to S. Q No. 1534 re. setting up of new large scale projects in Punjab.

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : श्री प्रभुदास पटेल और श्री पी० गंगादेव द्वारा 3 अगस्त, 1971 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1534 के बारे में श्री बी० के० दास चौधरी द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये मुझे खेद है कि मैंने अनजाने में यह कह दिया कि पंजाब राज्य में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये मेरे मन्त्रालय को 1970 में 9 तथा 1971 में (30 जून 1971 तक) 10 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। मैं इन आंकड़ो को शुद्ध करना चाहता हूं। मुझे प्राप्त हुयी जानकारी के अनुसार पंजाब में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये मेरे मन्त्रालय को 1970 में 36 और 1971 में 30 जून तक 15 आवेदन- पत्र प्राप्त हुये थे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब राज्य में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये 1970 में तथा 1971 के पहले छः महीनों में विभिन्न पार्टियों को 19 आशय-पत्र और एक लायसेंस जारी किया गया।

यदि सदस्य जानकारी में इस परिवर्तन की ओर ध्यान दें तो मैं आभारी हूंगा।

भारतीय गणतन्त्र तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग की सन्धि के बारे में विदेश मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव

Motion re : Statement of Minister of External Affairs or Indo Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, "कि भारतीय गणतंत्र और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच शान्ति, मित्रता तथा सहयोग संधि के बारे में विदेश मंत्री द्वारा 9 अगस्त, 1971 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि भारतीय गणतंत्र और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग संधि के बारे में विदेश मंत्री द्वारा 9 अगस्त, 1971 को लोग सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, हम सोवियत संघ और भारत के बीच हुई इस सन्धि का स्वागत करते हैं। इस संधि की पृष्ठभूमि यह है कि पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है क्योंकि उसे अमरीकी साम्राज्यवाद से बड़ी मात्रा में आधुनिकतम शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं। बंगला देश में नरसंहार को देखते हुए भी अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देना बन्द नहीं किया है।

हम इस सन्धि के अनुच्छेद 3, 6 और 9 को विशेष महत्व देते हैं। अनुच्छेद 6 में अति अनुगृहीत राष्ट्र के प्रति व्यवहार के आधार पर व्यापार में और विकास करने की व्यवस्था की गई है। हमें आशा है कि इससे हम पश्चिमी शक्तियों पर अपनी निर्भरता के वर्तमान ढांचे को बदलने में समर्थ हो सकेंगे।

संधि के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि महान संविदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी रूपों की निन्दा करते हैं और उन्हें पूर्णतया समाप्त करने के प्रयास के संकल्प में पुनः आस्था प्रकट करते हैं। अनुच्छेद 3 में आगे कहा गया है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सभी देशों की जनता की समुचित आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए महान संविदाकारी दूसरे राज्यों के साथ सहयोग करेंगे।

हमें आशा है कि इस सन्धि के पश्चात् हमारी विदेश नीति में किसी प्रकार का संकोच या अस्थिरता नहीं रहेगी और भारत सरकार दक्षिण वियतनाम की क्रांतिकारी जनवादी सरकार और कम्बोदिया की सिंहानूक सरकार को शीघ्र मान्यता देकर उपनिवेशवाद को समाप्त करने में सहयोग देगी। हम इस बात की भी आशा और मांग करते हैं कि वियतनाम से सभी अमरीकी सैनिक वापिस बुला लिए जायें और वियतनाम की जनता को अपने देश की समस्यायें स्वयं सुलझाने दिया जाये।

यद्यपि कोरिया में हमने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि आज भी हमने दक्षिण कोरिया पर अमरीका के कब्जे को मौन स्वीकृति दे रखी है अमरीकी साम्राज्यवादी कोरिया की एकता में बाधा प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें राजदूत स्तर पर उत्तर कोरिया को पूरी राजनयिक मान्यता देनी चाहिए और दक्षिण कोरिया से अमरीकी सैनिकों की वापसी की मांग करनी चाहिए।

अनुच्छेद 9 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रूस किसी ऐसे देश को शस्त्रास्त्र की सहायता नहीं देगा जिसकी हमारे साथ लड़ाई होगी और हम इस बात का स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि इस अनुच्छेद की शर्तों को ध्यान में रखते हुए याह्याखां भारत पर आक्रमण की धमकियां देना बन्द कर देंगे। हमारे विचार में इससे भारत सरकार द्वारा बंगला देश को शीघ्र मान्यता दिये जाने में सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई है। अतः भारत सरकार को चाहिए कि वह बंगला देश को मान्यता देकर बंगला देश में याह्याखाँ के सैनिक शासन को समाप्त करने में यथासंभव सहायता दे।

यह सन्धि बहुत महत्वपूर्ण है। एक पक्ष के रूप में भारत भी एशिया का एक बहुत बड़ा देश है। हमें इस सन्धि की भावना को ध्यान में रखते हुए एशियाई देशों के साथ अपने सम्बन्धों को अत्यन्त सुदृढ़ बनाना चाहिए। यह बात भी समझ ली जानी चाहिए कि केवल संधियां कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे देश की शक्ति अन्ततः अपनी स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का निर्माण कर उसे सुदृढ़ बनाने पर ही निर्भर करेगी। हमने चीन को दो दशकों में एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित होते हुए देखा है। हम भी अपनी औद्योगिक तथा प्रतिरक्षा क्षमता का विकास कर सकते हैं। यह काम आमूल भूमि सुधार करके एकाधिकार को समाप्त करके और बडे पैमाने पर औद्योगीकरण करके तथा अपने देश के लोगों की गरीबी को दूर करके और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना कर ही किया जा सकता है।

श्री शंकर दयाल शर्मा (भोपाल) : हम इस संधि को अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं किन्तु यह एक ऐसी घटना है जिससे हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि हमने अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति छोड़ दी है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति कभी भी नकारात्मक नीति नहीं रही। यह सर्वदा एक गतिशील नीति रही है जिसे किसी भी परिस्थिति और हालात के अनुसार ढाला जा सकता है। कोई भी देश जो अपने हितों को ध्यान में रखता है कड़ा और स्थिर रवैया नहीं अपना सकता। इस बात को सरकार ने बार-बार दुहराया है और सत्तारूढ़ होने से पहले हमारे दल ने अपने प्रत्येक प्रस्ताव में इसे स्पष्ट किया है।

1928 में हमने स्पष्ट किया था कि हमारी नीति दलित लोगों की सहायता करना, किसी गुट में शामिल न होना तथा शांति को सुदृढ़ करना होगी। विचित्र बात यह है कि गुट निरपेक्ष नीति छोड़ने के लिए वही लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं जो गुट-निरपेक्ष की नीति पर चलने के लिए हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ये लोग दुःखी हो सकते हैं क्यों कि हमने ऐसी नीति नहीं अपनाई है जिससे हमारे हित पूंजीवादी देशों के हितों के अधीन हो जायें।

सारा संसार देख रहा है कि अमरीका के आचरण की सभी वर्गों के भारतीयों ने निन्दा की है। चूंकि वह देश पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दे रहा है, इसलिए भारत ने एक पड़ौसी देश के साथ, जो उपनिवेशवाद को समाप्त करने में और समाजवाद की स्थापना में विश्वास रखता है और जिसने समय-समय पर पददलित लोगों का साथ दिया है और जिसकी नीति हमारी नीति जैसी है, करार करके सही पग उठाया है।

रूस का साथ देने के कारण जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि अधिकांश मामलों में रूस ने हमारा साथ दिया है। ऐसे अवसर आये हैं जब भारत और रूस ने मिलकर एक साथ मत दिया है और मिलकर काम भी किया है। कई मामलों में हमने उत्पीड़ित लोगों का साथ दिया है।

जहां तक बंगला देश की स्थिति का सम्बन्ध है, हमें यह कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए कि यह समूचा सदन और भारत के लोग बंगला देश के लोगों की सहायता करने के लिए वचन-बद्ध हैं जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के लिए और पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं।

कुछ लोगों ने कहा है कि यह एक सैनिक संधि है। ऐसी बात नहीं है। यह सैनिक संधि नहीं है। सैनिक सन्धि में ये खण्ड जोड़ना आवश्यक होता है कि किसी एक देश पर आक्रमण की स्थिति में दूसरा पक्ष स्वतः लड़ाई में उतर आयेगा। इस समझौते में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि आक्रमण या आक्रमण की धमकी की स्थिति में परस्पर विचार-विमर्श किया जाएगा। दोनों देश परस्पर विचार-विमर्श करके प्रभावी कदम उठायेंगे, जिसमें हथियारों की सप्लाई और सहायता के अनेकों अन्य तरीके शामिल होंगे। परन्तु इस सन्धि में दूसरे पक्ष द्वारा स्वतः कार्यवाही किये जाने का कोई उपबन्ध नहीं है जो सैनिक सन्धियों की विशेषता होती है। सामूहिक कमान का भी कोई प्रश्न नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि सोवियत रूस के साथ हमने जो सन्धि की है, वह सैनिक संधि नहीं है।

इस संधि में आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने पर ही बल दिया गया है। सोवियत रूस और समाजवादी देशों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहे हैं और इस सन्धि से उनमें सुधार होगा हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों में भी सुधार होना चाहिए। इस संधि में इस बात का भी उपबंध किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि हमने गुटनिरपेक्षता की नीति छोड़ दी है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति ऐसी नीति है जिससे हमारे राष्ट्रीय हित बड़े देशों के हितों के अधीन नहीं होते। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत के हितों तथा विश्व शांति का ध्यान रखेंगे। हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति का यही लक्ष्य है। हमने ऐसे समय पर सन्धि की है जबकि भारत को याह्याखां धमकी दे रहे थे। यह याह्याखां तथा उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इन मामलों में पाकिस्तान को उत्तेजित कर रहे हैं। इस दृष्टि से सन्धि का स्वागत किया जाना चाहिए।

हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सन्धि किसी देश के विरुद्ध नहीं है। हम अपने संबंध किसी भी स्थिति में किसी देश से तोड़ना नहीं चाहते। अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ने

का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में इन सम्बन्धों में सुधार होना चाहिए। वास्तव में श्री निक्सन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि अमरीका की जनता वहीं की सरकार की नीति से सहमत नहीं है। हमें आशा है कि इस सन्धि का गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप श्री निक्सन अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनायगे और वह पाकिस्तान की ओर झुकने की अपनी प्रवृत्ति को बदलेंगे।

अन्ततः मैं सरकार को इस निर्णय पर बधाई देता हूं और आशा करता हूँ कि ऐसी संधियां विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, जो हमारा ध्येय है। अन्य देशों के साथ भी की जायेंगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, भारत तथा रूस के बीच शांति मित्रता और सहयोग की संधि, जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। आज के इतिहास में युगान्तरकारी घटना है।

रूस बहुत समय से हमारा मित्र है और वह समय समय पर भारत की सहायता करता रहा है। स्वाधीनता के पश्चात् धनी देश चाहते थे कि हम पिछड़े रहे। ऐसी स्थिति में रूस तथा अन्य समाजवादी देशों ने हमें आर्थिक सहायता दी जिससे हम अपने आर्थिक ढांचे के मूल पहलुओं को सुदृढ़ बना सके हैं। सोवियत संघ सदैव भारत को स्वतन्त्र देखना चाहता हैं और वह यह भी चाहता है कि भारत निरन्तर प्रगति करे। रूस की रूचि यह सुनिश्चित करने में है कि भारत इस ढंग से विकास करे कि विश्व के इस भाग में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो। अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में सोवियत संघ की सहायता करना स्वाभाविक ही है।

सोवियत संघ एक ऐसा देश है जिसने संकट के समय हमारी सहायता की है। रूस ने काश्मीर, गोआ और अन्य मामलों में हमारी सहायता की है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में जब कभी बड़ी बड़ी शक्तियों द्वारा निहित स्वार्थों से हम पर संकट लाया गया तो सोवियत संघ ने हमारी सहायता की। सोवियत संघ ही एक ऐसा देश है जो हमारी सहायता के लिए आगे आया।

इस अनाक्रमण की संधि मैं यह आश्वासन दिया गया है कि आक्रमण होने या आक्रमण की धमकी दिये जाने पर अपने देशों की सुरक्षा तथा शांति सुनिश्चित करने और इस प्रकार की धमकी का सामना करने हेतु समुचित तथा प्रभावशाली कदम उठाने के लिए संविदाकारी पक्ष तत्काल परस्पर विचार-विमर्श करेंगे।

हमने देखा है कि साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमरीका हर सम्भव सरीके से हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अमरीका हमारा मित्र होने की बात कहता है परन्तु पाकिस्तान को सहायता पहुँचाता है जिसका प्रयोग बंगला देश के लोगों की स्वाधीन होने की इच्छा को दबाने के लिए किया जाता है जबकि हमने इस संसद में बंगला देश के लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति प्रकट की हैं। याहया खां द्वारा बंगला देश की जनता पर अत्याचार किये जाने के बावजूद भी अमरीका तथा ब्रिटेन ने बंगला देश में आन्दोलन को सहायता पहुंचाने हेतु कुछ नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने पाकिस्तान के क्रूर शासको को सहायता दी जो न केवल हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही खतरा हैं अपितु समूची सभ्यता को कलंकित कर रहे हैं।

वियतनाम गण राज्य के मामले में अब और अधिक हिचकिचाहट नहीं की जानी चाहिए। दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को मान्यता देने के, जो ठीक भी है। मामले पर अब और अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणतंत्र को मान्यता देने के प्रश्न में, पूर्ण रूप से राजनयिक मान्यता देने और वर्तमान वाणिज्य दूतावास के दर्जे को बढ़ाकर उसे दूतावास का दर्जा देने के मामले में भी अब और कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि हमारे भी मित्र हैं। मंत्री महोदय जानते थे कि हमें केवल समाजवादी देशों से सहायता मिल सकती है। हम अपने देश में समाजवाद लाना चाहते है और रूस का केवल यह हित है कि हम इस दिशा में अग्रसर हों। इसी लिए रूस हमारी सहायता करना चाहता है। रूस तथा अन्य समाजवादी देशों ने अपने राजनीतिक, सैनिक आर्थिक,राजनयिक आचार से तथा अर्न्तराष्ट्रीय मंचों एवं अन्य स्थानों पर यह दिखा दिया है कि वे हमारे मित्र हैं शांति मित्रता तथा सहयोग की इस संधि में यही भावना निहित है तथा यह नीति हमारी गुट — निरपेक्षता की नीति के अनुरूप है। अत: इस संधि का स्वागत किया जाना चाहिए।

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसके लिये हमें सतत प्रयत्न करने होंगे तभी हमारा स्वप्न साकार हो सकता है और इस दिशा में हम कुछ कदम उठा भी रहे हैं। मुझे खुशी है कि सरकार ने कोई तो कार्य ऐसा किया जिसमें हमें खुशी मनाने का अवसर मिला और अब मैं चाहता हूं कि इस चीज को बनाये रखा जाय और ऐसी कोई चीज न की जाय जिससे हमारी इन खुशियों में बाधा उत्पन्न हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री केशव देव मालवीय (डुमरिया गंज): इस दस्तावेज के, जिस पर कल दस्तखत हुए हैं, प्रायः प्रत्येक पृष्ठ एक शान्ति के प्रत्येक पहलू, शान्ति की आवश्यकता और न केवल हमारे दो देशों के बीच सहयोग के लिए अपितु समूचे संसार की शांति के लिये पुनः जोर दिया गया है। इस दस्तावेज द्वारा शान्ति के प्रति पुनः निष्ठा व्यक्त की गई है। अतः हमने जो कुछ बंगला देश के मामले में किया है, वह व्यवहारिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु आदर्श और औचित्य न्यायोचित है। अत: देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए यह जानना आवश्यक है कि भारत सरकार को हमारे लाखों लोगों का समर्थन मिला है और यह बात कल ही देखी गई है।

हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन सभी आदर्शों का समर्थन करें जिनका पिछली कई दशाब्दियों से हम समर्थन करते आ रहे हैं। हमारी जनता ने स्वयं बंगला देश के समर्थन के लिए अग्रसर होने के लिए हमारी सरकार का समर्थन किया है। किन्तु यह संधि उससे भी एक कदम आगे हैं। यह आदेशों के लिये चेतावनी है जो प्रगतिशील देशों के हितों के विरुद्ध गुप्त रूप से कार्य करना चाहते हैं।

इस संधि में आगे बढ़ने के लिए तथा हमारे महाद्वीप के उन देशों के साथ समझौता करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है जो इसमें सहयोग देना चाहते हैं। अर्थात जो स्वयं शांति सहयोग और सुरक्षा चाहते हैं।

भारत ग्राज उन महत्वपूर्ण देशों की स्थिति में आ गया जब लेटिन अमरीका, अफ्रीका ग्रौर एशिया के विकासशील देशों के लोग चाहते कि भारत उनका पथ पदर्शन करे। इस बात को देखते हुए राजनैतिक दलों को दोबारा समझने का प्रयत्न करना चाहिये। दस्तावेज में हमारे दोनों देशों के शांति और सहयोग और दृढ़ता के मूलभूत पहलू को दोहराया गया है और उन पर बल दिया गया है।

हमने गुट निरपेक्ष होने के बावजूद कोरिया सम्बन्धी समिति में भारतीय प्रतिनिधि को सभापति का यह पद संभालने के लिये भेजा जो इस बात का द्योतक है कि स्वयं अपने हित में तथा सामान्य हित में, यदि हम चाहें, तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। एशिया, अफ्रीका ग्रौर लेटिन अमरीका के देश आपस में भाईचारा चाहते हैं और हम अपनी अर्थ व्यवस्था और अपनी राष्ट्रीय एकता के हित में शांति चाहते हैं।

स्थिति यह है कि हमारे पड़ोसी देश की स्वतंत्रता संकट में हैं, बंगला देश के विनाश का खतरा पैदा हो गया है। अतः यह देखना हमारा कर्तव्य है कि अपने राष्ट्रीय हित के साथ साथ सभी देशों का, जिनका शोषण हो रहा है स्वतंत्रता, शांति, सुरक्षा के हित में उनका समर्थन करें।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : यह संधि जिस पर कल हस्ताक्षर हुए हैं, संसार के देशों के बीच पारस्परिक सद्भाव की द्योतक है। इससे परस्पर विश्वास प्रकट होता है, जो हमें एक दूसरे में है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के, विशेषकर संसार के इस भाग में व्याप्त स्थिति का पारस्परिक मूल्यांकन स्पष्ट हो जाता है। इससे हमने नये युग में प्रवेश किया है और इससे भारतीय सोवियत मित्रता और भी दृढ़ हुई है। इस संधि का अभिप्राय लड़ाकूपन रवैया दिखाना नहीं है। इसके विपरीत इसका वास्तविक उद्देश्य शाँति कायम करना है। यह किसी देश के विरुद्ध नहीं है।

मेरे विचार से संधि की जो 20 वर्ष की अवधि रखी गई है, वह बहुत ज्यादा है। इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए। इस संधि का तात्पर्य यह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका हमेशा के लिये नजर अन्दाज हो गया। परन्तु पेंटागन में ऐसे कुचक्र चल रहे हैं जो सभी तरह की संधियों के विरुद्ध हैं। यदि हमारे राजनायिक कुछ इस प्रकार से कार्य करें जिससे संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भी इसी प्रकार की संधि हो सके तो और भी अच्छा है।

समूचे दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्र में यदि किसी देश को अग्रणी माना जा सकता है, तो वह भारत है। भारत सरकार के लिए यह बहुत उत्तम अवसर है कि वह विश्व के इस भाग के इन देशों के साथ इस तरह के संबंध स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाये।

मैं मानता हूँ कि इस संधि पर हस्ताक्षर होने के पूर्व सोवियत रूस ने हमारी सीमाओं और हमारी क्षेत्रीय अखण्डता को पहले ही स्वीकार कर लिया था और इसके बदले में हमने सोवियत रूस की क्षेत्रीय अखण्डता को स्वीकार किया था। मेरा विदेश मंत्री से यह अनुरोध है कि वह यह स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या सोवियत रूस ने हमें स्पष्ट आश्वासन दिया है और यह स्वीकार किया है कि वह हमारे राज्य क्षेत्र को मान्यता देता है और इस आधार पर क्या वह वहां पूर्व प्रकाशित मानचित्रों में परिवर्तन करने के लिये तत्पर है।

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद) : भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मामले में सोवियत संघ ही ऐसा एक मात्र देश था जिसने चीन को चेतावनी दी थी कि जिसके फलस्वरूप चीनियों ने अपनी फौजों को हटाया था। भारत को सोवियत संघ द्वारा समर्थन प्राप्त होने के कारण ही चीनी सोवियत विवाद पैदा हुआ था। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भाई और मित्र के बीच एक को चुनने की स्थिति उत्पन्न होने पर सोवियत संघ ने भारत को (मित्र को) ही चुना था और चीन का परित्याग किया था।

बंगला देश में इतिहास का सबसे बड़ा पाप हो रहा है। अमरीकी और चीनी आपस में मिल बैठे हैं और यदि हम चुप रह जाते और यदि भारत सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही न करती तो यही लोग यह कहते कि भारत मित्रविहीन है।

भारत सोवियत मित्रता स्वतंत्रता पूर्व समय से चली आ रही है, और यही कारण था कि सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले में हमारा समर्थन किया था। यही कारण था कि चीन के साथ सीमा का जो विवाद उठा था उस बारे में हमें सोवियत समर्थन मिला था। इसी मित्रता के कारण ही भारत में सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए सोवियत संघ ने हमारी पूरी-पूरी सहायता की।

गुट निर्पेक्षता की नीति के कारण हमें हथियार प्राप्त नहीं हो सकते थे और दुर्लभ विदेशी मुद्रा देने की स्थिति में हम नहीं थे, उस समय सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया। उसने हमें सब प्रकार की जानकारी दी जिससे भारत में कारखाने स्थापित किये जा सके। सोवियत संघ ने सुरक्षा के मामले में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए विमान बनाने के कारखाने तथा अन्य कारखाने बनाने में सहायता दी है अगस्त क्रांति का सबसे महान दिन कल था जबकि इस सन्धि पर हमारे और सोवियत संघ के हस्ताक्षर हुये। जिससे हमने विश्व को बता दिया कि भारत अब अकेला नहीं है।

हमारे विदेश मन्त्री ने हमारी वैदेशिक नीति का इतनी कुशलता से संचालन किया है कि इससे भारत-सोवियत मैत्री और प्रगाढ़ हो गई है किन्तु इसको किसी प्रकार की चुनौती नहीं समझना चाहिये। यह गुट-निर्पेक्षता की सीमा में है। यह एक शान्ति संधि है, इसका उद्देश्य विश्व में शान्ति बढ़ाना है।

मैं चाहता हूँ कि जर्मन जनवादी गणराज्य को मान्यता दी जानी चाहिए। हमें डालर साम्राज्यवाद अथवा पश्चिमी साम्राज्यवाद के, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी विदेश नीति पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है, प्रभाव में नहीं आना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the treaty of peace, friendship and cooperation between India and the Soviet Union, because this Treaty provides us with a friend who will stand by us in times of need. We need friends and comrades who can be with us in difficut times. We are not self-sufficient. Even after twenty three years of Independence we have not been able to stand on our own feet. To-day even big powers of the world like America and Russia are in need of friends. So this Treaty, if it really gives us a true friend, should be welcomed by all sections of the House.

I welcome this Treaty also because this may prove to be a deterrent to Pakistan's aggressive designs against Iudia. By signing this Treaty India has given a befitting reply to the empty threats of Islamabad.

This treaty may become effective in discouraging China from playing a mischevious role in any future confrontation between India and Pakistan.

I welcome this Treaty also because Article I of the Treaty provides that "each party shall respect the indpendence, sovereignty and territorial integrity of other party and refrain from interfering in the other's internal affairs". This has always been said but inspite of this in the past there had been instances when the Soviet Union interfered in the internal affairs of our country. Just now our friend Shri Manoharan has made a reference to the maps published by Soviet Union in which certain parts of our territory have been shown as part of China. Despite the fact that Indian Government had pointed out this mistake to the Soviet Union Government, these maps were niether rectified nor withdrawn. It is hoped that in view of this Treaty the Soviet Union will withdraw the old maps and rectify the mistakes in the future maps. It is also hoped that Moscow Radio or Radio Peace and Progress will not in any manner interfere in our internal matters in future. It has been provided in the Treaty that, "Each high contracting party undertakes to abstain from providing any assistance to any third party that engages in armed conflict with the other party."

Soviet Union had supplied arms to Pakistan even though the Soviet Government were aware of the fact that Pakistan will be using those arms against India. Even to-day there is a state of armed conflict between India and Pakistan. The Foreign Minister should clarify whether the Soviet Union recognised that there is a state of armed conflict between India and Pakistan. Will the Soviet Union not give any arm assistance to Pakistan in future ?

Mr. Deputy Speaker, Sir, it is being discussed here since yesterday whether this Treaty comes within the framework of non-alignment. The foreign Minister has recognised that there is scope for adjustment of policies according to changing circomstances within the frame-work of non-alignmemt. I have no objection if our Government talks of non-alignment. But I would like to say that non-alignment is a policy not a principle, it is a means to an end and not an end in itself; and that the policy of non-alignment is for the country and the country is not for non-alignment.

Mr. Deputy Speaker, Sir, the situation in the world is changing very fast The foreign policy is no longer decided on the basis of ideologies, but on the basis of naked self-interest Even China and America, which are ideologically poles apart are coming closer One point of Pindi-Peking-Washington triangle is pointed towards Moscow and the other towards New Delhi. Naturally India and the Soviet Union had to come closer, But we should not forget that it is not only we who needed Russian friendship, Russia also is in need of our friendship. Our frienship with any country should be based on equality. We do not want to become mere satellites of any country.

Some points arise after this Treaty. I would like that the Foreign Minister should clerify all those points. The Minister should clarify whether this Treaty prevented India from taking any unilateral action on the Bangala Desh question, The Foreign Minister of Russia still talks of political solution of the Bangla Desh issue. The Military rulers of Pakistan are holding a trial of Shekh Mujib-ur-Rehman and Pakistan's President has divested a large number of the National Assembly Members from membership. Thus he has closed the doors of a political settlement. The Minister should clarify as to what is the idea of the Russian Minister when he talks of political solution.

It also needs clarification whether this Treaty will not prevent our country from manufacturing atom-bomb, if we chose to do so. 7th. article of the Treaty speaks of expanding economic, scientific and technological co-operation between the two countries. Will it mean flooding of our country with Soviet experts in these fields ? Can we have co-operation of other countries also in these spheres ?

We cannot deny that this Treaty would be of assistance to us. But this Treaty will be beneficia, only if we continued our efforts to be self-reliant and if we become complacent then this Treaty would be detrimental to our national interest.

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार तथा सोवियत संघ की सरकार के बीच हुई सन्धि का मसौदा सभा के समक्ष है। हमारे माननीय विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया है जिसका उद्देश्य संसद को जानकारी देना है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य आम जनता को भी जानकारी देना है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K.N. Tiwari *in the Chair*]

भारत तथा सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि है। परन्तु आज सुबह जब मैंने समाचार पत्रों में इस सन्धि के बारे में पढ़ा जिसे भारत तथा सोवियत संघ के बीच सुरक्षा सन्धि का नाम दिया गया था, तो मैं काफी चिन्तित हो उठा और अवश्य ही विदेश मंत्री को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि हमारे देश के लगभग सभी समाचार पत्रों में 5 कोलमों में मोटे मोटे अक्षरों में भारत तथा सोवियत संघ के बीच हुई सन्धि को सुरक्षा सन्धि का नाम दिया गया।

विदेश मंत्री ने कहा है कि यह सन्धि भारत की विदेश नीति के निर्माण में एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासक घटना से उनका तात्पर्य उस गन्तव्य स्थान से है, जहां हम 20-30 वर्ष की यात्रा करने के पश्चात पहुँचे हैं, जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता से पहले की अवधि भी शामिल हैं। भारत की जतना ने अपने आन्दोलन के द्वारा सोवियत क्रान्ति तथा जारके साम्राज्य के पतन का स्वागत किया था। इसके साथ साथ उसी समय साम्राज्यवाद का त्याग करने तथा समुदायों एवं राष्ट्रों की समानता उद्योषित करने की कार्यवाही का भी स्वागत किया गया था। अतः यदि इस सन्धि को एक दम अचानक होने वाली घटना और हमारी विदेश नीति में परिवर्तन माना जाये तो सम्भवतः इसका अर्थ यह होगा कि हमें स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं है।

मेरा यह अनुरोध है कि इस स्थिति को ठीक से समझने के लिये हर प्रयत्न किया जाना चाहिये। यदि विदेश मंत्री स्वयं इस सन्धि के मसौदे को पढ़कर सुनाएं तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि उनके अधिकारी गण जनता को इस प्रश्न पर ठीक ठीक स्थिति से अवगत करा सकेंगे।

सोवित संघ तथा भारत के बीच स्थापित हुए मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हमारे द्वारा स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात अपनाए गये रवैये तथा भारत सरकार द्वारा विश्व शान्ति बनाए रखने के लिए किए गए प्रयत्नों का ही परिणाम हैं। इस अवधि के अधिकांश समय हमें सोवियत संघ से सबसे सहयोग प्राप्त हुआ है जो कि समानता पर आधारित था। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हम कभी भी

सोवियत संघ के आश्रित देश नहीं रहे हैं। सभी यह जानते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति ने युद्ध को कभी समर्थन नहीं दिया है और न ही सैनिक सन्धियों में शामिल हुई है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि हमारी विदेश नीति स्वतन्त्र रही है। भारत और सोवियत संघ के बीच यह जो सन्धि हुई है उससे हम गुट निरपेक्षता की नीति से अलग नहीं हो गए हैं। इस सन्धि के द्वारा हमें कम से कम एक मित्र अवश्य मिल गया है।

भारत सरकार तथा सोवियत संघ की सरकार के मध्य हुई सन्धि में यह कहा गया है कि दोनों देश निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियन्त्रण आदि के लिए वचनबद्ध हैं। भारत ने इस सन्धि पर इसी आधार पर हस्ताक्षर किये हैं कि शायद इससे यह संकेत मिला हो कि वह अब इस भ्रांति से निकला है कि वह अब अकेले नहीं है यह भी संकेत हो सकता है कि वैज्ञानिक विकास के मामले में विशेषकर इलेक्ट्रानिक संचार के क्षेत्र में हम विश्व के किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने यह शंका उठाई है कि क्या सोवियत संघ भारत की क्षेत्रीय अखण्डता का मान करेगा ? सोवियत संघ ने न केवल मास्को में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में यह बार-बार कहा है कि वह भारत की सीमाओं का पूरा पूरा सम्मान करता है। काश्मीर के सम्बन्ध में उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ है कि काश्मीर किसका है। अर्थात् उन्होंने इस समस्या या प्रश्न को प्रश्न माना ही नहीं कि काश्मीर किसका है वे तो यह मानते हैं कि यह प्रश्न है ही नहीं। इसीलिए वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते। दुर्भाग्यवश कारण चाहे जो हो काश्मीर का हमारा आधा क्षेत्र दूसरे के कब्जे में है। यह एक दूसरी बात है इसलिए इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ न कहा जाना ही उचित होगा।

मेरा यह अनुरोध है कि इस संधि की भी वही स्थिति नहीं होनी चाहिए जो कि आर्थिक और सांस्कृतिक संधियों के उपबन्धों की हुई। इस सन्धि के उपबन्धों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। निःशस्त्रीकरण नीतियों के विकास में और आंतरिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए इस ढंग से अधिक चर्चा की जानी चाहिए तथा उसमें भाग लिया जाना चाहिए जिससे यह किसी और मार्ग की ओर न जा सके। हमारे लिए परमाणु-प्रसार निषेध संधि के बारे में तर्क करना पर्याप्त नहीं है। परमाणु प्रसार निषेध संधि पर यद्यपि हस्ताक्षर भी किये जा चुके हैं, फिर भी यह निरस्त्रीकरण की दिशा में केवल एक कदम मात्र है। किन्तु इस सन्धि को वह स्वरूप नहीं दिया जा रहा है जो हम इसे देना चाहते हैं। इसके लिए काफी हद तक हम ही दोषी हैं। 1962 से 18 राष्ट्रों के आयोग तथा, सम्मेलनों में हमने अपने विचार खोल कर नहीं रखे तथा हमने इस सम्बन्ध में चर्चा अमरीका और सोवियत संघ पर छोड़ दी। और उन्होंने अपने अनुसार ही इसको स्वरूप दिया। इस नई घटना को देखते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम कोई ऐसा प्रबन्ध करा सकते हैं जिससे परमाणु प्रसार निषेध की दिशा में हम भी अपना कुछ सहयोग दे सकें।

मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण है कि हम इस सन्धि को इस रूप में प्रस्तुत न करें कि यह केवल पाकिस्तान-चीन-अमरीका के गठबंधन की केवल एक प्रतिक्रिया है अथवा इसमें किसी को ऐसा निष्कर्ष निकालने दें कि यह पूर्णतया एक गठबंधन मात्र ही है। प्रधान मन्त्री तथा विदेश मंत्री

ने कहा है कि हमने सोवियत संघ के साथ जो संधि की है उससे हमारी किसी अन्य राष्ट्र के साथ मित्रता करने में कोई बाधा नहीं पहुंचती । वास्तव में जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इससे सम्भवतः हमें आगे इस प्रकार के सम्बन्धों को दूसरे देशों के साथ भी बढ़ाने में सहायता मिलेगी । यह भी कहा गया है कि संधि के लिए यह उचित अवसर नहीं है । यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है । इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने में और अधिक देर नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि हमारी सीमाओं पर इस समय बहुत गड़बड़ चल रही है ।

इस सन्धि से हमारी प्रभुत्व सम्पन्नता पर किसी भी तरह आंच नहीं आती । बंगला देश को मान्यता देने न देने या जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता देने का अधिकार आदि प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार हैं । अतः इस प्रकार का कोई भी सुझाव कि इस सन्धि से बंगला देश या जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य को अथवा उत्तरी वियतनाम को मान्यता देने की हमारी स्वतन्त्रता में बाधा पड़ेगी, निराधार है और वैध नहीं है । यह सन्धि पारस्परिक आत्म सम्मान और आत्म हित पर आधारित दो समान साथियों के बीच हुई संधि है । आशा है कि इस सन्धि से न केवल इन दो देशों के बीच बल्कि सभी देशों में साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें शक्ति भी प्राप्त होगी, क्योंकि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है, तब तक भारत अथवा संसार के किसी अन्य भाग में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की कुछ भी गुंजाइश नहीं है ।

श्री बलीराम भगत (शाहबाद) : कल का दिन देश के लिये एक महान उपलब्धि का दिन था । सम्पूर्ण राष्ट्र एक मत से इस सन्धि का समर्थन करता है ।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जब इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का विशलेषण किया तो अनेक विचार उनके दिमाग में आये लेकिन मेरे विचार में इस सन्धि को, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखना तथा हमारी विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास समझना ही उचित होगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति और उसके बाद भी सभी देशों के साथ हमारे शांति और मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रहे हैं और इसी शांति, मैत्री और सहयोग की नीति के कारण सोवियत संघ से हमारे सम्बन्ध और अधिक अच्छे हुए हैं । सोवियत संघ से हमारे सम्बन्ध तब से ही अच्छे होने लगे थे जब कि पंडित जवाहर लाल नेहरु और श्री खुरश्चेव ने शांति सम्बन्धी नीति का निरुपण किया था । इस अवधि के दौरान विश्व में जितने भी संकट आये चाहे वे आर्थिक रहे हों, वैज्ञानिक रहे हों अथवा वाणिज्यक क्षेत्र में हों, दोनों देशों का उद्देश्य और दृष्टिकोण समान रहा है । इस कारण भी यह सन्धि अधिक उपयोगी है । ऐसे समय में जब कि सीमा पर बंगला देश की स्थिति को तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की धमकियों को देखते हुए यह सन्धि और भी महत्वपूर्ण है । और आधारभूत बात यह है कि दोनों देशों ने पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सहयोग, मैत्री और समानता के आधार पर अपने सम्बन्धों का विकास किया है ।

मेरे विचार में विदेश मंत्री का यह कहना ठीक है कि यह एक आदर्श सन्धि है जिसका कि अन्य देशों को अनुसरण करना चाहिए । ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कि सोवियत संघ और भारत ने विश्व की समस्याओं को शांति और सहयोग से हल करने की चेष्टा न की हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोकतन्त्रात्मक प्रणाली है। लेकिन मेरे विचार में वहां कोई अधिकृत प्रणाली नहीं है। इसी कारण वहां के लोगों में बंगला देश अथवा वियतनाम और अन्य आधारभूत मामलों में मतैक्य नहीं है। एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों में अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति असफल रही है। प्रत्येक देश की सरकार का यह अधिकार है कि वह स्वयं को स्थायी बनाये तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये और अपने राष्ट्रीय हित के लिए किसी महाशक्ति के दबाव में न आये।

संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में अपने राष्ट्रीय हितों का विस्तार चाहता है और यही कारण है कि स्थायित्व का प्रचार करने के बाद भी वह कोरिया में स्थिरता नहीं ला पाया और वियतनाम के मामले में ही उसने भूल की जिसके फलस्वरूप वह अभी तक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा है।

बंगला के देश मामले में भी अमरीका ने वही गलत नीति अपनाई है क्योंकि वह मामले के महत्व पर विचार नहीं करता तथा जनता द्वारा व्यक्त सर्वसम्मत राय को न समझते हुए भी उसका विचार है कि रावलपिण्डी को अपनी सार्वभौमिक स्थिरता बनाये रखनी चाहिए।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि गुट-निरपेक्षता धर्म नहीं है। जिस गुट निरपेक्षता का हम अनुसरण कर रहे हैं वह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू है।

इस सन्धि को अनुच्छेदवार देखने से पता चलता है कि हमारी विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलू, अनुच्छेद-एक-राष्ट्रों की एकता और पारस्परिक सद्भाव, अनुच्छेद दो पूर्ण निरशस्त्रीकरण में दिए गए हैं। हमारी नीति है कि विश्व में युद्ध न होने पाये तथा परमाणु और परम्परागत दोनों किस्म के हथियारों का पूर्ण निशस्त्रीकरण किया जाए। उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद अथवा जातिवाद के हम विरोधी हैं। हमारी नीतिके इस महत्वपूर्ण पहलू को अनुच्छेद तीन में रखा गया है। मित्रता और शांतिपूर्ण सहयोग तथा समस्याओं को शाँतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा हल करने की नीति श्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा बनाई गई थी और पिछले 20 वर्षों से हम इसी पर चलते आ रहे हैं। यदि हम कहें कि अब तक हमारा कोई मित्र नहीं था और अब हमें इस सन्धि के द्वारा मित्र मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी नीति के बुनियादी सिद्धान्त को नहीं समझे हैं।

यही भी कहा गया है कि सोवियत संघ सभी देशों के साथ इस प्रकार की सन्धि कर रहा है इस लिये यह कोई नई चीज नहीं है। लेकिन सोवियत संघ ने जो अन्य देशों के साथ सन्धि की है वे भिन्न प्रकार की हैं। हमने भी कई देशों के साथ सन्धियां की हैं और यह पहली घटना नहीं है जबकि हमने सन्धि पर हस्ताक्षर किये हों। लेकिन दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस सन्धि का हमारी विदेश नीति में ऐतिहासिक महत्व है। हम एशिया में शांति चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि इस क्षेत्र के देशों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करके ही शांति स्थापित की जा सकती है। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था और स्वतंत्र आर्थिक नीति के कारण ही अन्य देशों को प्रभावित कर सकता है।

हम किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते और न ही अधि-शक्ति अर्जित करना चाहते हैं

और न किसी के प्रभाव में रहना चाहते हैं। हम चाहतेहैं कि जब भी एशियामें कोई समस्या उत्पन्न हो प्रत्येक देश को बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के स्वेच्छा से उसको हल करने की स्वतन्त्रता हो। यही एक रास्ता है जिससे एशिया में शांति और स्थिरता बनाये रखी जा सकती है।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ जो सन्धि की गई थी वह उसके राष्ट्र हित में थी। हमारी सन्धि उससे तनिक भिन्न है। संयुक्त अरब गणराज्य से हुई सन्धि के पैरा 8 में बताया गया है कि दोनों देश समुचित करार के आधार पर आपस में सैनिक सहयोग बढ़ाते रहेंगे। जिसमें संयुक्त अरब गणराज्य के सैनिकों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें भेजे गए हथियारों के सम्बन्ध में जानकारी देना भी सम्मिलित है। जबकि इस सन्धि के अनुच्छेद नौ में बताया गया है कि "प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह किसी तीसरे पक्ष को, जो महान संविदाकारी पक्ष के दूसरे पक्ष के विरुद्ध स .स्त्र संघर्ष में लगा हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। दोनों में किसी पर आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान संविदाकारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाये तथा दोनों देशों की शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाये जायें।" अतः दोनों का अन्तर स्पष्ट है। यह सन्धि पारस्परिक सुरक्षा से सम्बन्धित है सैनिक गुट से नहीं तथा इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ रहे हैं। मेरे विचारों में सोवियत संघ के साथ हमारी इस संधि से पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश की धमकियां रुक जायेंगी। अतः इस सन्धि से शाँति स्थापित करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सरकार जिन विकट स्थितियों का सामना कर रही थी उनको देखते हुए संधि का निर्णय लेना बहुत अच्छा था, इसलिए मेरी पार्टी इसका स्वागत करती है। इस संधि पर 9 अगस्त, के दिन हस्ताक्षर किये गये हैं। 9 अगस्त, 1942 के दिन हमने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को देश छोड़ने के लिये कहा था और आज हम रूसियों का स्वागत कर रहे हैं।

यह संधि सामान्य परिस्थितियों में नहीं की गई है। बल्कि, यह पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न स्थिति तथा अमेरिका और चीन द्वारा उसकी मदद किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है। कई बार समस्याओं को देखते हुए ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जिन्हें आमतौर पर सामान्य स्थिति में नहीं उठाया जाता है। मैं इस सभा का ध्यान, जून, 1942 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विन्सटन चर्चिल द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होने कहा था कि जो भी नाजियों के विरुद्ध लड़ेगा उसे हम सहायता देंगे और जो भी व्यक्ति अथवा राज्य हिटलर की मदद करेगा वह हमारा शत्रु है। हमें विश्वास है कि इस संधि से हमारी गुट-निरपेक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम गुट निरपेक्षता के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। भारत, पिछली दो दशाब्दियों में गुट-निरपेक्षता में अग्रणी रहा है और इसमें ही हमारी स्वतंत्रता का महत्व है।

देश में गणतन्त्रात्मक नियोजन और विदेश में गुट-निरपेक्षता के सम्बन्ध में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1962 में चीन के आक्रमण के बाद कहा था कि यह किसी प्रेरणा से उत्पन्न नहीं होती

अपितु यह हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारी विचारधाराओं में और राष्ट्र की आधारभूत आवश्यकताओं में निहित है तथा किसी गुट के साथ मिल जाने से हम अपनी विचारधारा को गंवा देते है। यदि हम किसी गुट में सम्मिलित होते हैं तो हमारा अपना कोई महत्व नहीं रहेगा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं भी इस बात पर जोर दिया था कि जो देश गुट-निरपेक्षता की बातें कहता है वह गुट निरपेक्ष नहीं रह सकता। गुट-निरपेक्षता का अर्थ राष्ट्र हितों को ध्यान में न रखना नहीं है अपितु वह बहुत जरूरी है। इसी कारण हमने इस नीति को चुना है।

देश कुछ परीक्षणों द्वारा इस संधि की जांच करेगा और पहली परीक्षा यह होगी कि रूस से भारत को कितनी वस्तुएं भेजी जाती हैं। दूसरी परीक्षा यह होगी कि बंगला देश की समस्या में क्या हमें सन्तोषपूर्ण ढंग से मदद मिलती है, और यह ही वास्तविक परीक्षा होगी।

दीर्घकालीन परीक्षा जो मेरे दिमाग में है वह यह होगी कि क्या रूस भारत को स्वतंत्र रूप से शक्तिसम्पन्न देश बनाये रखना चाहता है अथवा उसे अपने में मिला देना चाहता है। यह कहना ठीक नहीं कि संकट की स्थिति को देखते हुये सुरक्षा के लिए हमने यह संधि की है। भारत किसी से सुरक्षा नहीं चाहता अपितु अपना रक्षक वह स्वयं है। हम दूसरों पर निर्भर रहने के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते।

इस संधि का दूसरा पहलू यह है कि एशिया की शक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम एशिया में दो महा शक्तियों के बीच संघर्ष को टालने की कोशिश में रहे हैं। भारत का सदैव से यही प्रयत्न रहा है कि एशिया युद्ध भूमि न बने। इसलिए हमें इस संधि को बड़ी सावधानी से देखना होगा।

मुझे दुख है कि इस संधि में सुरक्षा स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, दूसरी बात इसमें नर-संहार रोकने के सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं है। मैं यह भी चानना जाहता हूं कि क्या इससे चीन और रूस की वर्तमान संधि स्वतः समाप्त हो जायेगी।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : यह संधि हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संधि न केवल शान्ति, मित्रता तथा सहयोग के लिये है अपितु पारस्परिक सुरक्षा के लिए भी की गई है। संसार के बदलते हुए घटनाचक्रों को देखते हुये हमें आश्चर्य होता है। किसी देश के लिए उसकी सुरक्षा, प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डता सर्वोपरि होती हैं। हमें विश्वास है कि यह संधि न केवल भारत और सोवियत रूस के बीच अपितु समूचे संसार में शान्ति सुरक्षा तथा विकास की स्थायी व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध होगी।

संधि में यह भी व्यवस्था है कि हम पारस्परिक सहयोग और सहायता के लिए जो भी कदम उठायें वे राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में दिये गये ढांचे अथवा मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अन्दर हों तथा हमारी क्षेत्रीय-अखण्डता और प्रभूसत्ता और विश्व शांति बढ़ाने के अनुकूल हों।

जहां तक बंगला देश में हो रही घटनाओं का सम्बन्ध है वहां से लगभग 80 लाख लोगों को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा है और हमें इस भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा

है। अनेक देशों ने इस समस्या को एक मानवीय समस्या के रूप में देखने की चिन्ता तक व्यक्त नहीं की और चुप्पी साध ली है। कुछ देशों ने पाकिस्तान की सैनिक जुन्टा का समर्थन किया है।

इस संधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसने देश में एक बड़ा मनोबल पैदा किया है। इससे देश के करोड़ों लोगों का ही नहीं अपितु मोर्चे पर लड़ रहे जवानों का भी उत्साह बढ़ा है।

संधि के विभिन्न अनुच्छेदों के विश्लेषण की इस समय आवश्यकता नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम सोवियत संघ तथा अन्य इसी तरह के देशों के साथ मित्रता किस सीमा तक सुदृढ़ कर सकेंगे। यह संधि हमें अन्य देशों के साथ भी संधि करने से नहीं रोकेगी। इससे हमारी क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विश्व की घटनाओं में स्थिरता आयेगी और जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा है, यह संधि भविष्य में आक्रमण करने, उपनिवेशवाद लाने अथवा साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकेगी।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्लभारतीय) : मुझे इस सन्धि पर हस्ताक्षर किए जाने से अत्यन्त प्रसन्नता हुई है, संधि का अनुच्छेद 9 पढ़कर और भी प्रसन्नता हुई है क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी पक्ष पर न केवल आक्रमण होने, बल्कि आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर भी दोनों पक्ष मिलकर उसे दूर करने हेतु कार्यवाही करेंगे।

मैं श्री नेहरू के समय से ही यह दलील देता आ रहा हूं कि हमारी विदेश नीति में कुछ यथार्थवाद होना चाहिए। मेरी इस दलील के कारण मुझे विश्वासघाती कहा गया, परन्तु सरकार ने अब वही बात की जो मैं कहता था।

गुट-निरपेक्षता का महत्व केवल उस समय तक होता है जब तक बड़ी शक्तियाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगी हों। जवाहरलाल नेहरू के निधन से कई वर्ष पूर्व ही गुट-निरपेक्षता का महत्व न केवल समाप्त हो गया था बल्कि यह एक भारी बाधक तत्व बन गया था क्योंकि होड़ लगाने के तरीके के बदल जाने से अधिकाधिक समझौते होने लगे और इसमें गुट-निरपेक्षता भारी बाधक बनी। इस नई परिस्थिति में गुट-निरपेक्षता न केवल नकारात्मकता का प्रतीक है, अपितु एक निष्प्रयोजन सिद्धांत है। इसी कारण संकट के समय कोई हम पर नैतिक समर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य बात के लिए निर्भर नहीं रह सकता। हम किसी के मित्र नहीं थे और न कोई हमारा मित्र था परन्तु आज हमारा कम से कम एक मित्र तो बना। इस संधि द्वारा हमारी नीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है।

हमें एक प्रकार से निक्सन सरकार का आभारी होना चाहिये जिसके कारण इस संधि के लिए तत्काल प्रेरणा मिली।

अमरीकी प्रशासन की मूर्खता और अनैतिकता के कारण ही हमें यह संधि करने पर बाध्य होना पड़ा है। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे हम तटस्थता की निष्फल नीति से छुटकारा पा गये हैं।

निक्सन प्रशासन ने बड़ी बेशर्मी से बंगला देश में जाति-विनाश को प्रोत्साहन दिया है। साथ ही भारत पर आक्रमण करने में भी सहायता दी है क्योंकि लाखों लोगों को हमारे देश में धकेलकर यहां के अर्थतंत्र को छिन्न-भिन्न करना किसी आक्रमण से कम नहीं है। किसिंजर महोदय का भारत का दौरा एक बहुत बड़ा मजाक था और भारत को अपमानित करने की पूर्वायोजित योजना थी। जो कुछ उन्होंने हमारे राजदूत से कहा वह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। उसने हमसे ऐसा व्यवहार किया है जैसे हम भिखारी हों।

चर्चिल से एक बार जब यह पूछा गया कि वह स्तालिन जैसे हत्यारे के साथ किस प्रकार समझौता कर पायेगा तो उसने कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए वह शैतान से भी मित्रता कर सकता है। अत: अहम प्रश्न यह है कि हमने किसी से मित्रता करना तो सीखा !

मेरे मित्र श्री स्वर्णसिंह ने कहा है कि हम इस प्रकार की द्विपक्षीय संधियां अन्य देशों से भी करेंगे। यह खुशी की बात है। भूटान और सिक्किम से तो हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं ही, हमें नेपाल और इंडोनेशिया से भी इसी प्रकार की संधि करनी चाहिए। आज जापान विश्व का एक बड़ा औद्योगिक देश है। उससे भी किसी प्रकार का पारस्परिक समझौता किया जा सकता है।

अन्त में मैं परमाणु नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमें अपनी परमाणु शक्ति का विकास करना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि इस संधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हमें परमाणु शक्ति की अपनी क्षमता को विकसित करने में कोई बाधा हो। साथ ही यदि हम आण्विक अस्त्र-प्रसार निरोध संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो वह देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा और हम धीरे-धीरे रूस के पिछलग्गू बन कर रहे जायेंगे। जिस दिन भी हमने परमाणु अस्त्रों का उत्पादन आरम्भ कर दिया, विश्व की दृष्टि में भारत सम्मान की दृष्टि से देखा जायेगा।

डा० वी० के० आर० वर्दराजराव (बेल्लारी) : कई लोगों में अभी भी गुट-निरपेक्ष नीति के बारे में कुछ गलतफहमी है। एक क्षण के लिए यदि यह मान भी लिया जाये कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्य किसी देश से सैनिक-समझौते न करना है, तो भी क्या यह सही रहेगा कि कोई देश अपनी सैनिक-शक्ति में आत्म-निर्भर हुए बिना अन्य देशों के साथ सैनिक समझौते करता फिरे। 1962 तक सैनिक शक्ति की दृष्टि से हमारी स्थिनि नगण्य थी किन्तु अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सैन्य-शक्ति भी काफी सबल है और बिना किसी अन्य देश की सहायता से हम चीन तथा पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। श्री फ्रैंक एँथनी द्वारा दिये गये सभी तर्कों के बावजूद मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि गुट-निरपेक्षता की नीति के कारण ही तीसरा महायुद्ध नहीं हो पाया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज जिस नीति का हम पालन कर रहे हैं वह गुट-निरपेक्षता का ही स्वाभाविक मोड़ है और जिसे भारत के राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रख कर अपनाया गया है।

दिल्ली के दो प्रमुख दैनिकों के दो अग्रलेखों में यह कहा गया है कि यह संधि भय के कारण अचानक कर ली गई है किन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। रूस और भारत में सदैव मैत्री बनी रही है और 1962 और 1965 की अग्नि-परीक्षा में यह मैत्री खरी

उतरी है । रूस हमें अन्य बातों के साथ-साथ सैनिक दृष्टि से भी आत्म-निर्भर बनने में हमें सहायता दे रहा है । इस संधि से दोनों देशों की मित्रता पर पक्की मुहर लग गई है ।

रूस को भी भारत की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें रूस की । तथा पिछले वर्षों में रूस और चीन, रूस और अमरीका एवं नाटो देशों के पारस्परिक सम्बन्धों का कोई भी विद्यार्थी यह भली भांति जानता है कि रूस के लिए भारत की मित्रता कितनी आवश्यक है । यह कोई एक पक्षीय कार्रवाई नहीं है । इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे भारत की महत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी आये । पहली बार भारत के महत्व को समझा गया है और हमें इस प्रकार की संधि के योग्य समझा गया है ।

पिछले 24 वर्षों से भारत विभाजन की पीड़ा सहता आया है । हमेशा से पाकिस्तान को भारत के समान दर्जा देने की कोशिश की जाती रही है । किन्तु इस संधि से साम्राज्यवादी पश्चिमी देशों की नीतियों के कफन में कील गढ़ गयी है ।

अतः यह सभा इस संधि का स्वागत करती है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस संधि के लिए दिखाए गए सभी प्रकार के उत्साह के विरोध में बोल रहा हूँ ।

आरम्भ में जब मैंने इस संधि के बारे में सुना तो मैंने इसे स्वागत योग्य समझा । मैंने सोचा कि यदि इस संधि से हमारी बंगला देश के शरणार्थियों सम्बन्धी समस्या का समाधान होता है, यदि इससे पाकिस्तान की युद्ध की धमकियों, अमरीकी अस्त्रों की पाकिस्तान को पूर्ति की समस्या का हल निकलता है और यदि इस संधि के अन्तर्गत रूस हमें अस्त्रों की अधिक पूर्ति करता है और चीन की घुसपैठ को रोकता है तो हमें इस संधि का स्वागत करना चाहिए । किन्तु जिस भाषा, ढंग और जिस रूप से यह संधि की गई है, वह विचारणीय है ।

निश्चय ही इसमें अनावश्यक रूप से बहुत जल्दबाजी की गई है । अमरीका और चीन में होने वाली वार्ता के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया था कि रूस अब अकेला रह गया है । परन्तु डर से हमने यह समझा कि हम अकेले पड़ते जा रहे हैं और हमने जल्दबाजी में रूस से संधि कर ली ।

इस समय हम इस संधि पर क्यों हस्ताक्षर कर रहे हैं ? रूस 1969 में ही इस संधि पर हमसे हस्ताक्षर कराना चाहता था किन्तु तब हमने उसका विरोध किया और लगातार इसका विरोध करते रहे हैं । अब आकस्मात सरकार इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गई है । मुझे पता नहीं कि क्या इस संधि के परिणामस्वरूप रूस हमें अधिक अस्त्र दे पायेगा । यदि जरूरी हुआ तो क्या रूस चीन को रोक सकेगा ? और क्या आवश्यकता होने पर वह हमारी ओर से लड़ सकेगा । मुझे पता नहीं कि क्या इस संधि में किसी प्रकार के गोपनीय खण्ड हैं ?

क्या इस संधि से हम किसी प्रकार के बन्धन में आ गये हैं ? यदि आप इस संधि को ध्यान-पूर्वक पढ़ें तो मालूम होगा कि वारसा संधि भी ऐसी ही भाषा में की गई थी और एक-दो खण्डों को छोड़कर, जिनमें संयुक्त सैनिक कमान के सम्बन्ध में व्यवस्था है, शेष सभी खण्ड इस संधि जैसे हैं । तो क्या हम भी रूस के पिछलग्गू बनने जा रहे हैं ?

यदि आप संधि का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि हमें इस संधि से कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा है। रूस अब निराशाजनक स्थिति में है। उसने हिन्द महासागर में प्रवेश कर लिया है और उसे अब अड्डों तथा पेट्रोल लेने के स्थानों की खोज है। स्वाभावत:, वह हमारी ओर देख रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं। विदेश मंत्री बतलायें कि क्या वह इस संधि के कारण रूस को सामान्य से अधिक सुविधाएं देंगे।

रूस के साथ संधि करने वालों का यदि परिणाम देखना है तो आप चीन, पोलैंड, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया की हालत देखिये। ब्रेजनेव सिद्धान्त में के जाल में फंसा कोई भी देश फिर से उदार लोकतन्त्र की राह पर वापस नहीं आ सकता और श्रीमती गांधी ने हमें इसी शिविर में धकेल दिया है।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि मुझे इस संधि से लाभ के स्थान पर कई खतरे दिखाई दे रहे हैं।

श्री बिम्बालकर (कोल्हापुर) : सभापति महोदय, जब याहया खां हमारे विरुद्ध युद्ध की धमकियां दे रहा था, हमारी सरकार चुपके से इस संधि पर विचार कर रही थी। श्री पीलू मोदी को भले ही इस संधि में कुछ न दिखाई दे किन्तु मेरे विचार से इसका अत्यधिक महत्व है।

इस संधि से हमारी सुरक्षा, बिना आन्तरिक नीति में किसी परिवर्तन के, सुनिश्चित हो गई है। वस्तुत: इस सन्धि से हमारे ऊपर यह भार आ गया है कि हम अपने ही पैरों पर खड़े हो जायें। देश के विदेशी मामलों में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। इस सन्धि से हमारी विदेश नीति गतिशीलता की ओर उन्मुख हुई है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार अब गम्भीरता से आण्विक अस्त्रों के निर्माण का प्रयत्न करे। हमारे लिए अब अणु बम बनाना आवश्यक हो गया है।

अमरीकी लोगों को यह आशंका हो सकती है कि यह सन्धि उनके विरुद्ध है किन्तु ऐसा नहीं है। और फिर यदि यह सन्धि उनके विरुद्ध है भी तो उसके लिए वे स्वयं ही दोषी हैं।

डा० हेनरी आमंस्टन (एरणाकुलम) : मैं विदेश मंत्री को इस सन्धि के लिए बधाई देता हूँ क्योंकि इस सन्धि के बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। जो कुछ भी इस सन्धि के विरोध में कहा गया है, इस सबके बावजूद मैं विश्वास करता हूँ कि यह सन्धि गुट-निरपेक्षता की नीति में हमारे विश्वास को और दृढ़ करती है।

इस सन्धि की प्रस्तावना को देख कर इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि इस सन्धि को करने का एक कारण यह था कि दोनों देश यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग से, न कि लड़ाई से, हो सकता है।

इस सन्धि से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारी विदेश नीति सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की है। विदेश मंत्री ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के बाद सदन में कहा था कि हम चीन और अन्य देशों से भी इस सम्बन्ध में वार्ता कर सकते हैं।

कुछ मित्रों ने यह आशंका व्यक्त की है कि इससे हमारी विदेश नीति स्वतन्त्र नहीं रह पायेगी। मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों का भारत की जनता में विश्वास नहीं है। भारत को, जहां विश्व जनसंख्या का 1/6 भाग रहता है, न रूस, न अमरीका और न ही चीन किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। वे इस देश की विदेशी नीति को परतन्त्र नहीं बना सकते।

सोवियत संघ हमारा पड़ोसी देश है। उसके साथ मैत्रीपूर्ण तथा पारस्परिक सहयोग की सन्धि करके हमने महान सफलता प्राप्त की है। जब पाकिस्तान को अमरीका से बड़ी मात्रा में सैनिक साज समान तथा चीन से समर्थन मिला तो उसने सोचा कि वह हमारे देश को धमकी दे सकता है। मेरे विचार से सोवियत संघ तथा भारत के बीच इस सन्धि के हो जाने से पाकिस्तान तथा उसके सैनिक गुट द्वारा किया जाने वाला युद्ध शान्त हो जायेगा। इस प्रकार यह सन्धि दुनिया की एक ऐतिहासिक घटना है।

हमने सोवियत संघ के साथ सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और आज के समय को देखते हुये इसका बहुत बड़ा महत्व है, चीन तथा अमरीका दोनों ही चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करे। किन्तु हमने इस सन्धि से यह दिखा दिया है कि कोई भी शक्ति हमें अब ब्लेकमेल नहीं कर सकती है।

अमरीका चीन तथा सोवियत संघ के साथ संघर्ष इसलिए करवाना चाहता है कि यदि युद्ध हो तो वह एशिया में ही हो, यह सन्धि एशिया की शन्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है और इससे सोवियत संघ की सुरक्षा भी बनी रहेगी।

इस सन्धि से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के भी मित्र हैं और वे हमारे मित्र इसलिए नहीं हैं कि हम शक्तिशाली गुट के सदस्य हैं अपितु इसलिए हैं कि हमारा उद्देश्य परोपकारिता है तथा हम शन्ति का क्षेत्र विस्तृत करना चाहते हैं।

भारत सोवियत मैत्री सन्धि से दोनों देशों के बीच सद्भावना बढ़ेगी और युद्ध लोलुप शक्तियाँ अन्तराष्ट्रीय मंच से लुप्त हो जायेंगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : सरकार ने सोवित संघ के साथ शांति, मैत्री तथा सहयोग की जो सन्धि की है, तेलंगाना प्रजा समिति की ओर से मैं उसका स्वागत करता हूं।

सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद मैं समझता हूँ कि इस सन्धि की शर्तों को भली भांति तैयार किया गया है। जिस सन्धि पर हमने कल हस्ताक्षर किये वह हमारे लिये एक आनन्ददायी अनुभव है तथा यह एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसी कठिन स्थिति में इस प्रकार की सन्धि करने के लिए मैं प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को बधाई देता हूँ।

इस शताब्दी में रूस की क्रान्ति तथा भारत में गांधीवादी विचार धारा से किये गये आन्दोलन का दुनिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस लिये रूस के अपने तकनीकी विकास को लेकर तथा भारत के अपनी गांधीवादी विचारधारा को लेकर संगठित हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सुधार आयेगा।

आज की इस कठिन स्थिति में हमने सन्धि इस लिये की है कि हम दुनियां को बता सकें कि हमारे भी मित्र हैं। इसके साथ ही दुनिया यह जान जायेगी कि हम शांतिप्रिय हैं और इस सन्धि

का उद्देश्य किसी अन्य देश द्वारा इन पर आक्रमण किये जाने की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने की भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि सन्धि में उल्लिखित बातों का और कोई अर्थ हो सकता है। यह सन्धि तो स्वयं ही स्पष्ट है।

आज की परिस्थितियों को देखते हुये इस सन्धि का स्वागत किया जायेगा और इन दोनों शक्तियों के संगठित हो जाने से इसका विश्व व्यापी प्रभाव पड़ सकता है।

अतः मैं अनुभव करता हूँ कि सन्धि का सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिये।

Shri Probodh Chandra (Gurdaspur) : By entering into this Treaty, the leadership in India as well as in U.S.S.R. have done a great service to the world, which was on the verge of devastation. Our Prime Minister and our Foreign Minister have held the name of our country in high esteem by showing great statesmanship at this juncture when we are facing a difficult situation. If some of my friends fail to visualise the intention and the far-reaching effects of the treaty the fault lies entirely with them. I congratulte our Foreign Minister for entering into this Treaty which would help the cause of world peace and promote good-will; and save the world from the horrors of war. Last time our war with Pakistan had seriously retarded the economic development of our country in the past and as such all efforts towards avoiding the imminence of war should be appreciated. I would therefore like all my friends here to congratulate Government for entering into this Treaty and to desist from such activities as might create mis-understanding between the tow countries.

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : भारत-सोवियत संधि से जिस पर कल हस्ताक्षर किये गये हैं, सह अस्तित्व के सिद्धान्त को ठोस तथा वास्तविक स्वरूप मिल गया है। जिसे स्थापित करने के लिए हमारा देश काफी समय से प्रयत्न कर रहा था।

इस संधि का उद्देश्य यह नहीं है कि दोनों देशों के शक्ति प्रयोग से किसी अन्य देश पर आक्रमण किया जाये अपितु यह संधि शांति, मित्रता तथा अनक्रमण की संधि है। परन्तु यदि भारत अथवा रूस पर कोई आक्रमण हो या आक्रमण किये जाने की सम्भावना हो तो दोनों पक्ष पारस्परिक देशों में शांति, सुरक्षा तथा हितों को बनाये रखने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेंगे, इससे दोनों देशों में ही नहीं अपितु उनके आस-पास के देशों में भी शांति स्थापित होगी।

रूस के साथ वर्तमान संधि से अन्य देशों के प्रति गुट निरपेक्षता की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जब कि अन्य देशों ने पाकिस्तान और शरणार्थियों से सम्बन्धित तथा अन्य मामलों में हमारे रवैये को ठीक ढंग से नहीं समझा है तथा हमें उचित समर्थन नहीं दिया है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे देश के साथ मैत्री करें जो कि हमें अच्छी तरह से समझ सकता हो।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं समझता हूं कि वास्तविक स्थिति की यह मांग है कि सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण होने चाहिए किन्तु मेरा विचार है कि सोवियत ब्लाक की राजनीति से 20 वर्षों तथा और 5 वर्षों के लिये बंधे रहना पूर्णतया अनावश्यक है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है चाहे इसके बारे में कुछ भी

कहा जाये। समाचार पत्रों द्वारा ऐसा जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान के आक्रामक इरादों के विरुद्ध यह एक रक्षात्मक संधि है। इसीलिए सभी समाचार पत्रों में "रूस के साथ सुरक्षा समझौता," "रूस के साथ रक्षात्मक समझौता" आदि शीर्षक मोटे अक्षरों में प्रकाशित किये गये।

यह संधि पाकिस्तान के आक्रामक इरादों तथा चीन के साथ उसकी गठजोड़ के भय के परिणाम स्वरूप की गई है। इस संधि से देश में यह धारणा बनी है कि सरकार न केवल बंगाल देश को मान्यता देगी अपितु वहां चल रहे संग्राम को सफल बनाने हेतु भरपूर सहायता भी करेगी।

इस संधि के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि दोनों देश यह घोषित करें कि पाकिस्तानी सेना उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी है और बंगला देश में उसके साम्राज्यवादी कब्जे को समाप्त करें। यदि दोनों देशों का इस संधि के प्रति सम्मान है तो उन्हें संयुक्त होकर बंगला देश को मान्यता देनी चाहिए तथा इन दोनों देशों को ही नहीं बल्कि रूस के अनुगामी समाजवादी देशों को भी यह घोषणा करनी चाहिए कि वे बंगला देश के पक्ष में हैं।

बंगला देश को मान्यता देने के प्रश्न पर कार्यवाही करने में सम्भवतया हम संधि करने से पूर्व अधिक स्वतंत्र थे। इस संधि की कतिपय धारायें ऐसी हैं जो बंगला देश को मान्यता देने के मार्ग में बाधा बन सकती हैं।

यह संधि हमारे लिये लाभदायक नहीं हो सकती है क्योंकि अमरीका चीन से कह सकता है कि वह पाकिस्तान को और अधिक सैनिक सहायता दें। यदि संधि के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो वह बहुत मंहगा, विनाशकारी तथा लम्बी अवधि तक चलने वाला होगा।

हमें चीन के इस भ्रम को भी दूर करना होगा कि यह संधि चीन के विरुद्ध नहीं है। यदि हम ऐसा कर सके तो वह वास्तविक अर्थों में हमारी राजनीतिक सफलता होगी।

यह संधि इस दृष्टि से ऐतिहासिक है कि दो दशाब्दियों से हम जिस विदेश नीति का पालन कर रहे थे उसे हमने त्याग दिया है। निर्गुट शब्द का चाहे कुछ भी अर्थ हो परन्तु राजनीतिक, सैनिक और अन्य कई प्रकार से हम सोवियत ब्लाक से मिल रहे हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस संधि से चीन तथा जापान के साथ शीघ्र ही कोई समझौता करने में भारत पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं लगता है और क्या अणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने के अनुच्छेद को देखते हुये हमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु परीक्षण करने की स्वतंत्रता रहेगी।

इस संधि से विदेशी सहायता पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमें रूस को छोड़कर अन्य देशों से 80 प्रतिशत विदेशी सहायता मिलती है। अतः भारत को अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए।

मैं व्यवहारिक हितों की दृष्टि से रूस के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने के पक्ष में हूं किन्तु लम्बी अवधि तक सोवियत गुट की राजनीति में बंध जाना मुझे पसन्द नहीं है। यह संधि कुछ

लोगों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है किन्तु देश भक्ति की दृष्टि से यह भारत के हित में नहीं है ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैं सोवियत रूस से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के मामले में किसी से पीछे नहीं हूँ किंतु मैं इस संधि पर सरकार को बधाई नहीं दे सकता ।

मैं श्री जवाहरलाल की गुट-निरपेक्षता सम्बन्धी विचारधारा का प्रबल समर्थक हूं जिसे आज प्रधान मंत्री ने त्याग दिया है जबकि 1962 के घोर संकट पूर्ण समय में भी जवाहरलाल नेहरू अनेक दबावों के बावजूद अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति पर दृढ़ रहे थे ।

राष्ट्रों को संधियां नहीं अपितु उनके राष्ट्रीय हित ही प्रभावित करते हैं । यद्यपि अमरीका के साथ हमारी कोई संधि नहीं थी तथापि वह 1962 में हमारी सहायता के लिये आया क्योंकि अमरीका नहीं चाहता था कि एशिया पर चीन का प्रभुत्व हो । इसी प्रकार यदि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और चीन ने उसकी ओर से हस्तक्षेप किया तो इस संधि के न होते हुए भी रूस को हमारी सहायता के लिए आना पड़ता क्योंकि हमारी सुरक्षा उसके ही हित में है । अतः मुझे अपनी मित्रता को औपचारिक संधि के रूप में बदलने का खेद है क्योंकि इससे हम स्पष्ट रूप में सोवियत गुट के सदस्य बन गए हैं ।

अब चूंकी संधि करली गई है इस लिए इस संधि का मूल्यांकन इस बात से ही किया जा सकेगा कि इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं । अब देखना यह है कि क्या सरकार बंगला देश को मान्यता देती है ।

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह): माननीय सदस्यों और प्रतिपक्ष के नेताओं ने इस संधि का जो जोरदार समर्थन किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ ।

विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न कारणों से इस संधि का समर्थन किया है और यह आवश्यक नहीं है कि मैं उन सभी कारणों से सहमत हूँ किंतु व्यावहारिक दृष्टि से इतना ही पर्याप्त है कि इस संधि को जोरदार समर्थन मिला है ।

मैं इस संधि के सम्बन्ध में अधिक विस्तार में न जाकर इसकी मुख्य बातों के ही बारे में कहूंगा । विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि इस संधि के कई भाग हैं । कुछ सदस्यों ने इस संधि के आर्थिक भाग पर विचार किया है और कुछ ने विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं के संदर्भ में इसके राजनीतिक पक्ष पर विचार किया है किंतु हमें इस संधि को समूचे रूप में पढ़ना चाहिए और इसके आशय के अतिरिक्त विभिन्न पहलुओं से इसकी जाँच करनी चाहिये ।

इस संधि द्वारा आर्थिक, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सार्थक सहयोग के सिद्धांत का पुनः समर्थन किया गया है । कुछ सदस्यों ने इस बात पर ठीक ही जोर दिया है कि हमें आत्म निर्भर होने के लिये काम करना चाहिए । निश्चय ही हमारा भी यही उद्देश्य है । इसी कारण हमने संधि के अनेक खंडों में आर्थिक, प्रौद्योगिक, वैज्ञानिक आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था की है । इससे हमारी अर्थव्यवस्था का स्वतन्त्र रूप से विकास होगा और औद्योगिक तथा आर्थिक

शक्ति बढ़ेगी जोकि अन्ततः हमारी सुरक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है और उससे हमारी सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

बहुत से राजनीतिक विचारकों ने यह प्रश्न किया है तथा आलोचना की है कि इस संधि द्वारा सरकार ने अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं अधिक विस्तार में न जाकर माननीय सदस्यों का ध्यान संधि के खंड 4 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रूस की सरकार हमारी इस नीति का आदर करती है तथा संधि की शर्तों को पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जोकि गुट-निरपेक्षता की हमारी नीति से हमें विचलित कर सके।

जहां तक संधि में दी गई सुरक्षा के पहलू का सम्बन्ध है यह न तो कोई सैनिक समझौता है और न ही कोई सैनिक गठबन्धन है। यह संधि तो शांति और मित्रता की है और युद्ध के विरुद्ध की गई संधि है। सुरक्षा संधि अथवा सैनिक गठबन्धन का वर्णन ऐसे शब्दों में किया जाता है कि इसका यह स्पष्ट अर्थ निकले कि जब दोनों में से एक पक्ष आक्रमण करता है तो दूसरा पक्ष उसमें स्वतः भाग लेगा।

अनुच्छेद 8, 9, तथा 10 का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जायेगा कि इस संधि का ऐसा कोई अर्थ नहीं है किंतु साथ ही इन अनुच्छेदों में ऐसी व्यवस्था अवश्य की गई है जिसके अन्तर्गत अपनी सुरक्षा बनाये रखने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं। इस प्रकार यह संधि आम सुरक्षा संधियों अथवा गठजोड़ों से भिन्न है।

इस सन्धि में सुरक्षा सम्बन्धी तीन अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेत 8,9, तथा 10 हैं। यदि सावधानी पूर्वक पढ़ा जाये तो इस का मूलतत्व स्पष्ट हो जायेगा इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत सन्धि के दोनों पक्ष किसी ऐसे सैनिक संगठन में जो दूसरे पक्ष के विरुद्ध हों, न शामिल होंगे न भाग लेगें तथा दोनों में से किसी पक्ष पर आक्रमण होने अथवा आक्रमण का खतरा होने पर दोनों पक्ष शीघ्र विचार विमर्श करेंगे ताकि खतरे को दूर किया जा सके तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस सन्धि के अन्तर्गत किसी अन्य देश को ऐसे शस्त्रास्त्र नहीं दिये जा सकते जिससे दूसरे पक्ष को सैनिक हानि पहुंचे।

जहां तक इस सन्धि के आर्थिक पक्ष का सम्बन्ध है उसमें यह स्पष्ट रूस से कहा गया है कि वे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां इस ढंग की बनायेगें कि जिससे विद्यमान उपनिवेशवाद तथा जातिवाद को जबरदस्त धक्का लगे। यह इस सन्धि का एक महत्वपूर्व भाग है। इस सन्धि के राजनीतिक और आर्थिक आशय तथा प्राद्योगिक तथा वैज्ञानिक सहयोग तथा सुरक्षा सम्बन्धी खण्डों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह दोनों देशों के लिए लाभदायक है।

इस सम्बन्ध में यह भी कह देना उचित होगा कि जिस नाटकीय ढंग से डा० कीसिंजर पीकिंग गये थे उससे इस सन्धि का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इससे सम्बन्धितवार्ता विभिन्न स्तरों पर काफी लम्बी अवधि से चल रही थी। तथा दोनों देशों के बीच बढ़ रहे सम्बन्धों के लिए कोई न्यायिक और कानूनी आधार खोजने हेतु विचार किया जा रहा था।

यह भी प्रश्न उठाया गया है कि जब सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध परस्पर मैत्रीपूर्ण हैं तो क्या उसे न्यायिक तथा कानूनी आधार देना आवश्यक था। इस प्रश्न से ही स्पष्ट है कि यह सभी स्वीकार करते हैं कि हमारे परस्पर सम्बन्ध हमारे लिए लाभदायक थे तो ऐसी स्थिति में उसे कानूनी तथा न्यायिक आधार दिया जाना उचित ही है।

मेरे विचार में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब देश के सभी राजनीतिक दल किसी प्रस्ताव का समर्थन करें। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया गया है कि 20 वर्ष की अवधि बहुत अधिक है। किन्तु मित्रता बनाये रखने शान्ति के लिए कार्य करने तथा अच्छे उद्देश्यों के लिये कोई भी अवधि लम्बी नहीं है। ऐसे सुन्दर उद्देश्यों को अनन्तकाल तक अपनाया जा सकता है।

यह भी पूछा गया है कि क्या हम अन्य देशों के साथ भी (इस प्रकार की) सन्धि करने को तैयार होंगे। हम इस क्षेत्र के देशोंके तथा पड़ौसी देशों साथ इसप्रकार की सन्धिया करने के लिए तैयारहैं चूकि हमारी सन्धि किसी देश-विशेष के विरुद्ध नहीं है। इसलिए हम ऐसा वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के देश हमारे साथ अथवा परस्पर इस प्रकार की सन्धियां कर सकें।

यह भी प्रश्न किया गया है कि क्या यह सन्धि हमें बंगला देश के सम्बन्ध कोई कार्यवाही करने से रोकती है। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि यह सन्धि, इस में बाधक नहीं है तथा कोई भी देश, चाहे सोवियत संघ जैसा मित्र देश क्यों न हो, इसमें बाधक नहीं हो सकता। यह हमारी प्रभुसत्ता का अधिकार है तथा इस सन्धि में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें अपने मन पसन्द ढंग से अपने प्रभुसत्ता के अधिकार को प्रयोग करने से रोक सके।

यह भी पूछा गया है कि क्या यह सन्धि हमें अपनी इच्छानुसार किसी कार्य के लिये अपनी परमाणु शक्ति का विकास करने से रोकती है। इस सम्बन्ध में हमारा निर्णय है कि हम परमाणु प्राद्योगिक का विकास शांति पूर्ण कार्यों के लिए करेंगे तथा हम इस नीति पर अटल हैं। किन्तु यदि हम इस नीति का परित्याग करना चाहें तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें रोक सके।

अनुच्छेद आठ के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि क्या इससे हमारे देश में काफी अधिक संख्या में सोवियत सलाहकार होंगे। किसी भी देश में इतनी अधिक संख्या में सलाहकार नहीं हैं कि उन्हें आसानी से दूसरे देशों में भेजा जा सके। फिर भी यह परस्पर समझौते का प्रश्न है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में सम्बन्धों का विकास पारस्परिक आदान प्रदान से होता है हमने बहुत कुछ सीखना है, सम्भव है कि वे भी हमारे अनुभव से विशेष रूप से मानविकी, साहित्य, संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों में, सीखना चाहें।

यह भी कहा गया है कि इससे गुट निरपेक्षता की हमारी नीति का अन्त हो गया है। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि इस सन्धि में सोवियत संघ ने हमारी इस नीति को स्वीकार किया है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में यह नीति शांति के हित तथा हमारे राष्ट्रीय हित में है इस लिये हम इस नीति का दृढ़ता के साथ पालन करेंगे।

मानचित्रों के प्रश्न के सम्बन्ध में सोवियत संघ ने पहले भी अनेक बार बताया है कि वह हमारी क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करता है तथा उक्त देश ने यह भी बताया है कि वह अपने मानचित्रों को ठीक करने के लिए कदम उठायेगा।

इस सम्बन्ध में चीन सोवियत संघ समझौते के बारे में भी पूछा गया है। किन्तु इस सन्धि के अन्तर्गत आने वाले जो भी दायित्व हैं उनके विरुद्ध कोई भी बात दोनो पक्षों पर लागू नहीं होती।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 11 अगस्त, 1971 / 20 श्रावण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 11th August, 1971/Sravana 20, 1893 (Saka)

Printed at Sumer Printing Press, New Delhi-18